दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

मई भाग-2
2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **4**

- ➢ गतिशक्ति संचार पोर्टल 4
- ➢ मुख्य चुनाव आयुक्त 5
- ➢ उपासना स्थल अधिनियम 6

सामाजिक न्याय **8**

- ➢ सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट 8
- ➢ राइस फोर्टिफिकेशन 9
- ➢ भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट 11
- ➢ चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूलकिट 12
- ➢ इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना 15
- ➢ विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र 17
- ➢ एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के अधिकार 18
- ➢ पेशे के रूप में सेक्स वर्क की मान्यता 20
- ➢ सरोगेसी 21

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **24**

- ➢ विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार 24
- ➢ फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता 25
- ➢ भारत-नेपाल: हाल के घटनाक्रम 27
- ➢ जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक 29
- ➢ नागोर्नो-करबख क्षेत्र 31
- ➢ निवेश प्रोत्साहन समझौता (IIA) 32
- ➢ हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा 34
- ➢ भारत-कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग 35
- ➢ अमेरिका-ताइवान संबंध 36
- ➢ भारत-जापान द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग 38
- ➢ पैंगोंग त्सो पर चीनी पुल 39
- ➢ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का व्यापार 40
- ➢ भारत की समुद्री भूमिका में बाधाएँ 42

इतिहास **44**

- ➢ राजा राम मोहन राय 44

कला एवं संस्कृति **46**

- ➢ पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना 46

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 49

- नगरीय ऊष्मा द्वीप 49

भारतीय अर्थव्यवस्था 51

- भारत में क्रूज़ पर्यटन की संभावना 51
- क्रिप्टोकरेंसी के कारण 'डॉलरीकरण' 52
- विशेष आहरण अधिकार 53
- खाद्य मुद्रास्फीति 54
- GST कानून बनाने की राज्यों की शक्ति 56
- फोस्टेरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांज़ीशन 2022 57
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) 58
- बहिर्वाह प्रेषण प्रवृत्ति 61
- वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट: ILO 63
- चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध 65
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 66
- भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 68
- भारत में असंगठित अर्थव्यवस्था 70
- पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढाँचे का विकास 72
- बैंकों का निजीकरण 73

भूगोल 76

- जुड़वाँ चक्रवात 76

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 78

- भारत का पहला 5G टेस्टबेड 79
- सडेन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम 80
- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी अभिकर्त्ता 81
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स 83

प्रिलिम्स फैक्ट्स 85

- बुद्ध पूर्णिमा 85
- देवसहायम पिल्लई 86
- एंडोसल्फान 87
- केंद्रीय पुरातत्त्व सलाहकार बोर्ड 93
- विश्व मापिकी दिवस 2022 94
- माया पिट वाइपर 95
- बोंगोसागर अभ्यास 96
- सेला मकाक 99

रैपिड फायर 101

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

गतिशक्ति संचार पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संचार मंत्रालय ने केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (RoW) अनुमोदन के लिये "गतिशक्ति संचार" पोर्टल का शुभारंभ किया है।

'गतिशक्ति संचार' पोर्टल:

- परिचय: पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की परिकल्पना क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो प्रत्येक नागरिक को मुख्य उपयोगिता के रूप में ब्रॉडबैंड बुनियादी ढाँचा, मांग पर प्रशासन और सेवाएँ तथा विशेष रूप से हमारे देश के नागरिकों को डिजिटल सशक्तीकरण प्रदान करेंगे।
- उद्देश्य: पोर्टल दूरसंचार बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिये "व्यवसाय करने में सुगमता" के उद्देश्य हेतु एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा।

महत्त्व:

- 5G नेटवर्क की समय पर शुरुआत: विभिन्न सेवा और अवसंरचना प्रदाताओं के आरओडब्ल्यू अनुप्रयोगों का समय पर निपटान, त्वरित बुनियादी ढाँचे के निर्माण को सक्षम करेगा जो 5G नेटवर्क की समय पर शुरुआत के लिये भी एक प्रवर्तक होगा।
- यह पोर्टल देश भर में केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (RoW) अनुमोदनों की प्रभावी निगरानी के लिये राज्य और ज़िलेवार लंबित स्थिति को दर्शाने वाले एक शक्तिशाली डैशबोर्ड से भी सुसज्जित है।
- दूरसंचार सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता: इसके परिणामस्वरुप:
- अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल को तेज़ी से बिछाने और इस प्रकार फाइबराइज़ेशन में तेज़ी आएगी।
- टॉवर घनत्व में वृद्धि होगी जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी।
- दूरसंचार टावरों के फाइबराइज़ेशन में वृद्धि, इस प्रकार देश भर में बेहतर ब्रॉडबैंड गति सुनिश्चित होगी।
- देश का सशक्तीकरण: इस पोर्टल से देश के 'आत्मनिर्भर' अभियान को बढ़ावा मिलने की आशा है, जो हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।
- ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण: यह निर्बाध डिजिटल पहुँच, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और किफायती, परिवर्तनकारी एवं टिकाऊ प्रौद्योगिकी के आधार पर सभी के लिये डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करेगा।

PM गतिशक्ति योजना:

- परिचय:
- वर्ष 2021 में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या 'नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान' लॉन्च किया।

उद्देश्य:

- ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाना, लागत में कमी और रोज़गार पैदा करने पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- गतिशक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' को समाहित किया जाएगा।
- लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना है।
- इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे (एक तमिलनाडु में तथा दूसरा उत्तर प्रदेश में) बनाना भी है।
- इसके तहत सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
- यह वर्ष 2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण करना शामिल है।

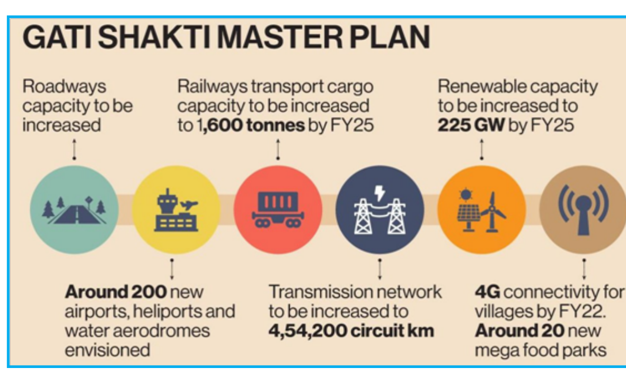

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन:

- परिचय: इसकी स्थापना वर्ष 2019 में दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा की गई थी।
- उद्देश्य: देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिये सार्वभौमिक एवं समान पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- इस परिकल्पना को पूरा करने के लिये यह ज़रूरी है कि देश भर में डिजिटल संचार अवसंरचना के सुचारू और कुशल परिनियोजन को सुगम बनाकर इसे बुनियादी ढाँचे का आधार बनाया जाए।
- "गतिशक्ति संचार" पोर्टल राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2 में परिकल्पित "सभी के लिये ब्रॉडबैंड" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक मज़बूत तंत्र प्रदान करेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त (25वें सीईसी) के रूप में नियुक्त किया।

- उन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है।

प्रमुख बिंदु

- भारत के चुनाव आयोग के बारे में:
- भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
  - चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है) को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
- यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
  - इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है।
- अनुच्छेद 324: चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है।
- अनुच्छेद 325: धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।
- अनुच्छेद 326: लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
- अनुच्छेद 327: विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिये कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 329: चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक।

निर्वाचन आयोग की संरचना:

- निर्वाचन आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के ज़रिये 16 अक्तूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया।
- निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, जो राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकता है, से मिलकर बनेगा।
- वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
  - राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा की जाती है जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल:

- राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- इनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) तक होता है।
- इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।

निष्कासन:

- वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।

सीमाएँ:

- संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की है।
- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है।

- संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

ECI की शक्तियाँ और कार्य:

प्रशासनिक:

- संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना।
- समय-समय पर मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना।
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
- यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव में 'आदर्श आचार संहिता' जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए।
- सलाहकार क्षेत्राधिकार और अर्द्ध-न्यायिक कार्य:
- संविधान के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों को निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है।
    - ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी है, किंतु ऐसे मामले पर राज्यपाल अपनी राय दे सकता है।
- इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं, इस सवाल पर आयोग की राय के लिये भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हाँ, तो किस अवधि के लिये।
- आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा करने में विफल रहा है।

उपासना स्थल अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में माँ श्रृंगारगौरी स्थल की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने के वाराणसी के एक सिविल न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा.

- मुख्य तर्क यह है कि वाराणसी न्यायालय का आदेश जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा "स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित" है।

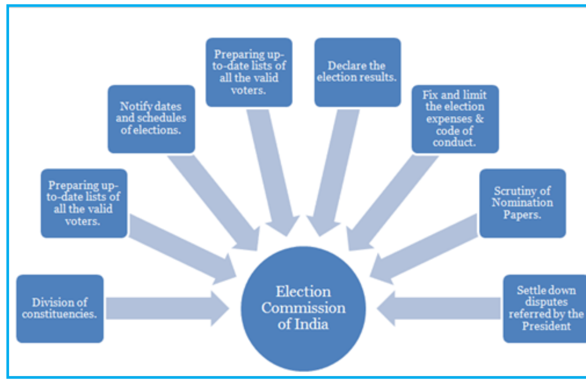

उपासना स्थल अधिनियम:

- यह अधिनियम किसी भी पूजा/उपासना स्थल की वस्तुस्थिति को उसी अवस्था में रोक देता/बनाए रखता है, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को थी।

छूट:

- अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इस छूट के चलते अयोध्या मामले में इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही।
- अयोध्या विवाद के अलावा इस अधिनियम में इन्हें भी छूट दी गई है:
    - कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, या एक पुरातात्त्विक स्थल है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा संरक्षित है।
    - एक ऐसा वाद जो अंततः निपटा दिया गया हो।
    - कोई भी विवाद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो या किसी स्थान का स्थानांतरण जो अधिनियम के शुरू होने से पहले सहमति से हुआ हो।

दंड:

- अधिनियम की धारा 6 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान करती है।

आलोचना:

- इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, साथ ही यह एक "मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि" आरोपित करता है जो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के धार्मिक अधिकारों को सीमित करता है।

प्रावधान:

- धारा 3: इस अधिनियम की धारा 3 उपासना स्थलों के परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है अर्थात् कोई भी व्यक्ति किसी भी

धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी भिन्न वर्ग या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा।

- धारा 4(1): यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त, 1947 तक अस्तित्व में आए पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति "पूर्ववत् बनी रहेगी"।
- धारा 4(2): इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
- इस उपखंड का प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही से बचाता है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर लंबित हैं, यदि वे कट-ऑफ तिथि के बाद पूजा स्थल के धार्मिक प्रकृति के रूपांतरण से संबंधित हैं।
- धारा 5: यह निर्धारित करता है कि अधिनियम रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

अयोध्या फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट की क्या राय थी?

- संविधान पीठ ने 2019 के अयोध्या फैसले में कानून का हवाला दिया और कहा कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है और कार्यवाहीं पर प्रतिबंधित करता है।
- इसलिये कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा हेतु बनाया गया विधायी साधन है जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है।

सामाजिक न्याय

सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने संयुक्त रूप से पहली 'सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट' (GReAT) जारी की।

सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट (GReAT) का उद्देश्य:

- यह रिपोर्ट सहायक प्रौद्योगिकी तक प्रभावी पहुँच पर एक वैश्विक रिपोर्ट तैयार करने हेतु वर्ष 2018 के विश्व स्वास्थ्य सभा के 71वें प्रस्ताव की परिणति है।
- रिपोर्ट का महत्त्व इसलिये है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिन लोगों को सहायक तकनीक की आवश्यकता है, उनमें से 90% तक इसकी पहुँच नहीं है। स्वास्थ्य प्रणालियों में सहायक प्रौद्योगिकी को शामिल करना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

लोगों को सहायक उत्पादों की आवश्यकता:

- 2.5 बिलियन से अधिक लोगों को एक या अधिक सहायक उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे- व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र या संचार और अनुभूति का समर्थन करने से संबंधित एप।

लोगों की सहायक उत्पादों तक कम पहुँच:

- विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहाँ सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुँच जीवन बदलने वाले उत्पादों की आवश्यकता के 3% जितनी कम हो सकती है, उनमें से लगभग एक अरब लोग सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुँच से वंचित हैं।
- भविष्य में सहायक उत्पादों की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या:
- बढ़ती उम्र और दुनिया भर में बढ़ती गैर-संचारी बीमारियों के प्रसार के कारण वर्ष 2050 तक एक या एक से अधिक सहायक उत्पादों की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3.5 बिलियन हो जाने की संभावना है।
- साथ ही इसकी वहनीयता पहुँच के लिये एक प्रमुख बाधा है।

सेवा प्रावधान और प्रशिक्षित कार्यबल में व्याप्त अंतराल:

- रिपोर्ट में दिखाए गए 70 देशों के एक सर्वेक्षण में विशेष रूप से अनुभूति, संचार और स्वयं की देखभाल के क्षेत्र में सहायक प्रौद्योगिकी के लिये सेवा प्रावधान तथा प्रशिक्षित कार्यबल में बड़ा अंतराल पाया गया है।

सहायक प्रौद्योगिकी:

- सहायक प्रौद्योगिकी कोई भी वस्तु, उपकरण का भाग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या उत्पाद प्रणाली है जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या सुधारने के लिये किया जाता है।
- उदाहरण:
  - कृत्रिम अंग, वॉकर, विशेष स्विच, विशेष प्रयोजन वाले कंप्यूटर, स्क्रीन-रीडर और विशेष पाठ्यचर्या सॉफ़्टवेयर जैसी तकनीकें एवं उपकरण आदि सहायक प्रौद्योगिकी के प्रमुख उदाहरण हैं।
- सार्वभौमिक सहायक प्रौद्योगिकी कवरेज का तात्पर्य है कि प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्ति सभी स्थानों पर सुलभ उन सभी सहायक प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने में सक्षम हो जिसको प्राप्त करने में उसे वित्तीय या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई प्राथमिक सहायक उत्पादों की सूची में बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिये श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, संचार सहायता, चश्मा, कृत्रिम अंग और अन्य आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं।

भारत में समस्या की भयावहता:

2011 की जनगणना:

- 2011 की जनगणना में विकलांग लोगों की संख्या का राष्ट्रीय अनुमान कुल जनसंख्या का 2.21% है, जिसमें दृश्य, श्रवण, मूक, अपाहिज और मानसिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या 19-59 आयु वर्ग में सबसे अधिक है।
- 2001 और 2011 की जनगणना अवधि के बीच देश की विकलांग आबादी में 22.4% की वृद्धि हुई, जबकि कुल जनसंख्या में 17.6% की वृद्धि हुई।

एनएसएस सर्वेक्षण:

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम की अधिसूचना 2016 के बाद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 76वें दौर (जुलाई-दिसंबर 2018) में बताया गया कि विकलांग व्यक्तियों में से 21.8% ने सरकार से सहायता प्राप्त करने की सूचना दी और 1.8% ने अन्य संगठनों से सहायता मिलने की बात कही।
  - रैपिड असिस्टिव टेक्नोलॉजी असेसमेंट (rATA) डब्ल्यूएचओ द्वारा राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण हेतु विकसित किया गया उपकरण है, जो सहायक तकनीक की अधूरी आवश्यकता का मापन करने के साथ ही भारत के लिये उपलब्ध होने पर मांग पक्ष का बारीकी से साक्ष्य प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य-उद्योग अंतराफलक (इंटरफेस) की आवश्यकता:

सार्वभौमिक सहायक प्रौद्योगिकी कवरेज सुनिश्चित करना:

- सार्वभौमिक सहायक प्रौद्योगिकी कवरेज सुनिश्चित करने हेतु UHC दृष्टिकोण को बनाए रखना आवश्यक है, जिससे प्रत्येक नागरिक के लिये बिना वित्तीय कठिनाई के सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
  - शामिल कार्य हैं: (i) सहायक प्रौद्योगिकी के पूरे स्पेक्ट्रम का उत्पादन और प्रावधान (ii) दीर्घकालिक देखभाल में आवश्यक रणनीति के रूप में पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत करना (iii) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर पुनर्वास (iv) समुदाय आधारित पुनर्वास को बढ़ावा देना।

उपयोगकर्त्ताओं की विविध ज़रूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक:

- उपयोगकर्त्ताओं की विविध ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी ज़रूरतों से मेल खाने वाले उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने हेतु सहायक प्रौद्योगिकी सिस्टम के घटकों का निर्माण और प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
- अकादमिक, उद्योग और सरकार के सहयोग से विनिर्माण क्षमता का विश्लेषण करने, विशिष्ट सहायक प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों की तत्काल आवश्यकता का पता लगाने एवं उपयोगकर्त्ताओं को अनुमोदित मानदंडों के अनुसार सुरक्षित, सुनिश्चित और प्रभावी उत्पाद प्रदान करने के लिये एक नियामक ढाँचा तैयार करने में मदद मिलेगी।

संबंधित पहल:

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ चल रही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आबादी के सबसे कमज़ोर 40% लोगों की पुनर्वास आवश्यकताओं को सहायक प्रौद्योगिकी से पूरा किया जा सकता है।
- विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना
- सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिये सुगम वातावरण का निर्माण
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
- विकलांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप
- विशिष्ट विकलांगता पहचान परियोजना
- विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

सिफारिशें:

- शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल प्रणालियों तक पहुँच में सुधार।
- सहायक उत्पादों की उपलब्धता, सुरक्षा, प्रभावशीलता और क्षमता सुनिश्चित करना।
- कार्यबल की क्षमता को बढ़ाना, उसमें विविधता लाना और सुधार करना।
- सहायक तकनीक के उपयोगकर्त्ताओं और उनके परिवारों को सक्रिय रूप से शामिल करना।
- जन जागरूकता बढ़ाना।
- डेटा और साक्ष्य-आधारित नीति में निवेश करना।
- अनुसंधान, नवाचार और एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करना।
- सक्षम वातावरण का विकास और उसमें निवेश करें।
- मानवीय प्रतिक्रियाओं में सहायक तकनीक को शामिल करें।
- राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन के लिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना।

राइस फोर्टिफिकेशन

चर्चा में क्यों?

हाल के परिणामों के अनुसार, सब्सिडी वाले आयरन-फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की केंद्र सरकार की योजना उन आदिवासियों या स्थानीय आबादी को फायदे की बजाय अधिक नुकसान पहुँचा सकती है जो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एवं आनुवंशिक बीमारियों से ग्रस्त हैं।

फूड फोर्टिफिकेशन:

फोर्टिफिकेशन:

- फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन्स और खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D) को संलग्न करने की प्रक्रिया से है, ताकि पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके।

- प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्त्व मूल रूप से भोजन में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।

राइस फोर्टिफिकेशन:

- खाद्य मंत्रालय के अनुसार, आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिये राइस फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है।
  - FSSAI के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में आयरन (28 mg-42.5 mg), फोलिक एसिड (75-125 माइक्रोग्राम) और विटामिन B-12 (0.75-1.25 माइक्रोग्राम) होगा।
- इसके अलावा चावल को जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी6 के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ अकेले या इनको संयोजित करके भी राइस फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता:

- भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में हर दूसरी महिला एनीमिया से ग्रस्त है और हर तीसरा बच्चा अविकसित है।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था।
- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी या सूक्ष्म पोषक तत्त्व कुपोषण, जिसे "छिपी हुई भूख" के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है।
- चावल भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है, जिसका सेवन लगभग दो-तिहाई आबादी करती है। भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रतिमाह है। इसलिये सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ राइस फोर्टिफिकेशन गरीबों के पूरक आहार का एक विकल्प हो सकता है।

फोर्टिफिकेशन से उत्पन्न मुद्दे:

अनिर्णायक साक्ष्य:

- प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने से पहले फोर्टिफिकेशन का समर्थन करने वाले साक्ष्य अनिर्णायक और निश्चित रूप से अपर्याप्त हैं।
- FSSAI फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिये जिन अध्ययनों पर निर्भर है, उनमें से कई अध्ययन निजी खाद्य कंपनियों द्वारा प्रायोजित हैं, जो इससे लाभान्वित होंगे, परिणामस्वरूप हितों के टकराव की भी संभावना है।

हाइपरविटामिनोसिस:

- हाइपरविटामिनोसिस विटामिन के असामान्य रूप से उच्च भंडारण स्तर की स्थिति है, जो विभिन्न लक्षणों जैसे कि अत्यधिक उत्तेजना, चिड़चिड़ापन या यहाँ तक कि विषाक्तता को जन्म दे सकती है।
- मेडिकल जर्नल 'लैंसेट' और 'अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन' में प्रकाशित हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि एनीमिया तथा विटामिन ए की कमी दोनों का निदान अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि अनिवार्य फोर्टिफिकेशन से 'हाइपरविटामिनोसिस' हो सकता है।

विषाक्तता:

- खाद्य पदार्थों के रासायनिक फोर्टिफिकेशन के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि पोषक तत्त्व अलगाव में काम नहीं करते हैं, लेकिन इनके अधिकतम अवशोषण के लिये एक-दूसरे की आवश्यकता होती है। भारत में अल्पपोषण का कारण सब्जियों और पशु प्रोटीन की कम खपत तथा अनाज आधारित आहार की वजह से है।
- एक या दो सिंथेटिक रासायनिक विटामिन और खनिजों को जोड़ने से इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं होगा तथा इससे अल्पपोषित आबादी में विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- वर्ष 2010 के एक अध्ययन में बताया गया है कि कुपोषित बच्चों में आयरन फोर्टिफिकेशन के कारण आँत में सूजन और रोगजनक आँत माइक्रोबायोटा प्रोफाइल की स्थिति देखी गई।

कार्टेलाइज़ेशन:

- अनिवार्य फोर्टिफिकेशन के चलते भारतीय किसानों, स्थानीय तेल और चावल मिलों सहित खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं की विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के एक छोटे समूह को लाभ मिलेगा, जिसके चलते 3,000 करोड़ रुपए का बाज़ार प्रभावित होगा।

प्राकृतिक भोजन के मूल्य में कमी:

- कुपोषण से लड़ने के लिये आहार विविधता एक स्वस्थ और अधिक लागत प्रभावी तरीका है।
- एक बार यदि आयरन-फोर्टिफाइड चावल एनीमिया के उपाय के रूप में बेचा जाने लगेगा तो बाजरा, हरी पत्तेदार सब्जियों की किस्मों, मांस खाद्य पदार्थ, कुछ प्राकृतिक रूप से लौह युक्त खाद्य पदार्थों के मूल्य एवं रुचियों में कमी आएगी।

आगे की राह

- किसी के भोजन के बारे में सूचित विकल्पों का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। कोई क्या खा रहा है यह जानने का अधिकार भी एक बुनियादी अधिकार है। फोर्टिफाइड चावल के मामले में यह देखा गया है कि प्राप्तकर्त्ताओं से कभी भी पूर्व सूचित सहमति नहीं मांगी गई थी।

- इसके बारे में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है क्योंकि अधिक मात्रा में लिये गए किसी भी पोषक तत्त्व से लाभ नहीं मिलेगा।
- यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन पोषण संबंधी कमियों का उचित विकल्प नहीं है।

भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा 'भारत में असमानता की स्थिति' रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट के बारे में:

परिचय:

- यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू विशेषताओं और श्रम बाज़ार के क्षेत्रों में असमानताओं पर जानकारी संकलित करती है।
  - इन क्षेत्रों में असमानताएँ जनसंख्या को अधिक संवेदनशील बनाती हैं और बहुआयामी गरीबी को प्रेरित करती हैं।
- यह रिपोर्ट देश में विभिन्न अभावों के पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में व्यापक विश्लेषण प्रदान कर असमानता की व्यापक जानकारी प्रस्तुत करती है, जिसका जनसंख्या के कल्याण और समग्र विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्ट के अंश:

- रिपोर्ट को दो खंडों में विभाजित किया गया है- आर्थिक पहलू और सामाजिक-आर्थिक अभिव्यक्तियाँ, यह पाँच प्रमुख क्षेत्रों की जाँच करती है जो असमानता की प्रकृति एवं अनुभव को प्रभावित करते हैं।
  - पाँच प्रमुख क्षेत्र हैं- आय वितरण, श्रम बाज़ार की गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू विशेषताएँ ।

रिपोर्ट का आधार:

- यह रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) तथा यूनाइटेड इनफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) के विभिन्न चरणों से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित है।
  - इस रिपोर्ट का प्रत्येक अध्याय बुनियादी ढाँचे की क्षमता और असमानता पर प्रभाव के संदर्भ में मामलों की वर्तमान स्थिति, चिंता के विषयों, सफलताओं तथा विफलताओं की व्याख्या करता है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- धन संकेंद्रण:
- ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 7.1% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 44.4% अधिक धन का संकेंद्रण हुआ है।
- बेरोज़गारी की दर:
- भारत की बेरोज़गारी दर 4.8% (2019-20) है और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.8% है।
  - वर्ष 2019-20 में विभिन्न रोज़गार श्रेणियों में उच्चतम प्रतिशत (45.78%) स्व-नियोजित श्रमिकों का था, इसके बाद नियमित वेतनभोगी श्रमिकों (33.5%) और आकस्मिक श्रमिकों (20.71%) का स्थान है।
  - स्व-नियोजित श्रमिकों की हिस्सेदारी भी निम्नतम आय श्रेणियों में सबसे अधिक है।

स्वास्थ्य अवसंरचना:

- स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ढाँचागत क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने से अपेक्षाकृत सुधार हुआ है।
- वर्ष 2005 में भारत में कुल 1,72,608 स्वास्थ्य केंद्रों से बढ़कर वर्ष 2020 में कुल स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 1,85,505 तक पहुँच गई है।
  - राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने वर्ष 2005 से वर्ष 2020 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों (उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित) में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

घरेलू परिस्थितियाँ:

- वर्ष 2019-20 तक 95% स्कूलों में परिसर के भीतर शौचालय सुविधाएँ (लड़कों के 95.9% और लड़कियों के 96.3% सुचारु शौचालय) थीं।
  - 80.16% स्कूलों में सुचारु विद्युत कनेक्शन था, जबकि गोवा, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली तथा दादरा एवं नगर हवेली के साथ-साथ दमन व दीव, लक्ष्यद्वीप, पुदुचेरी में 100% स्कूलों में विद्युत कनेक्शन मौजूद था।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, 97% परिवारों की विद्युत तक पहुँच है, जबकि 70% के पास बेहतर सफाई सेवाओं तक पहुँच है तथा 96% को सुरक्षित पीने योग्य जल उपलब्ध है।

शिक्षा:

- वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के बीच सकल नामांकन अनुपात भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में बढ़ा है।

स्वास्थ्य:

- NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 के शुरुआती तीन महीनों में गर्भवती महिलाओं में से 58.6 % महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जो वर्ष 2019-21 में बढ़कर 70% हो गया।
  - प्रसव के दो दिनों के भीतर 78% महिलाओं को डॉक्टर या सहायक नर्स से प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त हुई और 79.1% बच्चों को प्रसव के दो दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त हुई।
- हालाँकि अधिक वज़न, कम वज़न और एनीमिया की व्यापकता (विशेषकर बच्चों, किशोर लड़कियों एवं गर्भवती महिलाओं में) के संदर्भ में पोषण की कमी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त कम स्वास्थ्य कवरेज के कारण अधिक जेब खर्च होता है जो गरीबी की घटनाओं को सीधे प्रभावित करता है।

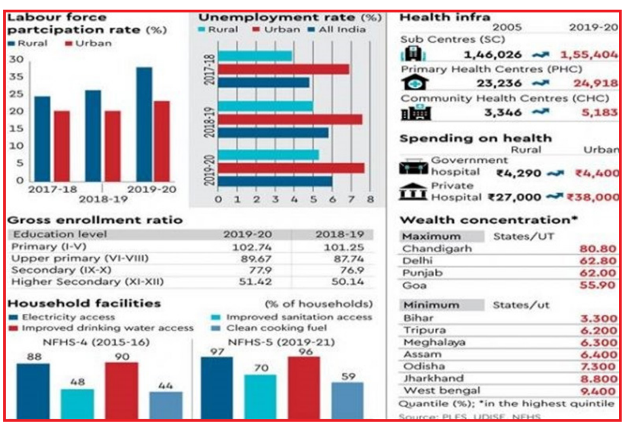

अन्य संबंधित रिपोर्ट:

- विश्व असमानता रिपोर्ट 2022
- भारत असमानता रिपोर्ट 2021
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई)

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- वर्ग की जानकारी प्रदान करने वाले आय स्लैब बनाना।
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्थापना।
- रोज़गार सृजित करना, विशेष रूप से शिक्षा के उच्च स्तर के बीच तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये बजट बढ़ाना।
- सुधार रणनीतियाँ, सामाजिक प्रगति और साझा समृद्धि के लिये एक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है।

चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूलकिट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बच्चों के लिये ऑनलाइन अनुभव को सुरक्षित बनाने के प्रयास में चाइल्ड ऑनलाइन सुरक्षा टूलकिट लॉन्च किया गया है।

टूलकिट से लाभ:

- परिचय:
  - यह ऑनलाइन विश्व में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिये एक व्यापक, व्यावहारिक मार्गदर्शिका है।
  - यह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया गया है।
  - इसमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को व्यावहारिक बनाने हेतु ऑनलाइन और प्रिंट दोनों माध्यमों में वर्कशीट और संसाधन उपलब्ध हैं।
- टूलकिट निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और ढाँचे के कार्यान्वयन का समर्थन करता है:
  - सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी)
  - बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC) डिजिटल वातावरण में बच्चों के अधिकारों पर सामान्य समीक्षा संख्या 25 (2021)।
  - सामान्य समीक्षा का उद्देश्य यह बताना है कि डिजिटल वातावरण के संबंध में राज्य पार्टियों को बाल अधिकार पर अभिसमय को कैसे लागू करना चाहिये।
- यह अभिसमय के तहत अपने दायित्वों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किये गए प्रासंगिक कानून, नीति और अन्य उपायों पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
  - वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस मॉडल नेशनल रिस्पांस (WeProtect Global Alliance Model National Response):
  - वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस 200 से अधिक सरकारों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों का वैश्विक आंदोलन है, जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के लिये वैश्विक प्रतिक्रिया में बदलाव के लिये एक साथ काम कर रहा है।
  - बाल ऑनलाइन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के दिशानिर्देश।
  - यह बच्चों और युवाओं के लिये सुरक्षित और सशक्त ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद करने के तरीके पर बच्चों, माता-पिता तथा शिक्षकों, उद्योग व नीति निर्माताओं हेतु सिफारिशों का व्यापक समुच्चय है।

- इसने बच्चों के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर यूनिसेफ के ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडेंस का भी इस्तेमाल किया।
    - मार्गदर्शन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीतियों और प्रथाओं में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना है, साथ ही इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि एआई सिस्टम इन अधिकारों को कैसे बनाए रख सकता है या कम कर सकता है।

टूलकिट का महत्त्व:

- सुभेद्यता:
    - भारत में 2019 में 34.4% (मुख्य रूप से महामारी के बाद के प्रभाव के रूप में) की तुलना में 2020 में 50% इंटरनेट की पहुँच देखी गई है।
    - इसलिये बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों में वृद्धि स्पष्ट हो जाती है क्योंकि भारत के 749 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं में से 232 मिलियन बच्चे हैं।
    - इंटरनेट एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य करता है जिसमें एक तरफ कनेक्टिविटी, ज्ञान तक पहुँच और मनोरंजन एवं दूसरी ओर हानिकारक व अनुचित सामग्री के संभावित जोखिम भी हैं।
- बाल यौन शोषण को संबोधित करना:
    - न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार प्रमुख चिंताएँ हैं।
    - वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 'नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन' को 65 मिलियन बाल यौन शोषण मामलों की सूचना दी गई थी, जबकि कई अन्य का पता नहीं चला था।
- एक डिजिटल वातावरण का निर्माण:
    - टूलकिट का तर्क है कि ऑनलाइन सुरक्षा की गारंटी केवल जोखिम और नुकसान के संबंध में नहीं है, इसका मतलब है कि सक्रिय रूप से एक ऐसा डिजिटल वातावरण तैयार करना जो हर बच्चे के लिये सुरक्षित हो।
    - 18 वर्ष से कम आयु के तीन में से एक व्यक्ति के ऑनलाइन होने से बच्चों के जीवन में डिजिटल तकनीक की केंद्रीयता का अर्थ है कि इसे उनकी गोपनीयता, सुरक्षा और अधिकारों के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिये।

संबंधित कदम:

- ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली:
    - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है जो पीड़ितों (या उनके प्रतिनिधियों) के लिये बाल शोषण और यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने हेतु एक गोपनीय मंच को सक्षम बनाता है।
- गृह मंत्रालय ने 'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम' योजना को मंजूरी दी है, जिसमें बाल अश्लीलता/बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार/सामूहिक बलात्कार छवियों या यौन सामग्री के मामलों के लिये एक ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शामिल है।
- बाल शोषण रोकथाम और जाँच इकाई:
    - यह अन्य प्रासंगिक कानूनों के अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आने वाले अपराधों की जाँच करता है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय संदर्भों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि कानूनों और विनियमों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक संरेखित किया जाए तथा सीमा पार सहयोग व समझ को बढ़ाया जाए।
    - अंत में यह राष्ट्र या राष्ट्रों के भीतर विद्यमान संगठनों पर निर्भर करता है कि वे बच्चों के लिये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिये टूलकिट का उपयोग करना चाहते हैं, और क्या वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का पालन करने का इरादा रखते हैं; जिनकी उन्होंने पुष्टि की है।
- ऑनलाइन बाल सुरक्षा की व्यापक और महत्त्वपूर्ण प्रकृति बच्चों की सुरक्षा करने वाले नियमों एवं तंत्रों की मांग करती है।
    - इस मुद्दे की पर्याप्त समझ सुनिश्चित करने के लिये बच्चे के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देना और साइबर अपराधों के पीड़ितों के लिये उचित प्रतिपूरक सेवाएँ विकसित करना अनिवार्य है।
- चेतावनी और सलाह, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।

CPWD द्वारा दिव्यांगों के लिये 4% आरक्षण की अनुमति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिये आरक्षित किये जाने वाले जूनियर इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल) के 4% पदों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की है, इस प्रावधान को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) द्वारा अनिवार्य बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय लोक निर्माण एजेंसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को 4% पदों और स्थानों की पहचान करने के लिये कहा है, जहाँ दिव्यांग व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है।
- CPWD ने क्षेत्रीय केंद्रों को भी PwDs के लिये "उचित आवास" बनाने के निर्देश दिये हैं, जैसा कि RPwD अधिनियम में भी उल्लिखित है।
- इससे पहले विशेषज्ञ समिति (CPWD के तहत) का मानना था कि PwDs को सर्वप्रथम उस स्थान के लिये अपेक्षित तकनीकी योग्यता या पद की आवश्यकता है और उसके पश्चात् उन्हें उस पद के लिये चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी।
- बाद में समिति ने CPWD को जेई (सिविल और इलेक्ट्रिकल) की भर्ती के लिये DEPWD की अधिसूचना का पालन करने की सलाह दी।

दिव्यांगता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद-41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर कार्य, शिक्षा व बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी प्रावधान करेगा।
- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'दिव्यांगों और बेरोज़गारों को राहत' विषय निर्दिष्ट है।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016:

परिभाषा:

- दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
- बेंचमार्क दिव्यांगता से तात्पर्य अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की कम-से-कम 40% दिव्यांगता से है।

प्रकार:

- दिव्यांगों के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
- इस अधिनियम में मानसिक बीमारी, ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ, भाषा दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरा, अंधापन, एसिड अटैक पीड़ितों और पार्किंसंस रोग सहित कई दिव्यांगताएँ शामिल हैं।
- इसके अलावा सरकार को निर्दिष्ट दिव्यांगता की किसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित करने के लिये भी अधिकृत किया गया है।

आरक्षण:

- दिव्यांगों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।

शिक्षा:

- बेंचमार्क दिव्यांगता वाले 6 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तपोषित एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता होगी।

अभिगम्यता:

- सुगम्य भारत अभियान के साथ-साथ सार्वजनिक भवनों में निर्धारित समय सीमा में पहुँच सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया है।

नियामक संस्था:

- दिव्यांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये नियामक एवं शिकायत निवारण निकायों के रूप में कार्य करेंगे।

विशेष कोष:

- दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक अलग राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा।

PwDs हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएँ:

दिशा (DISHA):

- यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगों के साथ 10 वर्ष तक के बच्चों के लिये प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना है।

विकास (VIKAAS):

- ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, या बहु-दिव्यांगता वाले 10 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये डे केयर कार्यक्रम ताकि उन्हें अपने पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल में सुधार करने में मदद मिल सके।

समर्थ (SAMARTH):

- अनाथों, संकटग्रस्त परिवारों और बीपीएल और एलआईजी परिवारों के दिव्यांग लोगों (जिनके पास राष्ट्रीय न्यास अधिनियम द्वारा कवर की गई चार दिव्यांगताओं में से कम-से-कम एक है) के लिये राहत गृह प्रदान करने का कार्यक्रम है।

घरौंदा (GHARAUNDA):

- यह योजना ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांग व्यक्ति को जीवन भर आवास और देखभाल सेवाएँ प्रदान करती है।

निरामाया (NIRAMAYA)

- यह योजना ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांग व्यक्तियों को किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिये है।

सहयोगी (SAHYOGI):

- दिव्यांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) और उनके परिवारों की कुशल देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने के लिये देखभालकर्त्ता प्रकोष्ठ (Caregiver Cells-CGCs) स्थापित करने की योजना है।

प्रेरणा (PRERNA):

- ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री के लिये व्यावहारिक व व्यापक प्रसार चैनल बनाने के लिये एक विपणन योजना।

समभाव (SAMBHAV):

- यह एड्स, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रकार के सहायक उपकरणों को इकट्ठा करने तथा व्यवस्थित करने के लिये प्रत्येक शहर में अतिरिक्त संसाधन केंद्र स्थापित करने की योजना है।

बढ़ते कदम (BADHTE KADAM):

- यह योजना राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) को राष्ट्रीय न्यास की अक्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियों को संचालित करने में सहायता करती है।

अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएँ:

- सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिये सुगम वातावरण का निर्माण।
- सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना (एडीआईपी)।
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना।
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप।
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना।
- दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD)

- CPWD जुलाई 1854 में अस्तित्व में आया जब लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की तथा अजमेर प्रांतीय डिवीज़न की नींव रखी।
- यह पिछले 164 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है।
- यह अब एक व्यापक निर्माण प्रबंधन विभाग के रूप में विकसित हो गया है, जो परियोजना की अवधारणा से लेकर पूर्णता, परामर्श और रखरखाव प्रबंधन तक सेवाएँ प्रदान करता है।
- इसकी अध्यक्षता महानिदेशक (DG) द्वारा की जाती है जो भारत सरकार का प्रधान तकनीकी सलाहकार भी हैं। क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों का नेतृत्व क्रमशः विशेष महानिदेशक एवं अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं, जबकि सभी राज्यों की राजधानियों (कुछ को छोड़कर) के क्षेत्रों का नेतृत्व मुख्य अभियंता करते हैं।
- CPWD की पूरे भारत में उपस्थिति है तथा यह दुष्कर इलाकों में भी जटिल परियोजनाओं के निर्माण और निर्माण के बाद के चरण में रखरखाव करने की क्षमता रखता है।
- CPWD वर्ष 1982 के एशियाई खेलों और वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिये स्टेडियमों के निर्माण एवं अन्य बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं की पूर्ति में शामिल था।

इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने अपनी बहुप्रचारित इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल रोज़गारों के बारे में विवरण जारी किया है।

- राजस्थान सरकार ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए रोज़गार योजना की घोषणा की थी।
- मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराता है, जबकि इसके अंतर्गत फुटपाथ विक्रेताओं के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में ढाबों और रेस्तराँ में काम करने वालों के लिये कोई प्रावधान नहीं था।

योजना:

परिचय:

- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोज़गार प्रदान किया जाएगा।
- "सामान्य प्रकृति" के श्रम कार्य के लिये सामग्री की लागत और भुगतान का अनुपात 25:75 के अनुपात में होगा, जबकि विशेष कार्यों के लिये यह अनुपात 75:25 होगा।
- इसके अंतर्गत अधिक-से-अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- दूसरी ओर, संपत्ति के निर्माण के लिये एक उच्च भौतिक घटक की आवश्यकता होगी, अतः 'विशेष कार्यों' के अंतर्गत यह अनुपात 75:25 है।

पात्रता:

- शहरी निकाय सीमा के भीतर रहने वाले सभी 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग योजना के लिये पात्र हैं और विशेष परिस्थितियों जैसे कि महामारी या आपदा में प्रवासी मज़दूरों को शामिल किया जा सकता है।

घटक:

पर्यावरण संरक्षण:

- सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण, पार्कों का रखरखाव, फुटपाथ और डिवाइडर पर पौधों की सिंचाई, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), वन, बागवानी एवं कृषि विभागों के तहत नर्सरी तैयार करना।

जल संरक्षण:

- तालाबों, झीलों, बावड़ियों आदि की सफाई और सुधार के लिये वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत तथा सफाई व जल स्रोतों की बहाली का कार्य कोई भी कर सकता है।

स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा से संबंधित कार्य:

- इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, श्रम कार्य, जिसमें घर-घर कचरा संग्रहण और पृथक्करण, डंपिंग स्थलों पर कचरे को अलग करना, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की सफाई तथा रखरखाव, नाले/नाली की सफाई के साथ-साथ निर्माण एवं विध्वंस से उत्पन्न कचरे को हटाने से संबंधित कार्य शामिल हैं।

संपत्ति के विरूपण से संबंधित कार्य:

- इसमें अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ अवैध बोर्ड/होर्डिंग/बैनर आदि को हटाने के लिये श्रम कार्य, साथ ही डिवाइडर, रेलिंग, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित पेंटिंग शामिल है।

अभिसरण:

- इस योजना के तहत उन लोगों को अन्य केंद्र या राज्य स्तर की योजनाओं में नियोजित किया जा सकता है जिनके पास पहले से ही भौतिक घटक है और श्रम कार्य की आवश्यकता होती है।

सेवा:

- इसमें गोशालाओं में श्रम कार्य एवं नागरिक निकायों के कार्यालयों में 'मल्टीटास्क सेवाएँ', रिकॉर्ड कीपिंग आदि शामिल हैं। साथ ही विरासत संरक्षण से संबंधित कार्य भी शामिल हैं।
- विविध कार्य, जैसे कि सुरक्षा/बाड़ लगाना/चारदीवारी/नगरीय निकायों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा से संबंधित कार्य, शहरी निकाय की सीमा के भीतर पार्किंग स्थलों का विकास व प्रबंधन, आवारा पशुओं को पकड़ना तथा उनका प्रबंधन करना आदि।

शहरी क्षेत्रों के लिये सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता:

- अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्त्ता: शहरी क्षेत्र देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अधिकांश देशों की तरह भारत के शहरी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं।
- भारतीय शहर आर्थिक उत्पादन में लगभग दो-तिहाई का योगदान करते हैं, जनसंख्या के एक बढ़ते हिस्से की मेज़बानी करते हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के मुख्य प्राप्तकर्त्ता हैं। वे नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के प्रवर्तक भी हैं।

व्यवसायों के लिये आकर्षण का केंद्र:

- शहर आर्थिक गतिविधियों की व्यापक विविधता के लिये एक सामूहिक आकर्षण केंद्र की स्थिति भी रखते हैं।
- अनुमापी और संकुलन लाभों (शैक्षिक सुविधाओं की आपूर्ति, आपूर्तिकर्त्ताओं की उपस्थिति आदि) के परिणामस्वरूप शहर व्यवसाय एवं लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं।

सामाजिक पूंजी का केंद्र:

- शहर सामाजिक पूंजी का केंद्र होते हैं। वे सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण समूहों के 'मिलन बिंदु' या भिन्न-भिन्न विचारों पर चर्चा का केंद्र होने की स्थिति भी रखते हैं।

शक्ति के केंद्र:

- शहर निरंतर विस्तार करने वाले शक्ति के केंद्र होते हैं,जो कस्बों और गाँवों की कीमत पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हैं।

शहरी रोज़गार योजनाओं का महत्त्व:

- ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को मज़बूत करके सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करता है।
- यह शहरी निवासियों को काम करने का वैधानिक अधिकार देता है और इस तरह संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को सुनिश्चित करता है।
- उदाहरण- मध्य प्रदेश में नई राज्य सरकार ने "युवा स्वाभिमान योजना" शुरू की है
- यह शहरी युवाओं के बीच कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिये रोज़गार प्रदान करता है और बेरोज़गारी की चिंताओं को दूर करता है।
- इस तरह के कार्यक्रम कस्बों में बहुत ज़रूरी सार्वजनिक निवेश ला सकते हैं, जो बदले में स्थानीय मांग को बढ़ावा दे सकते हैं, शहरी बुनियादी ढाँचे और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, अर्बन कॉमन्स को बहाल कर सकते हैं, शहरी युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं तथा यूएलबी की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं।

सरकार द्वारा की गईं अन्य पहलें:

- स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन
- पीएम-दक्ष योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- स्टार्ट अप इंडिया योजना

झारखंड:

- बिरसा हरित ग्राम योजना (BHGY), नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना (NPJSY) और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना (VSPHKVS)।

आगे की राह:

- शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा तक पहुँच प्रदान करने की आवश्यकता है।
- आजीविका सुरक्षा जाल का व्यापक कवरेज होना चाहिये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) द्वारा प्रदान किया गया ऐसा जाल केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है।
- मौजूदा वित्तीय क्षेत्र में शहरी आजीविका योजना शुरू की जा सकती है।
- संघ और राज्य मिलकर संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बना सकते हैं।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित किये जाने से शहरी क्षेत्रों में पलायन नहीं होगा क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने की उच्च लागत का ऑफसेट प्रभाव पड़ता है।
- परिसंपत्ति निर्माण से सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इसे परिसंपत्ति निर्माण या मज़दूरी-सामग्री अनुपात तक सीमित करना शहरी परिस्थिति में उपानुकूलतम (Suboptimal) हो सकता है।
- नगरपालिका सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया ज़ाना चाहिये।

विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वाँ सत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुख्यालय जिनेवा में 22 से 28 मई, 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एक अधिक लचीले वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढाँचा के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।
- विश्व स्वास्थ्य सभा, 2022 का विषय 'शांति के लिये स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिये शांति' है।
- भारत के मान्यता प्राप्त 'सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा)' को 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, ताकि "वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने, नेतृत्व करने और क्षेत्रीय स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता" के लिये उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी जा सके।

विश्व स्वास्थ्य सभा:

परिचय:

- विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी है।
- प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व अधिकतम तीन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।
- इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित रूप से वार्षिक सत्र और कभी-कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है।

विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य:

- विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है।
- यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है।
- यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council) को रिपोर्ट करती है।

75वें सत्र में केंद्रीय मंत्रियों के संबोधन की मुख्य विशेषताएँ:

- अधिक लचीले वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना के लिये टीकों और चिकित्सा विधान हेतु WHO की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।बौद्धिक संपदा पहलुओं सहित टीकों व दवाओं तक समान पहुँच की अनुमति दी जानी चाहिये।
- लागत प्रभावी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिये।
- WHO के अनुसार, भारत में कोविड के कारण 4.7 मिलियन मौतें (आधिकारिक आँकड़े का 10 गुना) दर्ज की गई हैं। इसलिये WHO के हालिया अभ्यास पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें कोविड-19 से सभी कारणों से अधिक मृत्यु दर दर्ज की गई है।

- भारत ने WHO से भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के माध्यम से प्रकाशित देश-विशिष्ट प्रामाणिक डेटा पर विचार करने का आग्रह किया।
- डेटा भविष्यवाणी के गणितीय मॉडल के उपयोग पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिये। नतीजतन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित) ने इस संबंध में WHO के दृष्टिकोण की निंदा करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ASHA):

परिचय:

- 'आशा' राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) के प्रमुख घटकों में से एक है।
- ये 25-45 वर्ष के आयु वर्ग में एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होती हैं, जो महिलाओं और बच्चों सहित ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करती हैं।
- आमतौर पर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा होती है। हालाँकि जनजातीय, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में काम के बोझ के आधार पर इस मानदंड को "एक आशा प्रति बस्ती" तक कम किया जा सकता है।

ज़िम्मेदारियाँ और भूमिका:

- लोगों को पोषण, बुनियादी स्वच्छता और स्वच्छ प्रथाओं, स्वस्थ रहने तथा काम करने की स्थिति आदि के बारे में ज्ञानकारी प्रदान करके स्वास्थ्य निर्धारकों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
  - वह मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है और लोगों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के समय पर उपयोग के लिये प्रोत्साहित करती है।
- जन्म की तैयारी, सुरक्षित प्रसव के महत्त्व, स्तनपान, गर्भनिरोधक, टीकाकरण, बच्चे की देखभाल और प्रजनन पथ के संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण (आरटीआई / एसटीआई) की रोकथाम पर महिलाओं को परामर्श देना।
- समुदाय को एकत्रित करके गाँव/उप-केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसवपूर्व जाँच (एएनसी), प्रसवोत्तर जाँच (पीएनसी), टीकाकरण, स्वच्छता और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाना।
- ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से कार्य कर व्यापक स्वास्थ्य योजना का विकास करना।
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बुखार, दस्त और मामूली चोटों जैसे मामूली विकारों के लिये प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना।
- गर्भवती महिलाओं और उन बच्चों के लिये अनुरक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें उपचार की आवश्यकता है या जिन्हें निकटतम स्वास्थ्य देखभाल सुविधा हेतु भर्ती करने की आवश्यकता है।
- उप-केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपने गाँव में जन्म और मृत्यु तथा समुदाय में किसी भी बीमारी के प्रकोप/असामान्य स्वास्थ्य चिंताओं के बारे में सूचित करना।

एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 'वर्ल्ड ऑफ वर्क' में एलजीबीटीआईक्यू+ (LGBTIQ+) व्यक्तियों को शामिल करने के लिये एक दस्तावेज़ जारी किया। यह कार्य प्राप्त करने के अधिकार पर LGBTIQ+ व्यक्तियों के लिये समान अवसर और उपचार सुनिश्चित करने हेतु कुछ सिफारिशें प्रदान करता है।

- LGBTIQ का मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटर-सेक्स और क्वीर है।
- प्लस साइन विविध SOGIESC लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ संदर्भों में विशेष आबादी को संदर्भित करने के लिये एलजीबी, एलजीबीटी या एलजीबीटीआई शब्द का उपयोग किया जाता है।
- SOGIESC शब्द यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं को संदर्भित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन:

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियाँ को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
- वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
- वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

अनुशंसाएँ:

राष्ट्रीय नीति और श्रम कानून की समीक्षा:

- राष्ट्रीय नीति और श्रम कानून की समीक्षा सरकारों को एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के लिये अपने देश की कार्य नीति के माहौल का आकलन करने की अनुमति देगी।
- यह कानूनी और नीतिगत माहौल में सुधार, भेदभाव और बहिष्कार को समाप्त करने, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के अनुपालन के लिये उचित पहलों की पहचान करने की अनुमति देगा।
  - LGBTIQ+ लोगों को उनके यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं के कारण विश्व भर में उत्पीड़न, हिंसा तथा भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
  - भेदभाव न केवल LGBTIQ+ व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के लिये बल्कि उद्यमों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिये भी हानिकारक है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम:

- इसने सदस्य देशों, नियोक्ता संगठनों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को समाज में LGBTIQ+ व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की।

परामर्श की सुविधा:

- नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के साथ सामाजिक संवाद के अलावा LGBTIQ+ समुदायों के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक है।
  - यह LGBTIQ+ व्यक्तियों को श्रम बाज़ार में प्रवेश करने और सामाजिक सुरक्षा सहित सरकारी योजनाओं तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं की पहचान करने की अनुमति देगा।

लघु और मध्यम उद्योग संघों के साथ कार्य:

- लिंग और यौन पहचान जैसे भेदभाव एवं कलंक को दूर करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकारों को छोटे एवं मध्यम क्षेत्र के संघों, क्षेत्रीय संघों तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले श्रमिक संघों के साथ काम करने के लिये प्रोत्साहित किया।

कार्यस्थल पर यौन भेदभाव का अंत:

- कार्यस्थल में यौन भेदभाव को समाप्त करने एवं LGBTIQ+ को कार्यस्थल में शामिल करने के लिये नियोक्ता संगठनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
  - अध्ययनों के अनुसार, LGBTIQ+ व्यक्तियों सहित कार्यस्थल में विविधता का होना व्यवसायों के लिये बेहतर हो सकता है।
  - यह एक रचनात्मक वातावरण का संकेत देता है जो आर्थिक विकास के लिये सही परिस्थितियों का निर्माण करता है।
  - नियोक्ता संगठन अपने सदस्यों को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, पक्षपोषण कर सकते हैं तथा कार्यस्थलों में LGBTIQ+ व्यक्तियों को शामिल करके जागरूकता बढ़ा सकते हैं, सामाजिक संवाद और सामूहिक सौदेबाज़ी को बढ़ावा दे सकते हैं एवं सदस्यों के बीच अच्छी प्रथाओं को सीखने व साझा करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार को व्यवस्थित और प्रयोग करना:
- ILO ने यूनियनों से LGBTIQ+ श्रमिकों को संगठित करने तथा उनके संघ की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में मदद करने के लिये कहा है।
  - श्रमिक संघ यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि LGBTIQ + श्रमिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्रतिनिधित्व नियोक्ताओं के साथ सामूहिक सौदेबाज़ी समझौतों और कार्यस्थल पर नीतियों तथा अन्य उपकरणों के रूप में किया जाए।
  - कई LGBTIQ+ कार्यकर्त्ता, विशेष रूप से छोटे कार्यस्थलों में अपने LGBTIQ+ साथियों या सहयोगियों के बिना अलग-थलग महसूस कर सकते हैं।

भारत में LGBTIQ+ समुदाय की स्थिति:

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'ट्रांसजेंडरों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता देना एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है।'
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जिन्हें LGBTQ समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है जो LGBTQ समुदाय की 'समावेशिता' को साकार करते हुए नागरिकों के सभी वर्गों पर लागू होता है।
- इसने भारत में संवैधानिक नैतिकता की श्रेष्ठता को यह मानते हुए भी बरकरार रखा कि कानून के समक्ष समानता को सार्वजनिक या धार्मिक नैतिकता को वरीयता देकर नकारा नहीं जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, 'यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के मुद्दों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवेदन पर योग्याकार्ता सिद्धांत' को भारतीय कानून के एक भाग के रूप में लागू किया जाना चाहिये।
  - 'योग्याकार्ता सिद्धांत' मानव अधिकारों के हिस्से के रूप में यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं।

- इन्हें वर्ष 2006 में इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों के विशिष्ट समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- समलैंगिक विवाह पर विवाद: शफीन जहान बनाम असोकन के.एम. और अन्य (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि साथी का चुनाव करना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो समलैंगिक जोड़ों पर भी लागू हो सकता है।
- हालाँकि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि भारत में एक विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह "जैविक पुरुष" और बच्चे पैदा करने में सक्षम "जैविक महिला" के बीच हो।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019: संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया गया, जिसमें लिंग और लैंगिक पहचान जैसी संकीर्ण सोच की आलोचना की गई।

पेशे के रूप में सेक्स वर्क की मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क को एक "पेशे" के रूप में मान्यता दी है और कहा कि इसके व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं।

- न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने वर्ष 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की मुख्य विशेषताएँ:

आपराधिक कानून:

- सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं और आपराधिक कानून सभी मामलों में 'आयु' और 'सहमति' के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिये।
    - जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमति से भाग ले रहा है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिये।
    - अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को प्राप्त है।
- जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है तो सेक्स वर्कर्स को "गिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ित" नहीं किया जाना चाहिये, "चूँकि स्वैच्छिक सेक्स वर्क अवैध नहीं है, जबकि वेश्यालय चलाना गैर-कानूनी है"।

एक यौनकर्मी के बच्चे के अधिकार:

- एक यौनकर्मी के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर माँ से अलग नहीं किया जाना चाहिये कि वह देह व्यापार में संलिप्त है।
- मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों और उनके बच्चों को भी प्राप्त है।
- इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौनकर्मियों के साथ रहता पाया जाता है, तो यह नहीं माना जाना चाहिये कि बच्चे की तस्करी की गई।
- यदि यौनकर्मी का दावा है कि वह उसका बेटा/बेटी है तो यह निर्धारित करने के लिये परीक्षण किया जा सकता है कि क्या दावा सही है और यदि ऐसा है, तो नाबालिग को ज़बरन अलग नहीं किया जाना चाहिये।

स्वास्थ्य देखभाल:

- यौन उत्पीड़न की शिकार यौनकर्मियों को तत्काल चिकित्सा-कानूनी देखभाल सहित हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

मीडिया की भूमिका:

- मीडिया को इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिये कि गिरफ्तारी, छापे और बचाव कार्यों के दौरान यौनकर्मियों की पहचान प्रकट न हो, चाहे वह पीड़ित हों या आरोपी और ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित न करें जिससे उसकी पहचान का खुलासा हो।

संबंधित प्रावधान/सर्वोच्च न्यायालय के विचार:

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम:

- भारत में यौन कार्य को नियंत्रित करने वाला कानून अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम है।
    - महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था।
- बाद में कानून में संशोधन किये गए और अधिनियम का नाम बदलकर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम कर दिया गया।

- कानून वेश्यालय चलाने, सार्वजनिक स्थान पर याचना करने, सेक्स वर्क की कमाई से जीने और एक सेक्स वर्कर के साथ रहने या आदतन रहने जैसे कृत्यों को दंडित करता है।

न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012-13):

- न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने यह भी स्वीकार किया था कि व्यावसायिक यौन शोषण के लिये तस्करी की जाने वाली महिलाओं और वयस्क, सहमति देने वाली महिलाओं के बीच अंतर है जो अपनी इच्छा से यौन कार्य में हैं।

बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामला:

- उच्चतम न्यायालय ने बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामले में कहा कि यौनकर्मियों को सम्मान का अधिकार है।

यौनकर्मियों के समक्ष चुनौतियाँ:

भेदभाव और दोषारोपण:

- यौनकर्मियों के अधिकार अस्तित्वहीन हैं और ऐसा काम करने वालों को उनकी आपराधिक स्थिति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- इन लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा समाज में इनका कोई स्थान नहीं होता है और अधिकांशत: ज़मींदारों एवं यहाँ तक कि कानून द्वारा भी इनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है।
- दूसरों के समान मानव, स्वास्थ्य और श्रम अधिकार दिये जाने की मांग के लिये उनकी लड़ाई जारी है क्योंकि उन्हें अन्य श्रमिकों के समान श्रेणी में नहीं माना जाता है।

दुर्व्यवहार और शोषण:

- कई बार यौनकर्मियों को कई तरह की गालियों का सामना करना पड़ता है जो शारीरिक से लेकर मानसिक हमलों तक होती हैं।
- उन्हें ग्राहकों, उनके अपने परिवार के सदस्यों, समुदाय और यहाँ तक कि उन लोगों से भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है जिन्हें कानून का पालन करना चाहिये।

आगे की राह

- सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता देने और इसे नैतिक स्वरूप प्रदान करने का समय आ गया है।
- सेक्स वर्क के अंतर्गत वयस्क पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन सेवाएँ प्रदान कर आजीविका चलाने; गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने एवं हिंसा, शोषण, सामाजिक कलंक व भेदभाव से मुक्ति का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।
- अब समय आ गया है कि हम श्रम के दृष्टिकोण से सेक्स वर्क पर पुनर्विचार करें, जहाँ हम उनके काम को पहचान प्रदान कर उन्हें बुनियादी श्रम अधिकारों की गारंटी भी उपलब्ध कराएँ।
- संसद को मौजूदा कानून पर फिर से विचार करना चाहिये और 'पीड़ित-बचाव-पुनर्वास' की प्रक्रिया में व्याप्त समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिये।
- संकट के इस समय में विशेष रूप से यह और भी महत्त्वपूर्ण है।

सरोगेसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक एकल पुरुष और एक महिला को सरोगेसी द्वारा बच्चा पैदा करने के बहिष्कार को चुनौती दी गई और वाणिज्यिक सरोगेसी के गैर-अपराधीकरण की मांग की गई है।

- याचिकाकर्त्ताओं ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत सरोगेसी का लाभ उठाने से प्रतिबंधित करने के विनियम को चुनौती दी है।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि सरोगेसी के माध्यम से बच्चे के जन्म के बारे में एक व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय, यानी प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का एक पहलू है।
- इस प्रकार सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने या जन्म देने के निर्णय को मूल रूप से प्रभावित करने वाले मामलों में हर नागरिक या व्यक्ति के अनुचित सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होने के निजता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021:

प्रावधान:

- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार, महिला जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा या तलाकशुदा है या कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते है।
- इसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर भी प्रतिबंध है, जो 10 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय है।
- कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जहाँ कोई पैसे का आदान-प्रदान नहीं होता है, साथ ही सरोगेट माँ आनुवंशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों से संबंधित होनी चाहिये।

चुनौतियाँ:

सरोगेट और बच्चे का शोषण:

- कोई भी यह तर्क दे सकता है कि राज्य को सरोगेसी के तहत गरीब महिलाओं के शोषण को रोकने के साथ बच्चे के जन्म लेने के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। हालाँकि वर्तमान अधिनियम इन दोनो चुनौतियों का निवारण करने में विफल है।
- पितृसत्तात्मक मानदंडों को मज़बूत करता है:
  - यह अधिनियम हमारे समाज के पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को मज़बूत करता है जो महिलाओं को उनके कार्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं देता है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के प्रजनन के मौलिक अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है।
- सरोगेट को वैध आय से वंचित करता है:
  - वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने से सरोगेट की आय का वैध स्रोत भी प्रतिबंधित हो जाता है, अर्थात् ऐसा करना सरोगेट करने के लिये इच्छुक महिलाओं की संख्या को और सीमित करना है।
  - कुल मिलाकर यह कदम परोक्ष रूप से उन युगलों को बच्चे से वंचित रखता है जो बच्चे पैदा करने के लिये इस विकल्प का चयन करना चाहते हैं।
- भावनात्मक जटिलताएँ:
  - परोपकारी सरोगेसी में दोस्त या रिश्तेदार सरोगेट माँ के रूप में न केवल इच्छुक माता-पिता के लिये बल्कि सरोगेट बच्चे के लिये भी भावनात्मक जटिलताओं का कारण बन सकता है क्योंकि यह सरोगेसी अवधि और जन्म के बाद रिश्ते को जोखिम में डाल सकता है।
  - परोपकारी सरोगेसी भी सरोगेट माँ चुनने में इच्छुक जोड़े के विकल्प को सीमित करती है क्योंकि बहुत सीमित रिश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिये तैयार होंगे।
- तृतीय-पक्ष भागीदारी नहीं:
  - एक परोपकारी सरोगेसी में कोई तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं है।
  - तीसरे पक्ष की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान इच्छित युगल चिकित्सा और अन्य विविध खर्चों को वहन करेगा, साथ ही उनका समर्थन करेगा।
  - कुल मिलाकर तीसरा पक्ष इच्छित जोड़े एवं सरोगेट माँ दोनों को जटिल प्रक्रिया के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है, जो परोपकारी सरोगेसी के मामले में संभव नहीं हो सकता है।

सरोगेसी:

परिचय:

- सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिये सहमत होती है।
- एक सरोगेट, जिसे कभी-कभी गर्भकालीन वाहक (Gestational Carrier,) भी कहा जाता है, एक महिला है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) के लिये गर्भधारण करती है, बच्चे को कोख में रखती है और फिर उस बच्चे को जन्म देती है।

परोपकारी सरोगेसी:

- इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को अन्य किसी प्रकार का मौद्रिक मुआवज़ा प्राप्त नहीं होता है।

वाणिज्यिक सरोगेसी:

- इसमें सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सेरोगेट माँ को मौद्रिक मुआवज़ा या इनाम (नकद या वस्तु) प्रदान किया जाता है।

सहायक प्रजनन तकनीक:

परिचय:

- सहायक प्रजनन तकनीक का प्रयोग बाँझपन की समस्या के समाधान के लिये किया जाता है। इसमें बाँझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जिसमें महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग किया ।
- इसमें महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लिये उन्हें शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद भ्रूण को दोबारा महिला के शरीर में डाल दिया जाता है।
- इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (In Vitro fertilization-IVF), ART का सबसे सामान्य और प्रभावशाली प्रकार है।

कानूनी प्रावधान:

- सहायक प्रजनन तकनीक अधिनियम (ART), 2021 राष्ट्रीय सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी बोर्ड की स्थापना करके सरोगेसी पर कानून के कार्यान्वयन के लिये एक प्रणाली प्रदान करता है।
- सहायक प्रजनन तकनीक (विनियम) विधेयक, 2021: यह सहायक प्रजनन तकनीक क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन तकनीक सेवाओं के सुरक्षित व नैतिक अभ्यास का प्रावधान करता है।

कमियाँ:

- अविवाहित और विषम लैंगिक जोड़ों का बहिष्करण:
  - यह अधिनियम अविवाहित पुरुषों, तलाकशुदा पुरुषों, विधुर, लिव-इन (Live-in) में रहने वाले, विषम लैंगिक युगल, ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जोड़ों (चाहे विवाहित या लिव-इन में रहने वाले) को सहायक प्रजनन तकनीक सेवाओं का लाभ उठाने से प्रतिबंधित करता है।
  - यह बहिष्करण प्रासंगिक है क्योंकि सरोगेसी अधिनियम भी उपरोक्त व्यक्तियों को प्रजनन की एक विधि के रूप में सरोगेसी का सहारा लेने से बाहर करता है।
- प्रजनन विकल्पों को कम करता है:
  - अधिनियम उन वैधानिक युगल तक सीमित है जो बाँझ हैं- वे जो एक वर्ष के असुरक्षित सहवास के बाद भी गर्भधारण करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार यह सीमितता के साथ-साथ बहिष्कृत लोगों के प्रजनन विकल्पों को काफी कम कर देता है।
- अनियंत्रित कीमतें:
  - सेवाओं की कीमतें विनियमित नहीं हैं; यह निश्चित रूप से सरल निर्देशों के साथ इसे ठीक किया जा सकता है।

आगे की राह

- चूंकि भारत इन प्रथाओं के प्रमुख केंद्रों में से एक है, यह अधिनियम निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिये गतिशील निरीक्षण की आवश्यकता है कि कानून तेज़ी से विकसित हो रही तकनीक, नैतिकता और सामाजिक परिवर्तनों में संतुलन स्थापित कर सके।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने WHO से संबंधित सुधारों पर ज़ोर दिया।

- भारत सरकार ने इस वर्ष (2021-22) G20 और BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों पर WHO में सुधार की आवश्यकता को बार-बार दोहराया है। WHO में सुधारों के लिये भारत के आह्वान का समर्थन विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से प्रारंभिक रूप से निपटने के बाद दुनिया भर के देशों द्वारा किया गया है।

भारत द्वारा सुझाए गए सुधार:

- अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (Public Health Emergency of International Concern- PHEIC) घोषणा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना:
- PHEIC की घोषणा करने के लिये स्पष्ट मापदंडों के साथ वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने की आवश्यता है।
- घोषणा प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

PHEIC का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जो:

- गंभीर, अचानक, असामान्य या अप्रत्याशित हो।
- प्रभावित राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य के निहितार्थ हो।
- जिसमें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता हो।

वित्तपोषण:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिये अधिकांश वित्तपोषण अतिरिक्त बजटीय योगदान से आता है, जो स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं और इन्हें सामान्य रूप से निर्धारित किया जाता है। WHO को इन फंडों के उपयोग में बहुत कम लचीलापन प्राप्त है।
- यह सुनिश्चित करने किया जाना चाहिये' कि अतिरिक्त बजटीय या स्वैच्छिक योगदान की आवश्यकता कहाँ सबसे अधिक है। WHO के पास उन क्षेत्रों में इसके उपयोग के लिये आवश्यक लचीलापन है।
- WHO के नियमित बजट को बढ़ाने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि विकासशील देशों पर भारी वित्तीय बोझ आरोपित किये बिना WHO की अधिकांश मुख्य गतिविधियों को इससे वित्तपोषित किया जा सके।
- वित्तपोषण तंत्र और जवाबदेही ढाँचे की पारदर्शिता सुनिश्चित करना:
- ऐसा कोई सहयोगी तंत्र नहीं है जिसमें सदस्य राज्यों के परामर्श से वास्तविक परियोजनाओं और गतिविधियों पर निर्णय लिया जाता है तथा वित्तीय मूल्य एवं सदस्य राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं या उनमें हो रही असामान्य देरी के संबंध में न ही कोई समीक्षा होती है।
- मज़बूत और सुरक्षित वित्तीय जवाबदेही ढाँचे की स्थापना से वित्तीय प्रवाह में अखंडता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- बढ़ी हुई जवाबदेही को देखते हुए डेटा रिपोर्टिंग और वित्त के वितरण के संबंध में उचित पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने की भी आवश्यकता है।

WHO और सदस्य राज्यों की प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि:

- IHR 2005 के कार्यान्वयन ने सदस्य राज्यों के बुनियादी स्वास्थ्य ढाँचे में महत्त्वपूर्ण कमियों को उजागर किया है। यह कोविड-19 महामारी से निपटने में उनकी क्षमता को देखते हुए और अधिक स्पष्ट हो गया है।
- यह आवश्यक है कि WHO द्वारा अपने सामान्य कार्यों के तहत की जाने वाली कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों में IHR 2005 के तहत उन आवश्यक सदस्य राज्यों में क्षमता निर्माण को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जहाँ सदस्य राज्यों द्वारा की गई IHR 2005 पर स्व-रिपोर्टिंग के आधार पर कमी पाई जाती है।

WHO के प्रशासनिक ढाँचे में सुधार:

- एक तकनीकी संगठन होने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन में अधिकांश कार्य स्वतंत्र विशेषज्ञों से बनी तकनीकी समितियों द्वारा किये जाते हैं। साथ ही इसके अलावा बीमारी के प्रकोप से जुड़े बढ़ते जोखिमों को देखते हुए WHO स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम (WHE) के प्रदर्शन के लिये ज़िम्मेदार स्वतंत्र निरीक्षण और सलाहकार समिति (IOAC) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

- WHO से मिलने वाली तकनीकी सलाह और सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्यों के लिये WHO के कामकाज में सदस्य राज्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
- सदस्य राज्यों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्यकारी बोर्ड की स्थायी समिति जैसे विशिष्ट तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

IHR के कार्यान्वयन में सुधार:

- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations- IHR) 2005 के तहत स्व-रिपोर्टिंग सदस्य राज्यों का एक दायित्व है। यद्यपि IHR के कार्यान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक है।
- IHR (2005) एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौते का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें WHO के सभी सदस्य राज्यों सहित विश्व भर के 196 देश शामिल हैं।
- इन विनियमों का उद्देश्य गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों (जिनमें एक देश से दूसरे देश में प्रसारित होने तथा मानव जाति के समक्ष जोखिम उत्पन्न करने की संभावना हो) को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करना है।
- IHR कार्यान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक आधार पर जारी रहनी चाहिये।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढाने के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित करना भी महत्त्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकासशील देशों के उन क्षेत्रों में सहायता हेतु निर्देशित किया जाना चाहिये जिनकी पहचान IHR के क्रियान्वयन में आवश्यक क्षमता की कमी वाले क्षेत्र के रूप में की गई है।

चिकित्सीय सुविधाओं, टीके और निदान तक पहुँच:

- यह महसूस किया गया है कि दोहा घोषणा के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये ट्रिप्स (TRIPS) समझौतों में प्रदान की गई छूट, कोविड-19 महामारी जैसे संकटों से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती है।
- कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिये सभी साधनों तक उचित, वहनीय और समान पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है और इस प्रकार उनके आवंटन हेतु एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

संक्रामक रोगों और महामारी के प्रबंधन हेतु वैश्विक ढाँचे का निर्माण:

- यह आवश्यक हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों, अवसंरचनात्मक तैयारी, मानव संसाधन और परीक्षण एवं निगरानी प्रणाली जैसी प्रासंगिक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं के संदर्भ में सदस्य राज्यों का समर्थन किया जाए तथा तथा इस संदर्भ में एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए।
- महामारी की संभावना वाले संक्रामक रोगों के लिये तैयारी और प्रतिक्रिया के संदर्भ में देशों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिये, जिसमें प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य आपात के लिये आर्थिक उपायों पर एक बहु-विषयक दृष्टिकोण (जिसमें स्वास्थ्य व प्राकृतिक विज्ञान के साथ-साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल है) का समावेश हो।

महामारी प्रबंधन हेतु वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता:

- नए इन्फ्लुएंज़ा विषाणुओं के कारण मानव जाति में रोगों के अत्यधिक प्रसार के जोखिम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में वैश्विक समुदाय द्वारा तत्काल इस समस्या के समाधान हेतु साहसिक प्रयास किये जाने और हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सतर्कता एवं तैयारियाँ सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
- वैश्विक महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया संबंधी क्षमता में सुधार तथा भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी का सामना करने की हमारी क्षमता को मज़बूती प्रदान करना वैश्विक भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिये।

फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने के लिये रुचि दिखाई है।

स्वीडन और फिनलैंड नाटो के सदस्य क्यों नहीं हैं?

फिनलैंड:

- यह इस तरह के गठबंधनों से दूर रहा है क्योंकि हमेशा अपने पड़ोसी रूस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था।

- लंबे समय तक नाटो में शामिल न होने या पश्चिम के बहुत करीब आने का विचार फ़िनलैंड के लिये अस्तित्व की बात थी।
- हालाँकि धारणा में बदलाव और नाटो में शामिल होने के लिये भारी समर्थन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद आया।

स्वीडन:

- फिनलैंड जिसके नीतिगत स्वरूप में अस्तित्व का मामला था, के विपरीत स्वीडन वैचारिक कारणों से संगठन में शामिल होने का विरोध करता रहा है।
- नाटो का सदस्य होने से इन राष्ट्रों को "अनुच्छेद 5" के तहत सुरक्षा गारंटी मिलेगी।

सदस्यता का अर्थ और नाटो को लाभ:

सुरक्षा की गारंटी:

- नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य 'एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। ज्ञातव्य है कि यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है।
- नाटो का सदस्य होने से इन राष्ट्रों को "अनुच्छेद 5" के तहत सुरक्षा गारंटी मिलेगी।

गठबंधन की स्थिति को मज़बूत करना:

- फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति उसके पक्ष में है यदि एक बार यह नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो और रूस की साझा सीमाओं की लंबाई दोगुनी हो जाएगी और यह बाल्टिक सागर में नाटो के गठबंधन की स्थिति को भी मज़बूती प्रदान करेगा।

रूस कीआक्रामकता का विरोध:

- अधिक संप्रभु शक्तियों द्वारा पश्चिम का पक्ष लेना और उसकी ताकत बढ़ाना रूस के लिये प्रतिकूल साबित हो सकता है।
- यदि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होते हैं, विशेषकर इन परिस्थितियों में "इस कदम से रूस को इस बात आभास होगा कि युद्ध उसके लिये प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर सकता है और यह कदम पश्चिमी एकता, संकल्प व सैन्य तैयारियों को और मज़बूती प्रदान कर सकता है"।

रूस और अन्य देशों की प्रतिक्रिया:

रूस:

- रूस ने स्वीडन और फिनलैंड द्वारा नाटो की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा करने पर सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की धमकी दी और उसके इस कदम के परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी।

यूरोपीय देश और अमेरिका:

- यूरोपीय राष्ट्रों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिनलैंड के इस कदम का स्वागत किया है।
- नॉर्वे और डेनमार्क ने कहा है कि वे नाटो की सदस्यता जल्द ही ग्रहण कर सकते हैं।
- अमेरिका ने कहा कि सदस्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार किये जाने तक वह किसी भी आवश्यक रक्षा सहायता प्रदान करने या किसी भी चिंता को दूर करने के लिये तैयार है।

- तुर्की:
  - तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध किया है।
  - तुर्की सरकार ने दावा किया कि वह पश्चिमी गठबंधन में अपनी सदस्यता का इस्तेमाल दोनों देशों द्वारा सदस्यता स्वीकार करने के कदमों को वीटो करने के लिये कर सकता है।
  - तुर्की सरकार ने कुर्द आतंकवादियों और अन्य समूहों जिन्हें आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया गया है,स्वीडन और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों द्वारा इस समूहों को समर्थन प्रदान करने का आरोप लगाते हुए इस कदम की आलोचना की है।

NATO क्या है?

- यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है।
- वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश शामिल हैं।
- इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे।
- मूल हस्ताक्षरकर्त्ताओं में शामिल थे- ग्रीस और तुर्की (1952), पश्चिम जर्मनी (1955, 1990 से जर्मनी के रूप में), स्पेन (1982), चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड (1999), बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया (2004), अल्बानिया एवं क्रोएशिया (2009), मोंटेनेग्रो (2017) व नॉर्थ मैसेडोनिया (2020)।
- फ्राँस वर्ष 1966 में नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से अलग हो गया लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा, इसने वर्ष 2009 में नाटो की सैन्य कमान में अपनी स्थिति पुन: दर्ज की।
- मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
- एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय: मॉन्स, बेल्जियम।

NATO के उद्देश्य:

- नाटो का मूल और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक एवं सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है।
- राजनीतिक उद्देश्य: नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों को समस्याओं को हल करने, आपसी विश्वास कायम करने तथा दीर्घावधि में संघर्ष को रोकने के लिये रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श व सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
- सैन्य उद्देश्य: नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रतिबद्ध है। राजनयिक प्रयास विफल होने की स्थिति में इसके पास संकट-प्रबंधन हेतु अभियान चलाने के लिये सैन्य शक्ति मौजूद है।
- ये ऑपरेशन नाटो की संस्थापक संधि के सामूहिक रक्षा खंड-वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 या संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किये जाते हैं।
  - अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 के हमलों के बाद नाटो ने अनुच्छेद 5 को केवल एक बार 12 सितंबर, 2001 को लागू किया है।

आगे की राह

- जैसे ही फिनलैंड नाटो में शामिल होता है, रूस-फिनलैंड सीमा पर और अधिक संख्या में रूसी सैनिकों की तैनाती करनी पड़ सकती है।
- फिनलैंड और रूस 1,300 किमी. की सीमा साझा करते हैं तथा फिनलैंड (और संभावित रूप से स्वीडन की भी) की नाटो सदस्यता के खिलाफ रूस की कार्रवाई फिनलैंड तथा संभावित रूप से स्वीडन की सीमा पर सैन्य तैनाती पर निर्भर हो सकती है।
- हो सकता है फिनलैंड के लोग तत्काल सैन्य नियोजन का विकल्प न चुनें और अपनी नाटो सदस्यता का उपयोग वे संभवत: रूस के लिये एक संकेत के रूप में करना चाहते हैं, लेकिन यदि वे लगातार खतरा महसूस करते हैं, तो संपूर्ण सैन्य नियोजन का विकल्प भी चुन सकते हैं।

भारत-नेपाल: हाल के घटनाक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी, नेपाल का दौरा किया है, जहाँ उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ एक बौद्ध विहार के निर्माण की आधारशिला रखी, जिसे भारत की सहायता से बनाया जाएगा।

- प्रधानमंत्री ने 2566वीं बुद्ध जयंती समारोह में हिस्सा लिया और नेपाल एवं भारत के बौद्ध विद्वानों तथा भिक्षुओं की एक सभा को संबोधित किया।
- प्रधानमंत्री ने नेपाल की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिये उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत-नेपाल संबंध हिमालय जितना ही मज़बूत और प्राचीन है।

यात्रा की मुख्य विशेषताएँ:

बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र:

- प्रधानमंत्री ने लुंबिनी मठ क्षेत्र नेपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिये शिलान्यास किया।
- इस केंद्र को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पक्षों के सार का आनंद लेने के लिये दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का स्वागत करने हेतु विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य दुनिया भर से लुंबिनी में आने वाले विद्वानों और बौद्ध तीर्थयात्रियों की सेवा करना है।

जल-विद्युत परियोजनाएँ:

- दोनों देशों ने 490.2 मेगावाट (MW) के अरुण-4 जल-विद्युत परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिये सतलुज जल-विद्युत निगम (SJVN) लिमिटेड तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के मध्य पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- नेपाल ने भारतीय कंपनियों को नेपाल में पश्चिम सेती जल-विद्युत परियोजना में निवेश करने के लिये भी आमंत्रित किया।

उपग्रह परिसर की स्थापना:

- भारत ने रूपन्देही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का एक उपग्रह परिसर स्थापित करने की पेशकश की है और भारतीय तथा नेपाली विश्वविद्यालयों के बीच कुछ समझौता ज्ञापनों को हस्ताक्षर करने के लिये भेजा है।

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना:

- नेपाल ने कुछ लंबित परियोजनाओं जैसे- पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, 1996 में नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि की एक महत्त्वपूर्ण शाखा तथा पश्चिम सेती जल-विद्युत परियोजना, जलाशय-प्रकार (Reservoir-Type) की विद्युत परियोजना, जिसकी अनुमानित क्षमता 1,200 मेगावाट (MW) है, पर भी चर्चा की।

नेपाल के साथ भारत के पूर्ववर्ती संबंध:

- 1950 की शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि दोनों देशों के मध्य मौजूद विशेष संबंधों की आधारशिला रही है।
- नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्त्व रखता है।
- भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं, उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्मस्थान लुंबिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है।
- हाल के वर्षों में नेपाल के साथ भारत के संबंधों में कुछ गिरावट आई है। वर्ष 2015 में भारत को नेपाल के संविधान प्रारूपण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और फिर एक "अनौपचारिक नाकाबंदी" के लिये दोषी ठहराया गया, जिसने भारत के खिलाफ व्यापक आक्रोश पैदा किया।
- वर्ष 2017 में नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर हस्ताक्षर किये, जिससे नेपाल में राजमार्ग, हवाई अड्डे और अन्य बुनियादी ढाँचे बनाए जाने थे। बीआरआई को भारत ने खारिज़ कर दिया था तथा नेपाल के इस कदम को चीन के प्रति झुकाव के तौर पर देखा जा रहा था।
- वर्ष 2019 में नेपाल ने उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख व सुस्ता (पश्चिम चंपारण ज़िला, बिहार) क्षेत्र पर नेपाल के हिस्से के रूप में दावा करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया।

भारत-नेपाल संबंधों में बाधाएँ:

- क्षेत्र-संबंधी विवाद: भारत-नेपाल संबंधों में एक प्रमुख बाधा कालापानी सीमा विवाद है। इन सीमाओं को वर्ष 1816 में अंग्रेज़ों द्वारा निर्धारित किया गया था और भारत को वे क्षेत्र विरासत में प्राप्त हुए जिन पर 1947 तक अंग्रेज़ क्षेत्रीय नियंत्रण रखते थे।
  - जब भारत-नेपाल सीमा का 98% सीमांकन किया गया था, तो दो क्षेत्रों- सुस्ता और कालापानी में यह कार्य अपूर्ण रहा।
  - वर्ष 2019 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा एवं लिपुलेख और बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले के सुस्ता क्षेत्र पर अपना दावा जताया।
- शांति और मित्रता संधि में निहित समस्याएँ: वर्ष 1950 में भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि पर नेपाल द्वारा हस्ताक्षर इस उद्देश्य से किये गए थे कि ब्रिटिश भारत के साथ उसके विशेष संबंध स्वतंत्र भारत के साथ भी जारी रहें तथा उन्हें भारत के साथ खुली सीमा एवं भारत में कार्य कर करने के अधिकार का लाभ मिलता रहे।
  - लेकिन वर्तमान में इसे एक असमान संबंध और भारतीय अधिरोपण के रूप में देखा जाता है।
  - इसे संशोधित और अद्यतन करने का विचार 1990 के दशक के मध्य से ही संयुक्त वक्तव्यों में प्रकट होता रहा है, लेकिन ऐसा छिटपुट व उत्साहहीन तरीके से ही हुआ।
- विमुद्रीकरण की अड़चन: नवंबर 2016 में भारत ने विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी और उच्च मूल्य के करेंसी नोट (₹1,000 और ₹500) के रूप में 15.44 ट्रिलियन रुपए वापस ले लिये। इनमें से 15.3 ट्रिलियन रुपए की नए नोटों के रूप में अर्थव्यवस्था में वापसी भी हो गई है।
  - लेकिन इस प्रक्रिया में कई नेपाली नागरिक जो कानूनी रूप से 25,000 रुपए भारतीय मुद्रा रखने के हकदार थे (यह देखते हुए कि नेपाली रुपया भारतीय रुपए के साथ सहयुक्त (Pegged) है) इससे वंचित कर दिये गए।
  - नेपाल राष्ट्र बैंक (नेपाल का केंद्रीय बैंक) के पास 7 करोड़ भारतीय रुपए हैं और अनुमान है कि सार्वजनिक धारिता 500 करोड़ रुपए की है।
  - नेपाल राष्ट्र बैंक के पास विमुद्रीकृत बिलों को स्वीकार करने से भारत के इनकार और एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप (EPG) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की अज्ञात परिणति ने नेपाल में भारत की छवि को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं की है।

आगे की राह

- वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के आक्रामक प्रदर्शन से बचा जाए और शांतिपूर्ण बातचीत के लिये आधार तैयार किया जाए जहाँ दोनों पक्ष संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए संभव समाधानों की तलाश करें। 'नेबरवुड फर्स्ट' की नीति के महत्त्वपूर्ण अनुपालन के लिये भारत को एक संवेदनशील और उदार भागीदार बनने की ज़रूरत है।
- भारत को लोगों के परस्पर-संपर्क, नौकरशाही संलग्नता के साथ-साथ राजनीतिक अंत:क्रिया के मामले में नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से संबद्ध होना चाहिये।
- बिजली व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिये कि भारत, नेपाल के लोगों में भरोसे का निर्माण कर सके। भारत में अधिकाधिक नवीकरणीय (सौर) ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद जल-विद्युत ही एकमात्र स्रोत है जो भारत में चरम मांग की पूर्ति कर सकता है।

- भारत-नेपाल के बीच हस्ताक्षरित 'द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौते'(BIPPA) पर नेपाल की ओर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
    - नेपाल में निजी क्षेत्र, विशेष रूप से व्यापार संघों की आड़ में कार्टेल, विदेशी निवेश के विरुद्ध कड़े संघर्ष चला रहे हैं।
    - महत्त्वपूर्ण है कि नेपाल यह संदेश दे कि वह भारतीय निवेश का स्वागत करता है।

विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. पिछले दशक में भारत-श्रीलंका व्यापार मूल्य लगातार बढ़ा है।
2. "वस्त्र और वस्त्र उत्पाद" भारत एवं बांग्लादेश के बीच व्यापार की महत्त्वपूर्ण वस्तु है।
3. पिछले प्वंच वर्षों में नेपाल दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: B

- वाणिज्य विभाग के आँकड़ों के अनुसार, एक दशक (2007 से 2016) के लिये भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार मूल्य 3.0, 3.4, 2.1, 3.8, 5.2, 4.5, 5.3, 7.0, 6.3, 4.8 (अरब अमेरिकी डॉलर में) था। यह व्यापार मूल्य की प्रवृत्ति में निरंतर उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। हालाँकि समग्र रूप से वृद्धि हुई है लेकिन इसे व्यापार मूल्य में लगातार वृद्धि के रूप में नहीं कहा जा सकता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारत के लिये निर्यात में 5% से अधिक एवं आयात में 7% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ बांग्लादेश प्रमुख कपड़ा व्यापार भागीदार रहा है, जबकि बांग्लादेश के साथ वार्षिक कपड़ा निर्यात औसतन 2,000 मिलियन डॉलर एवं आयात 400 मिलियन डॉलर का है (वर्ष: 2016-17)।
- निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ कपास के रेशे एवं धागे, मानव निर्मित कच्चे रेशे एवं मानव निर्मित फिलामेंट हैं, जबकि प्रमुख आयात की वस्तुओं में परिधान और कपड़े, फैब्रिक व अन्य निर्मित कपड़ा वस्तुएँ शामिल हैं। अत: कथन 2 सही है।
- आँकड़ों के अनुसार, 2016-17 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, इसके बाद नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव हैं। भारतीय निर्यात का स्तर भी इसी क्रम का अनुसरण करता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2016)

1. कुर्द - बांग्लादेश
2. मधेसी - नेपाल
3. रोहिंग्या - म्याँमार

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) केवल 3

उत्तर: C

- कुर्द: वे मेसोपोटामिया के मैदानी इलाकों और अब दक्षिण-पूर्वी तुर्की, उत्तर-पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर-पश्चिमी ईरान तथा दक्षिण-पश्चिमी आर्मेनिया के उच्चभूमि के स्वदेशी लोगों में से एक हैं। वे कई अलग-अलग धर्मों एवं पंथों का भी पालन करते हैं, हालाँकि बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं। अत: युग्म 1 सुमेलित नहीं है।
- मधेसी: यह जातीय समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय सीमा के करीब नेपाल के दक्षिणी मैदानों में रहता है। कुछ मुस्लिम एवं ईसाई के साथ मधेसी मुख्य रूप से हिंदू हैं। अत: युग्म 2 सही सुमेलित है।
- रोहिंग्या: ये वे जातीय समूह हैं जिनमें मुख्य रूप से मुस्लिम शामिल हैं, ये मुख्य रूप से पश्चिमी म्याँमार प्रांत रखाइन में रहते हैं। ये आमतौर पर बोली जाने वाली बर्मी भाषा के विपरीत बांग्ला भाषा बोलते हैं। म्याँमार के अधिकारियों के अनुसार, ये देश के अधिकृत नागरिक नहीं हैं। अत: युग्म 3 सुमेलित नहीं है।

जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 13 मई, 2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने जलवायु परिवर्तन को संयुक्त रूप से संबोधित करने, निम्न कार्बन तथा अनुकूलन संक्रमण में तेज़ी लाने वाले दृष्टिकोणों की खोज और सतत् तथा विकास करने के लिये फोरम की प्रासंगिकता को रेखांकित किया।

- बैठक की अध्यक्षता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने की थी और इसमें ब्रिक्स देशों- ब्राज़ील, रूस, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया था।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत ने अपने संबोधन में सावधानीपूर्वक खपत और अपशिष्ट में कमी पर आधारित स्थायी जीवनशैली को बढ़ावा देने सहित मज़बूत जलवायु कार्रवाई के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

- भारत वर्तमान में अक्षय ऊर्जा, स्थायी वास, अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से कार्बन सिंक निर्माण, सतत् परिवहन में परिवर्तन, ई-मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताएँ पूर्ण करने के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने आदि के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाकर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।
- भारत ने उत्तरोत्तर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करना जारी रखा है।
- विकासशील देशों का जलवायु कार्यों का महत्त्वाकांक्षी कार्यान्वयन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और पेरिस समझौते द्वारा अनिवार्य रूप से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा अन्य कार्यान्वयन समर्थन के महत्त्वाकांक्षी एवं पर्याप्त वितरण पर निर्भर है।
- ब्रिक्स देशों ने ग्लासगो निर्णय के अनुरूप जलवायु वित्त वितरण तथा COP 26 प्रेसीडेंसी द्वारा जारी जलवायु वित्त प्रदायगी योजना की दिशा में आगे बढ़ने आशा व्यक्त की है।
- ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने और सहयोग की विषय वस्तुओं को व्यापक एवं गहरा बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- इसके अतिरिक्त इन देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में नीतिगत आदान-प्रदान तथा सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई।

BRICS के बारे में:

- ब्रिक्स विश्व की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है।
  - ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिये BRIC शब्द का प्रयोग किया।
  - BRIC विदेश मंत्रियों की वर्ष 2006 में पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था।
  - दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर 2010 में BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने BRICS का संक्षिप्त नाम अपनाया।
- ब्रिक्स दुनिया के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, यह वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है।
- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।
  - भारत 2021 के लिये अध्यक्ष था।
- वर्ष 2014 में फोर्टालेजा (ब्राज़ील) में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB - शंघाई, चीन) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिये ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किये।

SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS)' की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) के तहत SCO के सदस्य देशों के बीच बैठक हुई। रूस द्वारा यूक्रेन पर अतिक्रमण करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण के बाद यह भारत में इस तरह की पहली बैठक है।

- SCO-RATS बैठक में विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने एवं सहयोग को बढ़ावा देने के एजेंडे पर चर्चा की गई है।
- भारत SCO (RATS SCO) के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की परिषद का अध्यक्ष है।

बैठक में चर्चा के प्रमुख बिंदु:

- अफगानिस्तान की स्थिति और तालिबान के हाथों अफगानिस्तान के पतन के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंता इस बैठक का मुख्य एजेंडा था।
- भारत ने SCO और इसके क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है, जो सुरक्षा एवं रक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है।

क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS):

- RATS शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का एक स्थायी निकाय है।
- इसका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा संवाद सुविधा प्रदान करना है।
- SCO-RATS का मुख्य कार्य समन्वय और सूचना साझा करना है।
- एक सदस्य के रूप में भारत ने SCO-RATS की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- भारत की स्थायी सदस्यता इसे अपने परिप्रेक्ष्य के लिये सदस्यों के बीच अधिक समझ विकसित करने में सक्षम बनाएगी।

शंघाई सहयोग संगठन:

परिचय:

- SCO वर्ष 2001 में बनाया गया था।
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को विशाल यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के लिये एक बहुपक्षीय संघ के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह उभरती चुनौतियों एवं खतरों का मुकाबला करने और व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ सांस्कृतिक तथा मानवीय सहयोग के लिये सेनाओं के शामिल होने की परिकल्पना करता है।
- वर्ष 2001 में SCO की स्थापना से पूर्व कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान 'शंघाई-5' नामक संगठन के सदस्य थे।
- वर्ष 1996 में 'शंघाई-5' का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं के माध्यम से हुआ था, चीन के साथ ये वार्ताएँ चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा सीमाओं पर स्थिरता की स्थिति बनाए रखने के लिये की गई थी।
- वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद 'शंघाई-5' को SCO नाम दिया गया।
- SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। रूसी एवं चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- SCO के दो स्थायी निकाय हैं:
- बीजिंग में SCO सचिवालय।
- ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।

- सदस्य देश: कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
  - हाल ही में इस संगठन में ईरान को शामिल करने की मंज़ूरी दी गई है।

नागोर्नो-करबख क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में,आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच वर्षों से विवादित रहे नागोर्नो-करबख (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र पर आर्मेनिया द्वारा संभावित रियायतों का विरोध बढ़ गया है।

- विवादित क्षेत्र नागोर्नो-करबख को लेकर 27 सितंबर, 2020 को आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच पुन: संघर्ष शुरू हो गया था, जो वर्ष 1990 के दशक के बाद से सबसे घातक था।

नागोर्नो-करबख क्षेत्र:

- परिचय:
  - नागोर्नो-करबख एक पहाड़ी और भारी वन क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - हालाँकि मूल अर्मेनियाई जो वहाँ की अधिकांश आबादी का गठन करते हैं, अज़ेरी शासन (अज़रबैजान की कानूनी प्रणाली) को अस्वीकार करते हैं।
  - वर्ष 1990 के दशक में एक युद्ध के बाद अज़रबैज़ान की सेना को इस क्षेत्र से बाहर धकेल दिये जाने के पश्चात् ये मूल अर्मेनियाई लोग आर्मेनिया के समर्थन से नागोर्नो-करबख के प्रशासनिक नियंत्रण में रह रहे हैं।
- रणनीतिक महत्त्व:
  - ऊर्जा संपन्न अज़रबैजान द्वारा पूरे काकेशस क्षेत्र (काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का क्षेत्र) में तुर्की से लेकर यूरोप तक गैस एवं तेल पाइपलाइनों की स्थापना की गई है।
  - इनमें से कुछ पाइपलाइनें संघर्ष क्षेत्र के बहुत ही नज़दीक (सीमा के 16 किमी.) से गुज़रती हैं।
  - दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में इन पाइपलाइनों को लक्षित किया जा सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना के साथ क्षेत्र से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा।

संघर्ष का कारण:

- संघर्ष की पृष्ठभूमि: संघर्ष को पूर्व-सोवियत के दौर में देखा जा सकता है जब यह क्षेत्र ओटोमन, रूसी और फारसी साम्राज्यों की सीमा के मिलन बिंदु पर था।
  - जब 1921 में अज़रबैजान और आर्मेनिया सोवियत गणराज्य बने तो रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) ने विवादित क्षेत्र में स्वायत्तता के बदले अज़रबैज़ान को नागोर्नो-करबख दे दिया।
  - 1980 के दशक में जैसे-जैसे सोवियत सत्ता कम होती गई नागोर्नो-करबख में अलगाववादी धाराएँ फिर से उभरीं। राष्ट्रीय सभा ने 1988 में क्षेत्र की स्वायत्तता को समाप्त करने और आर्मेनिया में शामिल होने के लिये मतदान किया।

- हालाँकि अज़रबैज़ान ने ऐसी सूचनाओं को गोपनीय रखा जिसके परिणामस्वरूप एक सैन्य संघर्ष हो गया।

- संघर्ष का तात्कालिक कारण: सोवियत संघ के सन्निकट पतन की पृष्ठभूमि में सितंबर 1991 में नागोर्नो-करबख द्वारा स्वतंत्रता की स्व-घोषणा के परिणामस्वरूप अज़रबैज़ान और नागोर्नो-करबख के बीच युद्ध हुआ जो आर्मेनिया द्वारा समर्थित था।
- युद्धविराम: लंबे संघर्ष के बाद रूस की मध्यस्थता के माध्यम से 1994 में युद्धविराम समझौता हुआ। तब से यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (OSCE) मिन्स्क समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्राँस की सह-अध्यक्षता में संघर्ष को हल करने के लिये अज़रबैज़ान तथा आर्मेनिया के साथ बड़े पैमाने पर काम किया गया है।
  - तब तक आर्मेनिया ने नागोर्नो-करबख पर कब्ज़ा कर लिया था और इसे अर्मेनियाई विद्रोहियों को सौंप दिया था।

भारत की भूमिका:

- आर्मेनिया के साथ भारत की मित्रता और सहयोग संधि (1995 में हस्ताक्षरित) है, जो भारत द्वारा अज़रबैजान को सैन्य या कोई अन्य सहायता प्रदान करने के लिये प्रतिबंधित करेगी।
- अज़रबैजान में ONGC/OVL ने एक तेल क्षेत्र परियोजना में निवेश किया है, जबकि गेल (GAIL) LNG में सहयोग की संभावनाएँ तलाश रहा है।
  - अज़रबैजान की अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) मार्ग पर पड़ती है, जो भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ता है।
  - यह कॉरिडोर बाकू-त्बिलिसी-कार पैसेंजर और फ्रेट रेल लिंक के माध्यम से भारत को तुर्की से भी जोड़ सकता है।
- आर्मेनिया कश्मीर मुद्दे पर भारत को अपना स्पष्ट समर्थन देता है, जबकि अज़रबैजान न केवल इसका विरोध करता है बल्कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के वक्तव्यों का समर्थन भी करता है।
- "नेबरहुड फर्स्ट", "एक्ट ईस्ट" या "भारत-मध्य एशिया वार्ता" के विपरीत भारत में दक्षिण काकेशस के लिये सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नीति का अभाव है।
- यह क्षेत्र अपनी विदेश नीति के रडार की परिधि पर बना हुआ है

आगे की राह

- संघर्ष अनिवार्य रूप से दो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के बीच का एक संघर्ष है। क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत अज़रबैजान द्वारा समर्थित और आत्मनिर्णय के अधिकार का सिद्धांत नागोर्नो-करबख द्वारा लागू किया गया एवं आर्मेनिया द्वारा समर्थित है।
- भारत के पास अज़रबैजान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन नहीं करने के पर्याप्त कारण हैं क्योंकि अज़रबैजान जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के मामले में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है।
- साथ ही भारत के लिये नागोर्नो करबख का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना मुश्किल है, जो भारत के लिये संभावित नतीजों को देखते हुए आत्मनिर्णय के आधार पर सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे भारत के विरोधी देश न केवल कश्मीर के साथ संबंध स्थापित कर इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, बल्कि भारत के कुछ हिस्सों में अलगाववादी आंदोलन को फिर से बढ़ावा दे सकते हैं।

निवेश प्रोत्साहन समझौता (IIA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोक्यो, जापान में निवेश प्रोत्साहन समझौते (IIA) पर हस्ताक्षर किये।

निवेश प्रोत्साहन समझौते (IIA) के बारे में:

- परिचय:
  - यह निवेश प्रोत्साहन समझौता वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते को प्रतिस्थापित करता है।
  - वर्ष 1997 में पूर्ववर्ती IIA पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से महत्त्वपूर्ण विकास हुए हैं, जैसे कि विकास वित्त निगम (DFC) नामक नए संगठन की स्थापना।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया कानून, बिल्ड एक्ट 2018 के अधिनियमन के बाद DFC को पूर्ववर्ती ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (OPIC) की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- उद्देश्य:
  - DFC द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों, जैसे- ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पुनर्बीमा, संभावित परियोजनाओं और अनुदानों के लिये व्यवहार्यता अध्ययन के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
  - समझौता DFC के लिये कानूनी आवश्यकता है ताकि भारत में निवेश सहायता प्रदान करने का कार्य जारी रखा जा सके।
  - यह अपेक्षित है कि IIA पर हस्ताक्षर से भारत में DFC द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी, जिससे भारत के विकास में और मदद मिलेगी।

भारत में DFC की स्थिति:

- DFC या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियाँ भारत में 1974 से सक्रिय रही हैं, जो कुल 5.8 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं, जिसमें से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर अभी भी बकाया है।

- भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिये DFC द्वारा 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
- DFC ने उन क्षेत्रों में निवेश सहायता प्रदान की है जो विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, लघु और मध्यम उद्यम (SME) वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढाँचा आदि।

भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति:

- परिचय:
  - भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक "वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" के रूप में विकसित हुए हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते अभिसरण पर आधारित हैं।
  - वर्ष 2015 में दोनों देशों ने दिल्ली मैत्री घोषणा जारी की और एशिया-प्रशांत तथा हिंद महासागर क्षेत्र के लिये एक संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया।
- असैन्य-परमाणु समझौता:
  - अक्तूबर 2008 में द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन:
  - 'साझेदारी से उन्नत स्वच्छ ऊर्जा' (Partnership to Advance Clean Energy- PACE) पहल के अंतर्गत एक प्राथमिक पहल के रूप में अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DoI) तथा भारत सरकार ने संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र (JCERDC) की स्थापना की है, जिसकी अभिकल्पना स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है।
  - लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021 में यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप' (SCEP) की शुरुआत की गई।
- रक्षा सहयोग:
  - वर्ष 2005 में 'भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिये नए ढाँचे' पर हस्ताक्षर के साथ रक्षा संबंध भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, जिसे 2015 में 10 वर्षों के लिये और अद्यतित किया गया था।
  - भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण रक्षा समझौते किये हैं तथा चार देशों (भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया) के गठबंधन 'क्वाड' को भी औपचारिक रूप दिया है।
  - इस गठबंधन को हिंद-प्रशांत में चीन के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
  - नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को एक अलग आयाम पर पहुँचा दिया, यह 13 वर्षों में पहली बार था जब क्वाड के सभी चार देश चीन को सशक्त संदेश देते हुए एक साथ एक मंच पर नज़र आए।
  - भारत के पास अब अफ्रीका में जिबूती से लेकर प्रशांत महासागर में गुआम तक अमेरिकी ठिकानों तक पहुँच है। भारत, अमेरिकी रक्षा में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार प्रौद्योगिकी तक भी पहुँच सकता है।
  - भारत और अमेरिका के बीच चार मूलभूत रक्षा समझौते हुए हैं:
  - भू-स्थानिक सहयोग के लिये बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता, BECA
  - सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA)
  - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)
  - संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)
  - भारत-अमेरिका ने आतंकवाद-रोधी सहयोग पहल पर वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किये थे ताकि आतंकवाद का मुकाबला करने, सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण पर सहयोग का विस्तार किया जा सके।
  - एक त्रि-सेवा अभ्यास- टाइगर ट्रायम्फ नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था।
  - द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अभ्यासों में शामिल हैं: युद्ध अभ्यास (सेना); वज्र प्रहार (विशेष बल); रिमपैक; रेड फ्लैग।
- व्यापार:
  - अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिये एक प्रमुख गंतव्य है।
  - अमेरिका ने वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरीशस का स्थान लिया।
  - पिछली अमेरिकी सरकार ने भारत की विशेष व्यापार स्थिति (GSP) को समाप्त कर दिया और कई प्रतिबंध भी लगाए, भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध के साथ इसका प्रत्युत्तर दिया।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी:
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) पृथ्वी अवलोकन के लिये एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह को साकार करने के लिये मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) है।

आगे की राह

- भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुज़र रही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। यह अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग अपने महत्त्वपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिये करेगा।
- भारत और अमेरिका वर्तमान में सही अर्थों में रणनीतिक साझेदार हैं - परिपक्व शक्तियों के बीच साझेदारी कभी पूर्ण एकरूपता में नहीं परिवर्तित हो पाता। इसका सरोकार निरंतर संवाद के माध्यम से मतभेदों को दूर कर नए अवसर तलाशने से होता है।

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) को लॉन्च करने के लिये टोक्यो में एक कार्यक्रम में भाग लिया।

- यह आर्थिक पहल टोक्यो में क्वाड लीडर्स (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के दूसरे इन-पर्सन समिट से एक दिन पहले संपन्न हुई।

क्वाड (QUAD):

- यह चार लोकतांत्रिक देशों- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है।
- इन चारों देशों का एक समान आधार है, इनका लोकतांत्रिक होने के साथ-साथ ये निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हितों का समर्थन भी करते हैं।
- क्वाड को "मुक्त, खुला और समृद्ध" हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा समर्थन करने का साझा उद्देश्य रखने वाले चार लोकतंत्रों के रूप में पहचाना गया है।
- क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी, हालाँकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
- अंततः वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस "चतुर्भुज" गठबंधन का गठन किया।

IPEF का महत्त्व:

परिचय:

- यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करना है।
- IPEF को 12 देशों के प्रारंभिक भागीदारों के साथ लॉन्च किया गया था जो सामूहिक रूप से विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 40% की हिस्सेदारी रखते हैं।

भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिये अवसर:

- इसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख गंतव्य बनाना है।

आर्थिक दृष्टि:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के 60% से अधिक में अपनी हिस्सेदारी रखता है तथा जो राष्ट्र भविष्य में इस ढाँचे में शामिल होंगे, वे आर्थिक प्रगति को दिशा प्रदान करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इससे समान रूप से लाभान्वित होंगे।

- लक्षित क्षेत्र: पारंपरिक व्यापार क्षेत्रों के विपरीत IPEF टैरिफ या बाज़ार पहुँच पर बातचीत न कर यह ढाँचा चार क्षेत्रों में भागीदार देशों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं:
  - व्यापार: यह उच्च मानक, समावेशी, मुक्त और निष्पक्ष-व्यापार प्रतिबद्धताओं का निर्माण करने एवं व्यापार व प्रौद्योगिकी नीति में नए तथा रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का इरादा रखता है जो आर्थिक गतिविधि और निवेश को बढ़ावा देने वाले उद्देश्यों के व्यापक उपायों को आगे बढ़ाता है एवं सतत् व समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है।
  - आपूर्ति शृंखला: IPEF आपूर्ति शृंखलाओं में पारदर्शिता, विविधता, सुरक्षा और स्थिरता में सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें अधिक लचीला और अच्छी तरह से एकीकृत किया जा सके।
  - संकट के समय प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करना, व्यापार निरंतरता को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिये व्यवधानों के प्रभावों को बेहतर ढंग से दूर करने और कम करने के लिये सहयोग का विस्तार करना, रसद दक्षता एवं समर्थन में सुधार, प्रमुख कच्चे माल तथा प्रसंस्कृत सामग्री, अर्द्धचालक, महत्त्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइज़ेशन और अवसंरचना: पेरिस समझौते के लक्ष्यों और लोगों एवं श्रमिकों की आजीविका का समर्थन करने के प्रयासों के अनुरूप यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डीकार्बोनाइज़ करने और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीली बनाने के लिये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास व तैनाती में तेज़ी लाने की योजनाओं पर काम कर रहा है।

- ◆ इसमें प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को मज़बूत करना, रियायती वित्त सहित तकनीकी सहायता प्रदान करके प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों की तलाश करना शामिल है।
- ◆ कर और भ्रष्टाचार-रोधी: यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये मौजूदा बहुपक्षीय दायित्वों, मानकों तथा समझौतों के अनुरूप प्रभावी एवं मज़बूत टैक्स-एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत-विरोधी शासन लागू करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।
- ◆ इसमें विशेषज्ञता साझा करना और जवाबदेह तथा पारदर्शी प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक क्षमता निर्माण का समर्थन करने के तरीकों की तलाश करना शामिल है।

भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिये भारत का दृष्टिकोण:

- इस क्षेत्र में भारत का व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है, विदेशी निवेश को पूर्व की ओर निर्देशित किया जा रहा है, उदाहरण के लिये जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते तथा आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) एवं थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते।
- भारत एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का सक्रिय समर्थक रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा आसियान के सदस्यों ने इस क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका को लेकर समान विचार व्यक्त किया है।
- भारत अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ हिंद-प्रशांत में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।
- भारत का विचार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना है ताकि नियम-आधारित बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था का सहकारी प्रबंधन किया जा सके तथा किसी एक शक्ति को इस क्षेत्र या इसके जलमार्गों पर हावी होने से रोका जा सके।

भारत-कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 7वीं भारत-कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति (JSTCC) की बैठक में दो समझौता ज्ञापनों (MoUs) का नवीनीकरण किया गया।

- वर्ष 2005 के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते के तहत भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कनाडा के प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद (NSERC) तथा राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद कनाडा (NRC) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये थे।
- इससे पहले भारत और कनाडा ने व्यापार एवं निवेश (MDTI) पर पाँचवीं मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की, जिसमें मंत्रियों ने औपचारिक रूप से भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिये वार्ता को फिर से शुरू करने और एक अंतरिम समझौते या प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (EPTA) पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जो दोनों देशों को वाणिज्यिक लाभ प्रदान कर सकता है।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर-फिज़िकल प्रणाली शामिल हैं।
  - ◆ कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में भारतीय छात्र इस सहयोग से लाभान्वित होंगे।
- भारत और कनाडा मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों से लाभान्वित होते हैं तथा संबंधों को और मज़बूत करने के लिये प्रतिबद्ध हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार दोनों देशों के मध्य स्थापित संबंधों के प्रमुख स्तंभ हैं।
- वर्ष 2005 में किये गए समझौते की शर्तों के तहत कनाडा और भारत के शोधकर्त्ताओं एवं नवोन्मेषकों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा करने के लिये प्रत्येक 2 साल में बैठक आयोजित की जाती है और कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान तथा संबंधित प्रौद्योगिकियाँ, स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ व पर्यावरण अनुसंधान, समुद्री एवं ध्रुवीय अनुसंधान, क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा मानव क्षमता विकास व रिसर्च मॉबिलिटी जैसे विभिन्न नए क्षेत्रों में अगली अवधि के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं।
- दोनों देश वर्ष 2022-2024 के लिये द्विपक्षीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) सहयोग को लेकर मुख्य प्राथमिकताओं की प्रगति की निगरानी जारी रखने पर सहमत हुए।
- भारत अन्य देशों के साथ अकादमिक और वैज्ञानिक संबंधों को सुगम बनाकर वैश्विक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय भूमिका निभाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में भारत-कनाडा सहयोग:

राजनीतिक:

- भारत और कनाडा संसदीय ढाँचे एवं प्रक्रियाओं में समानताएँ साझा करते हैं। अक्तूबर 2019 में आम चुनाव के बाद हाउस ऑफ कॉमन के सांसद राज सैनी को कनाडा-भारत संसदीय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- वर्ष 2020 तक कनाडाई संसद में हाउस ऑफ कॉमन (कुल संख्या 338) में भारतीय मूल के 22 सदस्य हैं।
- भारत में कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है। कनाडा के बंगलूरू, चंडीगढ़ और मुंबई में महावाणिज्य दूतावास हैं, साथ ही अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद व कोलकाता में व्यापार कार्यालय भी हैं
- कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व ओटावा में एक उच्चायोग और टोरंटो तथा वैंकूवर में वाणिज्य दूतावासों द्वारा किया जाता है।

आर्थिक:

- भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब अमेरिकी डॉलर का है।
- भारत में 400 से अधिक कनाडाई कंपनियों की उपस्थिति है और 1,000 से अधिक कंपनियाँ भारतीय बाज़ार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं।
- कनाडा में भारतीय कंपनियाँ सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, स्टील, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
- कनाडा को भारत फार्मा, लोहा एवं इस्पात, रसायन, रत्न एवं गहने, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर निर्यात करता हैं।
- चूँकि कनाडा ऊर्जा महाशक्ति' है जिसके पास यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज, और उन्नत जलविद्युत प्रौद्योगिकी, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे विश्व के बड़े संसाधन है, इसलिये भारत कनाडा के साथ ऊर्जा के क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करता है।

विज्ञान और तकनीक:

- IC-IMPACTS कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य देखभाल, कृषि-बायोटेक और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करता है।
- IC-IMPACTS (भारत-कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स टू एक्सीलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी) पहला और एकमात्र, कनाडा-इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसे कनाडा के नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (NCE) के माध्यम से समर्पित केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इससे कनाडा और भारत के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा ने शीत जलवायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान-प्रदान के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।

अंतरिक्ष:

- भारत और कनाडा 1990 के दशक से मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष मिशनों हेतु ज़मीनी समर्थन प्रदान कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफल सहकारी व वाणिज्यिक संबंधों का अनुसरण कर रहे हैं।
- इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने बाहरी अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- ISRO की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स की सहायता से कनाडा के कई नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है।
- इसरो ने वर्ष 2018 में लॉन्च किये गए अपने 100वें सैटेलाइट पीएसएलवी में श्रीहरिकोटा से कनाडा का पहला LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) सैटेलाइट भी लॉन्च किया।

रक्षा क्षेत्र:

- भारत और कनाडा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल और जी-20 के माध्यम से घनिष्ठ सहयोग करते हैं।
- वर्ष 2015 में डीआरडीओ और कनाडा की रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच सहयोग पर एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार द्वारा आतंकवाद तथा हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने हेतु भारत व कनाडा के बीच सहयोग ढाँचे के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिये एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।
- आतंकवाद के मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य समूह के ढाँचे के माध्यम से पर्याप्त भागीदारी की गई है।

अमेरिका-ताइवान संबंध

चर्चा में क्यों?

जापान मे क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन द्वारा आक्रमण की स्थिति में ताइवान को सैन्य सहायता प्रदान करने के संबंध में एक सवाल के जवाब में विवादास्पद बयान दिया है।

- इसने सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका ताइवान पर रणनीतिक अस्पष्टता की अपनी दीर्घकालिक नीति से रणनीतिक स्पष्टता की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

- क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।

ताइवान का मुद्दा:

चीन-ताइवान संबंध:

- ताइवान, ताइवान जलडमरूमध्य में एक द्वीपीय क्षेत्र है, जो मुख्य भूमि चीन के तट पर स्थित है।
- 1945-1949 के चीनी गृहयुद्ध में कम्युनिस्ट ताकतों द्वारा पराजित होने के बाद चीन की सत्तारूढ़ कुओमितांग (राष्ट्रवादी सरकार) ताइवान भाग गई।
- गृहयुद्ध में चीन और ताइवान के विभाजन के बाद चीन गणराज्य (ROC) सरकार को ताइवान में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरी ओर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) ने मुख्य भूमि में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की स्थापना की।
- PRC ने ताइवान को एक विश्वासघाती प्रांत के रूप में देखा है, हालाँकि वह ताइवान के साथ शांतिपूर्ण पुन: एकीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है।
- इसके साथ ही ROC द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अपनी स्थायी सीट बनाए रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जारी रखी गई।
- शीत युद्ध में PRC यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (USSR) और ROC संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था। इसने चीन-ताइवान संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया।
- नतीजतन, 1950 के दशक में ताइवान में दो जलडमरूमध्य संकट हुए।

चीन के साथ अमेरिका का सामंजस्य और उसके बाद की घटनाएँ:

- अमेरिका और चीन ने 1970 के दशक में शीत युद्ध की बदलती भू-राजनीति के कारण सामंजस्य स्थापित किया, ताकि USSR के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके।
- इसके बाद 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने PRC की यात्रा की।
- बाद में ROC को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में PRC द्वारा विस्थापित कर दिया गया।
- इसके बाद ही "एक-चीन सिद्धांत (One-Chine-Principle)" सामने आया।

एक-चीन सिद्धांत और इसका प्रभाव:

- इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्र PRC के साथ राजनयिक संबंध रखना चाहते हैं, उन्हें चीन के रूप में PRC को मान्यता देनी होगी न कि ROC को।
- इसके साथ ही चीन अपनी आर्थिक प्रणाली में सुधार के साथ-साथ एक बहु-दलीय लोकतंत्र के रूप में विकसित हुआ।
- तब से दोनों देश आर्थिक रूप से उलझ गए और लगातार प्रतिस्पर्द्धा करते रहे हैं।

ताइवान मुद्दे पर अमेरिका का रुख:

अमेरिका के रुख का विकास::

- शंघाई कम्युनिक (1972), नॉर्मलाइज़ेशन कम्युनिक (1979) और 1982 कम्युनिक ताइवान के संबंध में अमेरिका-चीन की आपसी समझ को रेखांकित करने वाले तीन दस्तावेज़ हैं।
- 1979 की विज्ञप्ति के अनुसार, अमेरिका ताइवान को चीन का एक हिस्सा मानते हुए 'एक चीन सिद्धांत' को स्वीकार करता है।
- हालाँकि अमेरिका ने दोनों देशों के लोगों के नाम पर ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बनाए रखना शुरू कर दिया।
- 1982 की विज्ञप्ति में चीन ने ताइवान संबंध अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के अनुसार, अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की निरंतर आपूर्ति की संभावना पर अपनी चिंता व्यक्त की।
- इस तरह अमेरिका ने ताइवान की चिंताओं के साथ-साथ PRC की अपनी मान्यता को संतुलित किया है।

ताइवान पर प्रभाव:

- ताइवान में डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी (DPP) स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन करने वाली ताइवान की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन गई है।
- DPP चीन के प्रभाव रहित स्वयं के आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहती है।
- चीन, ताइवान को उच्च भू-राजनीतिक महत्त्व वाला क्षेत्र मानता है क्योंकि यह जापान और दक्षिण चीन सागर के बीच प्रथम द्वीप श्रृंखला में केंद्रीय रूप से स्थित है।

- इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य चौकियाँ हैं। इसलिये ताइवान पर नियंत्रण चीन के लिये एक महत्त्वपूर्ण सफलता होगी।
- लेकिन शांतिपूर्ण एकीकरण की संभावना बहुत कम है।
- साथ ही रूस-यूक्रेन संघर्ष के समानांतर तनाव बढ़ रहा है।

आगे की राह

- रूस-यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में चीन के धैर्य और ताइवान के तेज़ी से स्वतंत्रता समर्थक झुकाव को देखते हुए विरोधियों के लिये एक मज़बूत संदेश आवश्यक हो जाता है। हो सकता है कि यह उस बिंदु पर पहुँच गया हो जहाँ सामरिक अस्पष्टता सामरिक स्पष्टता के लिये अपनी प्रासंगिकता खो रही हो
- हालाँकि एक और प्रशंसनीय व्याख्या यह हो सकती है कि इस संदेश का उद्देश्य अमेरिका द्वारा प्रतिक्रिया प्राप्त करना और भारत-प्रशांत के लिये चीन के गेम प्लान का अनुभव प्राप्त करने के लिये जल का परीक्षण करना हो।

भारत-जापान द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और जापान रक्षा विनिर्माण सहित द्विपक्षीय सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सहमत हुए।

बैठक की मुख्य बातें:

- दोनों पक्षों को अगले पाँच वर्षों में जापान से भारत में सार्वजनिक एवं निजी निवेश तथा वित्तपोषण हेतु 5 ट्रिलियन येन के अपने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये संयुक्त रूप से काम करना चाहिये।
- भारत ने 'गति शक्ति' पहल के माध्यम से व्यापार करने में आसानी और रसद में सुधार के लिये उठाए गए कदमों पर ज़ोर दिया तथा जापान से भारत में जापानी निवेश में वृद्धि हेतु आग्रह किया।
  - इस तरह के निवेश लचीली आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद करेंगे और पारस्परिक रूप से फायदेमंद होंगे।
- भारत ने इस बात की सराहना की कि जापानी कंपनियाँ भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं और 24 जापानी कंपनियों ने विभिन्न उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओ के तहत सफलतापूर्वक आवेदन किया है।
- दोनों देशों ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति को देखा तथा इस परियोजना के लिये ऋण की तीसरी किश्त के आदान-प्रदान पत्र पर हस्ताक्षर किये।
- अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों के विकास में दोनों पक्षों में निजी क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई।
- साथ ही वे हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
- विनिर्दिष्ट कुशल कामगार (SSW) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर ध्यान दिया गया तथा लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये इस कार्यक्रम को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने में उपयोगी रहा।

भारत और जापान के बीच अन्य हालिया घटनाक्रम:

- मार्च 2022 में जापान के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच होने वाले 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिये भारत की आधिकारिक यात्रा की थी।
- इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (AMA) में एक जापानी 'ज़ेन गार्डन - काइज़न अकादमी' का उद्घाटन किया।
- भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में चीन के आक्रामक राजनीतिक एवं सैन्य व्यवहार के मद्देनज़र चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये एक त्रिपक्षीय 'सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव' (SCRI) शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
- वर्ष 2020 में भारत और जापान ने एक रसद समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जो दोनों देशों के सशस्त्र बलों को सेवाओं और आपूर्ति में समन्वय स्थापित करने की अनुमति देगा। इस समझौते को 'अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौते' (ACSA) के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 2014 में भारत और जापान ने 'विशेष रणनीतिक व वैश्विक भागीदारी' के क्षेत्र में अपने संबंधों को उन्नत किया था।
- अगस्त 2011 में लागू 'भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' (CEPA) वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं तथा व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों को शामिल करता है।

- जापान, भारत का 12वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा के मामले में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार का सिर्फ पाँचवाँ हिस्सा है।

- रक्षा अभ्यास: भारत और जापान के रक्षा बल द्विपक्षीय अभ्यासों की शृंखला आयोजित करते हैं, जैसे कि जिमेक्स (नौसेना), शिन्यू मैत्री (वायुसेना) और अभ्यास धर्म गार्जियन आदि। दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास (नौसेना अभ्यास) में भी भाग लेते हैं।
- भारत और जापान दोनों ही क्वाड, जी20 और जी-4 के सदस्य हैं।
- वे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) के सदस्य देश भी हैं।

आगे की राह

- मेक इन इंडिया में अपार संभवनाएँ विद्यमान हैं। जापानी डिजिटल प्रौद्योगिकी को भारतीय कच्चे माल और श्रम के साथ संयोजित करके संयुक्त उद्यमों की स्थापना जा सकती है।
- भौतिक और साथ ही डिजिटल स्पेस में एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका का मुकाबला करने के लिये घनिष्ठ सहयोग सबसे अच्छा उपाय है।

पैंगोंग त्सो पर चीनी पुल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि चीन पैंगोंग त्सो झील पर दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है।

- पुल की अवस्थिति 'फिंगर 8' से लगभग 20 किमी. पूर्व में झील के उत्तरी तट पर है- जहाँ से वास्तविक नियंत्रण रेखा गुज़रती है।
- हालाँकि सड़क मार्ग से वास्तविक दूरी पुल की अवस्थिति और 'फिंगर 8' के बीच 35 किमी. से अधिक है।

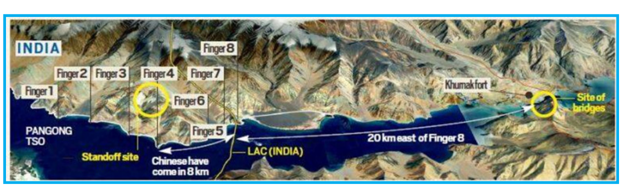

प्रमुख बिंदु

- निर्माण स्थल खुर्नक किले के ठीक पूर्व में है, जहाँ चीन के प्रमुख रक्षा ठिकाने स्थित हैं।
- चीन इसे रूटोंग देश कहता है।
- खुर्नक किले में इसकी एक सीमांत रक्षा कंपनी है और आगे पूर्व में बनमोझांग में एक 'वाटर स्क्वाड्रन' तैनात है।
- हालाँकि यह 1958 से चीन के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र में बनाया जा रहा है, लेकिन सटीक बिंदु भारत की दावा रेखा के ठीक पश्चिम में है।
- विदेश मंत्रालय इस क्षेत्र को चीन के अवैध कब्ज़े वाला क्षेत्र मानता है।

ये निर्माण चीन की मदद कैसे करेंगे?

- यह पुल झील के सबसे संकरे बिंदुओं में से एक है, जो LAC के करीब है।
- ये निर्माण झील के दोनों किनारों को जोड़ेंगे, जिससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के लिये सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को स्थानांतरित करने में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी।
- इस पुल के कारण G219 राजमार्ग (चीनी राष्ट्रीय राजमार्ग) से सैनिकों की आवाजाही में 130 किमी. की कमी आएगी।

पैंगोंग त्सो

- पैंगोंग त्सो समुद्र तल से 14,000 फीट यानी 4350 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर स्थित 135 किलोमीटर लंबी एक स्थलरुद्ध झील है।
- भारत और चीन के पास पैंगोंग त्सो झील का क्रमशः लगभग एक-तिहाई और दो-तिहाई हिस्सा है।
- लगभग 45 किमी. पैंगोंग त्सो झील भारत के नियंत्रण में है, जबकि झील का लगभग 60% हिस्सा (लंबाई में) चीन में स्थित है।
  - पैंगोंग त्सो का पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है।
- हिमनदों के पिघलने से निर्मित इस झील में चाँग चेन्मो रेंज के पहाड़ नीचे की ओर झुके हुए हैं, जिन्हें उँगलियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- यह दुनिया की सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित झीलों में से एक है जिसका जल खारा है।
  - हालाँकि यह खारे पानी की झील है, लेकिन पैंगोंग त्सो पूरी तरह से जम जाती है।
  - इस क्षेत्र के खारे पानी में सूक्ष्म वनस्पति बहुत कम पाई जाती है।
  - सर्दियों के दौरान क्रस्टेशियन को छोड़कर इसमें कोई जलीय जीव या मछली नहीं पाई जाती है।

यह एक प्रकार का एंडोर्फिक (लैंडलॉक) बेसिन है, जिसका अर्थ है कि यह अपने जल को बनाए रखती है और अपने जल का बहिर्वाह अन्य बाहरी जल निकायों, जैसे कि महासागरों और नदियों में नहीं होने देता है।

- पैंगोंग त्सो अपनी बदलती रंग क्षमता के लिये लोकप्रिय है।
  - इसका जल नीले से हरे और फिर लाल रंग में बदल जाता है।

चीन द्वारा इस अवस्थिति को चुनने का कारण:

- इसका निर्माण, मई 2020 में शुरू हुए गतिरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- यह अगस्त 2020 में भारतीय सेना द्वारा किये गए एक ऑपरेशन का परिणाम है, जहाँ भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर चुशुल उप-क्षेत्र में कैलाश रेंज की चोटियों पर नियंत्रण करने के लिये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था।
- इस अवस्थिति ने भारत को रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर स्पैंगुर गैप(Pangur Gap) पर नियंत्रण करने में सहायता की , जिसका इस्तेमाल चीन ने वर्ष 1962 में किया था।
- इससे भारत को चीन के मोल्डो गैरीसन (चीन का सैन्य अड्डा) पर प्रत्यक्ष निगरानी करने में सहायता प्राप्त हुई, यह चीन के लिये अत्यधिक चिंता का विषय था।
- इस ऑपरेशन के बाद भारत ने भी चीन की अवस्थिति की तुलना में खुद को ऊपर रखने के लिये झील के उत्तरी तट पर समायोजित किया।
- झील का उत्तरी तट मई 2020 में होने वाले संघर्ष के प्रमुख कारणों में से एक था।
    - इस झड़प के दौरान दोनों पक्षों द्वारा चार दशकों में पहली बार चेतावनी के रूप में फायरिंग की गई।
- यह नया पुल चीनी सैनिकों की आवाजाही में लगने वाले समय को 12 घंटे से घटाकर लगभग चार घंटे कर देगा।

गतिरोध की वर्तमान स्थिति:

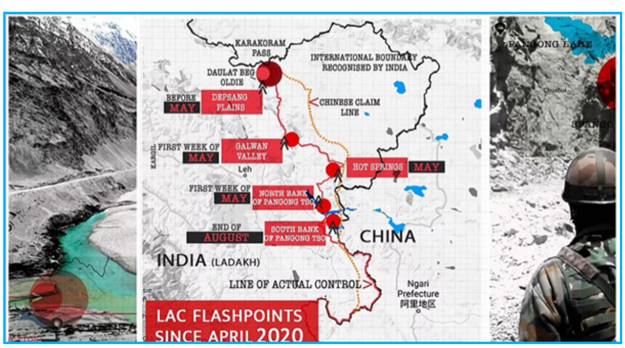

- भारत और चीन ने घातक झड़पों के बाद जून 2020 में गलवान घाटी में पेट्रोलिंग प्वाइंट (पीपी)-14 से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया।
- फरवरी 2021 में पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से और अगस्त में गोगरा पोस्ट के पास PP17A से सैनिकों को वापस बुला लिया गया, लेकिन तब से बातचीत की प्रक्रिया रुकी हुई है।
- गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों के कोर कमांडरों की लगभग 15 बार मुलाकात हो चुकी है।

भारत की प्रतिक्रिया:

- भारत सभी चीनी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
- भारत ने अपने क्षेत्र में इस तरह के अवैध कब्जे और अनुचित चीनी दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियों को कभी स्वीकार नहीं किया है।
- भारत उत्तरी सीमा पर बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और विकास का काम भी कर रहा है।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा वर्ष 2021 में सीमावर्ती क्षेत्रों में 100 से अधिक परियोजनाएँ पूरी की गईं, जिनमें से अधिकांश चीन सीमा के करीब थीं।
- भारत LAC पर निगरानी में भी सुधार कर रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का व्यापार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आँकड़े जारी किये, जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने वाले चीन को पीछे छोड़ दिया है।

- भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम, पॉलिश किये गए हीरे, दवा उत्पाद, आभूषण, फ्रोज़न झींगा शामिल हैं, जबकि अमेरिका से आयातित प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम, कच्चे हीरे, तरल प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, अपशिष्ट, बादाम आदि शामिल हैं। .
- आँकड़ों से पता चला है कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक और वर्ष 2020-21 में भी चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था।
    - चीन से पहले यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।

प्रमुख बिंदु

अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार:

- अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2021-2022) का हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 80.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- अमेरिका को निर्यात वर्ष 2021-22 में बढ़कर 76.11 बिलियन अमेरिकी डॉलरा हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 51.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2020-21 में आयात लगभग 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 43.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है।

- वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था।

इसी अवधि के दौरान चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार:

- वर्ष 2021-22 के दौरान चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020-21 के 86.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 115.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में चीन को निर्यात मामूली रूप से बढ़कर 21.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष 2020-21 में 21.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार बनने के कारक:

- भारत एक विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार के रूप में उभर रहा है और वैश्विक फर्में आपूर्ति के लिये चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर रही हैं तथा भारत जैसे अन्य देशों के माध्यम से व्यापार में विविधता ला रही हैं।
- भारत एक इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) स्थापित करने के लिये अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो गया है एवं इस कदम से आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- सेवाओं के निर्यात के लिये अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा बाज़ार रहा है, हाल ही में अमेरिका को सामान की बिक्री के मामले में भी इसने चीन को पीछे छोड़ दिया, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार बन गया।
  - भारत का कुल व्यापारिक निर्यात 2021-22 में रिकॉर्ड 418 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो केंद्र के लक्ष्य से लगभग 5% अधिक है और इसने पिछले वर्ष की तुलना में 40% की वृद्धि दर्ज की है।

भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति:

- भारत-अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी में वर्तमान में कोविड-19 की प्रतिक्रिया, महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु संकट और सतत् विकास, महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ, आपूर्ति शृंखला अनुकूलन, शिक्षा, प्रवासी रक्षा एवं सुरक्षा सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया है।
- भारत-अमेरिका संबंधों की प्रगाढ़ता बेजोड़ है और इस साझेदारी के प्रेरक तत्त्व भी अभूतपूर्व दर से बढ़ रहे हैं।
  - भारत -अमेरिका के मध्य यह संबंध अद्वितीय बना हुआ है क्योंकि यह दोनों स्तरों- रणनीतिक अभिजात वर्ग के साथ-साथ लोगों-से-लोगों के स्तर पर संचालित होता है।
- हालाँकि रूस-यूक्रेन संकट को लेकर भारत और अमेरिका की प्रतिक्रियाएँ परस्पर विरोधाभासी रही हैं।
- भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में अपने संबंधों को जारी रखने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बनो रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

भारत-अमेरिका संबंधों से संबद्ध चुनौतियाँ:

- टैरिफ अधिरोपण: वर्ष 2018 में अमेरिका ने कुछ स्टील उत्पादों पर 25% टैरिफ और भारत द्वारा कुछ अल्युमीनियम उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया गया था
  - भारत ने जून 2019 में अमेरिकी आयात पर लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 28 उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की।
  - हालाँकि धारा 232 टैरिफ लागू करने के बाद अमेरिका में स्टील निर्यात में साल-दर-साल 46% की गिरावट आई है।
- आत्मनिर्भरता को संरक्षणवाद के रूप में गलत समझना: आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इस विचार को और बढ़ावा दिया है कि भारत तेजी से एक संरक्षणवादी बंद बाज़ार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।
- अमेरिका की वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (GSP) से छूट: जून 2019 से प्रभावी, अमेरिका ने GSP कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों से शुल्क मुक्त निर्यात के प्रावधान को वापस ले लिया।
  - परिणामस्वरूप अमेरिका को 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर विशेष शुल्क उपचार को हटा दिया गया, जिससे भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों जैसे- फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, कृषि उत्पाद और ऑटोमोटिव पाट्‌र्स आदि क्षेत्र प्रभावित हुए।

अन्य देशों के प्रति अमेरिका की शत्रुता:

- भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद भारत-अमेरिका संबंधों के प्रत्यक्ष परिणाम नहीं हैं, बल्कि ईरान और रूस जैसे तीसरे देशों के प्रति अमेरिका की शत्रुता के कारण हैं जो कि भारत के पारंपरिक सहयोगी देश हैं ।
- भारत-अमेरिका संबंधों को चुनौती देने वाले अन्य मुद्दों में ईरान के साथ भारत के संबंध और रूस से भारत द्वारा एस-400 की खरीद शामिल है।
- भारत के रूस से दूरी बनाने के अमेरिका के आह्वान का दक्षिण एशिया की यथास्थिति पर दूरगामी परिणाम हो सकता है।

अफगानिस्तान में अमेरिका की नीति:

- भारत, अफगानिस्तान में अमेरिका की नीति से भी चिंतित है क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और हितों को खतरे में डाल रहा है।

आगे की राह

- जनसांख्यिकीय लाभांश अमेरिकी एवं भारतीय फर्मों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण, व्यापार और निवेश के लिये अत्यधिक अवसर प्रदान करता है।
- भारत अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुज़र रही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में उभर रहा है। यह अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग अपने महत्त्वपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिये करेगा।
- वर्तमान में भारत और अमेरिका सही अर्थों में रणनीतिक साझेदार हैं, इनका उद्देश्य प्रमुख शक्तियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर निरंतर संवाद सुनिश्चित करके मतभेदों का हल निकालकर नए अवसरों की तलाश करना है।
- यूक्रेन संकट के परिणामस्वरूप चीन के साथ रूस का मज़बूत गठजोड़, चीन के प्रति संतुलन के रूप में रूस पर भरोसा करने की भारत की क्षमता को जटिल बनाता है। इसलिये सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग जारी रखना दोनों देशों के हित में है।
- चीनी सेना की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं के कारण साझा चुनौतियों से प्रेरित होकर अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंध के केंद्र में अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास प्रमुख विषय बन गया है।

भारत की समुद्री भूमिका में बाधाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से मिलकर बने क्वाड समूह ने सूचना साझा करने तथा समुद्री निगरानी के लिये एक हिंद-प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता (IPMDA) पहल शुरू की है।

- बुनियादी ढाँचे की कमी और भारत में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति में निरंतर देरी ने भारत की भूमिका को सीमित कर दिया है।

हिंद-प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता (IPMDA) पहल:

- टोक्यो में वर्ष 2022 में आयोजित क्वाड नेताओं के सम्मेलन में IPMDA पहल की घोषणा की गई थी ताकि हिंद-प्रशांत, प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में "डार्क शिपिंग" की निगरानी की जा सके और तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए "साझेदारों द्वारा समुद्र में निकट-वास्तविक समय की गतिविधियों की तेज़, व्यापक और अधिक सटीक समुद्री तकनीक" का निर्माण किया जा सके।
    - डार्क शिप वे जहाज़ होते हैं जिनकी स्वचालित पहचान प्रणाली (ASI) के ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया जाता है ताकि उनका पता न चल सके।
- यह अन्य सामरिक-स्तरीय गतिविधियों पर नज़र रखने की भी अनुमति देगा, जैसे कि समुद्र में संकेत-स्थान, जलवायु और मानवीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये भागीदारों की क्षमता में सुधार करेगा, साथ ही उनकी मत्स्य पालन गतिविधियों की रक्षा करेगा, जो कि इंडो-पैसिफिक अर्थव्यवस्थाओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- IPMDA पूरे क्षेत्र में चीनी नौसैनिक उपस्थिति के विस्तार की पृष्ठभूमि में क्वाड देशों के साथ-साथ तटवर्ती राज्यों की मदद करेगा।
- इससे देश में विभिन्न एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करने में भारतीय संपर्क अधिकारियों की मौजूदा भूमिका में और वृद्धि होगी।

वे दो मुद्दे जो भारत की भूमिका को सीमित करते हैं:

- बुनियादी ढाँचे की कमी: इसमें न केवल जहाज़ निर्माण और जहाज़ की मरम्मत शामिल है, बल्कि भारत के तटीय एवं आंतरिक क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिये रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं आंतरिक संपर्क भी शामिल है।
    - इसमें तटीय नौवहन भी शामिल है। बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण भारत भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी (ILO) की पोस्टिंग स्वीकार करने में असमर्थ है।
    - भारत ने 22 देशों और एक बहुराष्ट्रीय समूह के साथ व्हाइट शिपिंग एक्सचेंज समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - व्हाइट शिपिंग जानकारी वाणिज्यिक गैर-सैन्य व्यापारी जहाज़ों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचनाओं के आदान-प्रदान को संदर्भित करती है।
    - जहाज़ो को सफेद (वाणिज्यिक जहाज़ों), ग्रे (सैन्य जहाज़ों), और काले (अवैध जहाज़ों) में वर्गीकृत किया जाता है।
    - न केवल भारत में ILO का होना महत्त्वपूर्ण है, बल्कि अन्य देशों में समान केंद्रों पर भारतीय नौसेना के अधिकारियों को तैनात करना भी आवश्यक है।

क्षेत्र में अन्य सुविधाओं और केंद्रों पर भारतीय संपर्क अधिकारियों की तैनाती में लगातार देरी:

- क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र (RMIFC), मेडागास्कर और क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र, सेशेल्स में भारतीय नौसेना संपर्क अधिकारियों (LO) को तैनात करने का प्रस्ताव दो वर्ष से अधिक समय से लंबित है।
- अबू धाबी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (EMASOH) में यूरोपीय नेतृत्व वाले मिशन में संपर्क अधिकारी को तैनात करने के एक अन्य प्रस्ताव को भी अब तक मंज़ूरी नहीं मिली है।

- एलओ की तैनाती में भी देरी हो रही है। उदाहरण के लिये, भारत का सिंगापुर में भारतीय LOकी नियुक्ति 2009 में की गई थी।

सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR):

- भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2018 में गुरुग्राम में सामुद्रिक नौवहन की निगरानी के लिये 'सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र' (Information Management and Analysis Centre- IMAC) के रूप में 'हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र' की स्थापना की है।
- IFC-IOR की परिकल्पना विश्व व्यापार और सुरक्षा के संबंध में क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए समुद्री सुरक्षा के लिये सहयोग को बढ़ावा देने हेतु की गई थी।
- अपनी स्थापना के बाद से केंद्र ने 50 से अधिक देशों और बहुराष्ट्रीय/समुद्री सुरक्षा केंद्रों के साथ कार्य स्तर के संबंध स्थापित किये हैं।

आगे की राह

- IPMDA को प्रोत्साहन प्रदान कर अन्य IFC के साथ संबंधों में सुधार लाने और लंबित प्रस्तावों को शीघ्रता से संबोधित करने की आवश्यकता है अन्यथा भारत इस अवसर को खो देगा।
- यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो यह पहल उत्साह खो देगी क्योंकि देशों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी।
- देश के आर्थिक विकास और वृद्धि के लिये भारतीय बुनियादी ढाँचे का विकास आवश्यक है। जैसा कि भारत ने विकास आधारित आर्थिक नीति को अपनाया है, भारत को समुद्री बुनियादी ढाँचे को विकसित करने की ज़रूरत है, जैसे- बंदरगाहों का विकास, कनेक्टिविटी, रसद आदि।

इतिहास

राजा राम मोहन राय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती पर उनकी स्मृति में वर्ष भर चलने वाले उत्सव के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया।

- यह उद्घाटन समारोह कोलकाता में 'राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन', साल्ट लेक और साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।
- यह एक वर्षीय उत्सव है जो अगले वर्ष (22 मई, 2023) तक मनाया जाएगा।
- इस वर्ष राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती और 'राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन' का 50वाँ स्थापना दिवस भी है।
- संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में राजा राम मोहन राय की एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का भी अनावरण किया है।

राजा राम मोहन राय:

परिचय:

- राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और एक अथक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय एवं उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की।

जीवन:

- राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई, 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहाँ उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो एवं अरस्तू की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया।
- बनारस में उन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया।
- वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिये वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया।
- वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिये कलकत्ता चले गए।
- नवंबर 1830 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए।
- राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर II की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए तभी अकबर II द्वारा उन्हें 'राजा' की उपाधि दी गई।
- अपने संबोधन में 'टैगोर ने राम मोहन राय को' भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्त्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा।

विचारधारा:

- राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे।
- राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी।
- उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुँचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है।
  - राजा राम मोहन राय का मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण धार्मिक सुधार की परिधि में ही शामिल हैं।
  - राम मोहन राय का मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिये प्रायश्चित करना चाहिये और यह प्रायश्चित आत्म-शुद्धि तथा पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिये, न कि आडंबर व अनुष्ठानों के माध्यम से।

- वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस तरह से जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे।
- राम मोहन राय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है।
  - एकेश्वरवाद को वे हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्मवाद के प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते थे। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिये एक सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है।
- राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता।
  - उन्होंने सती प्रथा को हर मानवीय और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में तथा एक जाति के नैतिक पतन के लक्षण के रूप में चित्रित किया।

योगदान:

धार्मिक सुधार:

राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन तुहफ़ात-उल-मुवाहिदीन (देवताओं को एक उपहार) वर्ष 1803 में सामने आया था जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था।

वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिये कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की।

- उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस (1820) में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिये गए थे।

समाज सुधार:

- राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की।
- उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा (जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया) की स्थापना की।
- उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया।
- वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार तथा कार्रवाई के लिये जाने जाते थे।
- उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिये विरासत व संपत्ति के अधिकार की मांग की।

शैक्षिक सुधार:

- राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिये बहुत प्रयास किये। उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोजने के लिये डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेज़ी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था।
- वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की जहाँ भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था।

आर्थिक और राजनीतिक सुधार:

- नागरिक स्वतंत्रता: राम मोहन राय ब्रिटिश प्रणाली की संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता से अत्यंत प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। वह सरकार की उस प्रणाली का लाभ भारतीय लोगों तक पहुँचाना चाहते थे।

प्रेस की स्वतंत्रता:

- लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिये आंदोलन का समर्थन किया।
- जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राम मोहन राय ने तीन पत्रिकाओं- ब्राह्मणवादी पत्रिका (वर्ष 1821); बंगाली साप्ताहिक- संवाद कौमुदी (वर्ष 1821) और फारसी साप्ताहिक- मिरात-उल-अकबर का प्रकाशन किया।
- कराधान सुधार: राम मोहन राय ने बंगाली ज़मींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और न्यूनतम लगान तय करने की मांग की। उन्होंने कर-मुक्त भूमि व करों के उन्मूलन की भी मांग की।
- उन्होंने विदेशों में भारतीय सामानों पर निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया।
- प्रशासनिक सुधार: उन्होंने बेहतर सेवाओं के भारतीयकरण और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की मांग की। उन्होंने भारतीयों एवं यूरोपीय लोगों के बीच समानता की मांग की।

कला एवं संस्कृति

पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना

चर्चा में क्यों?

पुरी में ओडिशा सरकार की महत्त्वाकांक्षी मंदिर गलियारा परियोजना राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है।

पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना:

- यह पुरी में जगन्नाथ मंदिर सहित एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल बनाने के लिये ओडिशा सरकार की पुनर्विकास परियोजना है। हालाँकि इसकी कल्पना वर्ष 2016 में की गई थी, लेकिन इसका अनावरण दिसंबर 2019 में किया गया।
- इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर या श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना के क्षेत्र आते हैं।
- इस परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) भवन पुनर्विकास, एक 600-क्षमता वाला श्री मंदिर स्वागत केंद्र, पुरी झील, मूसा नदी पुनरुद्धार योजना आदि शामिल हैं।
- ओडिशा सरकार ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र के सुधार के लिये तीन उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया है- मंदिर की सुरक्षा, भक्तों की सुरक्षा और भक्तों के लिये धार्मिक माहौल का निर्माण।
- सरकार ने पुरी (ABADHA) योजना में बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं विरासत और वास्तुकला के विकास से संबंधित परियोजना के लिये धन आवंटित किया है।
- ABADHA योजना में श्री जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिये भूमि अधिग्रहण शुल्क/पुनर्वास और सड़क सुधार शामिल है।

परियोजना विवाद का विषय क्यों बन गई है?

- विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों ने 12 वीं शताब्दी के मंदिर पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना का हवाला देते हुए खुदाई के लिये भारी मशीनरी के उपयोग पर आपत्ति जताई।
- इस बारे में सवाल उठाए जाने लगे कि क्या मंदिर के चारों ओर निर्माण के लिये उचित अनुमतियाँ और मंज़ूरी ली गई थी।
- जगन्नाथ मंदिर को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक नामित किया गया है और यह एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है।
- मंदिर के 100 से 200 मीटर क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर विध्वंस और निर्माण कार्य हो रहे हैं जो प्राचीन स्मारक व पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष (संशोधन एवं सत्यापन) अधिनियम (AMSAR), 2010 द्वारा निषिद्ध है।

प्राचीन स्मारक व पुरातत्त्व स्थल और अवशेष (संशोधन एवं मान्यता) अधिनियम (AMSAR), 2010:

- AMSAR (संशोधन और मान्यता) अधिनियम के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर निर्माण कार्य निषिद्ध है।
- स्मारक के चारों ओर 200 मीटर तक फैले क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र कहा जाता है।
- AMSAR अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के तहत वर्ष 2011 में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) पर ऐसी साइट की परिधि में निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का प्रबंधन करके ASI-संरक्षित साइटों की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रभार है।
- यदि एक विनियमित या निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाना है, तो NMA से अनुमति लेना आवश्यक है।
- AMSAR अधिनियम में परिभाषित "निर्माण" शब्द में सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और "समान सुविधाओं" का निर्माण शामिल नहीं है।
- इसमें पानी, बिजली की आपूर्ति या "प्रचार के लिये समान सुविधाओं का प्रावधान" के कार्य शामिल नहीं हैं।
- इसके अलावा यदि स्मारक का निर्मित क्षेत्र 5,000 वर्ग मीटर से अधिक है, तो स्मारक के चारों ओर विकास से पहले NMA द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है।

जगन्नाथ मंदिर की विशेषताएँ:

- ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश (Eastern Ganga Dynasty) के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था।
- पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को 'यमनिका तीर्थ' भी कहा जाता है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता 'यम' की शक्ति समाप्त हो गई है।

- इस मंदिर को "सफेद पैगोडा" कहा जाता था और यह चारधाम तीर्थयात्रा (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का हिस्सा है।
- मंदिर के चार (पूर्व में 'सिंह द्वार', दक्षिण में 'अश्व द्वार', पश्चिम में 'व्याघरा द्वार' और उत्तर में 'हस्ति द्वार') मुख्य द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है।
- इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित था।

ओडिशा के अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:

- कोणार्क सूर्य मंदिर (यूनेस्को विश्व विरासत स्थल)
- तारा तारिणी मंदिर
- लिंगराज मंदिर
- उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ

क्वाड के लिये प्रधानमंत्री के उपहारों का सांस्कृतिक महत्त्व

चर्चा में क्यों?

टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री अपने साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के लिये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं कला रूपों को प्रदर्शित करने हेतु उपहार ले गए।

उपहार और महत्त्व:

- अमेरिकी राष्ट्रपति के लिये सांझी कला पैनल:
- जटिल सांझी कला पैनल ठकुरानी घाट की थीम पर आधारित है, जो गोकुल में यमुना की पवित्र नदी के तट पर सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है।
- पारंपरिक कला रूप जो कृष्णपंथ से उत्पन्न हुआ, में देवता के जीवन की घटनाओं के आधार पर स्टैंसिल बनाना और फिर कैंची का उपयोग करके कागज़ की पतली शीट पर हाथ से काटना शामिल है।
- पुराने समय में स्टेंसिल को मोटे कागज़ या केले के पत्तों का उपयोग करके बनाया जाता था, लेकिन अब यह हस्तनिर्मित और पुनर्नवीनीकरण कागज़ में बदल गया है।
- राधा, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अपने प्रिय कृष्ण के लिये दीवारों पर सांझी पैटर्न पेंट करती थीं और बाद में वृंदावन की गोपियों ने उनका अनुसरण किया।
- बाद में भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिरों में औपचारिक रंगोली बनाने के लिये इसका इस्तेमाल किया जाता था।
- वास्तव में 'सांझी' शब्द 'सांझ' या शाम (शाम) से लिया गया है और शाम को मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा से संबंधित है।
- चित्रकला के रूप में, सांझी को वैष्णव मंदिरों द्वारा 15वीं और 16वीं शताब्दी में लोकप्रिय बनाया गया था और पुजारियों द्वारा इसका अभ्यास किया गया था।
- मुगल काल के दौरान समकालीन विषयों को जोड़ा गया था और कई परिवारों ने आज तक इसका अभ्यास करना जारी रखा है।
- वर्ष 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पिक्टोग्राम पारंपरिक सांझी कला से प्रेरित थे।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के लिये गोंड कला पेंटिंग:

- भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक, मध्य प्रदेश में गोंड समुदाय द्वारा प्रचलित चित्रकला का एक रूप।
  - कला के दृश्य प्राय: जनगढ़ सिंह श्याम की कलाकृतियों से प्रेरित हैं, जिसने1970 और 80 के दशक में पाटनगढ़ गाँव में घरों की दीवारों पर बड़े पैमाने पर जनजातीय मौखिक मिथकों और किंवदंतियों को चित्रित करना शुरू किया था।
- बिंदीदार पैटर्न, दाँतेदार पैटर्न, डॉट्स, लहरें और स्क्वीगल्स ने उनके देवी-देवताओं की कहानी साथ ही मध्य प्रदेश में गहरे जंगलों की वनस्पतियों एवं जीवों को बताया।
- प्रमुख नामों में भज्जू श्याम, वेंकट श्याम, दुर्गाबाई व्याम, राम सिंह उर्वेती और सुभाष व्याम शामिल हैं।
- ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को पीएम मोदी द्वारा दिया गया उपहार- जटिल पैटर्न और रेखाओं से युक्त जीवन वृक्ष (ट्री ऑफ लाइफ) गोंड कला शैली के लोकप्रिय आदर्श का महत्त्वपूर्ण प्रतीक है।

जापानी प्रधानमंत्री के लिये रोगन पेंटिंग के साथ लकड़ी के हस्तनिर्मित बॉक्स:

- रोगन कपड़े की पेंटिंग का एक रूप है जिसे चार शताब्दी से अधिक पुराना माना जाता है और यह मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ ज़िले में प्रचलित है।
- 'रोगन' शब्द फारसी से आया है, जिसका अर्थ वार्निश या तेल है।
- शिल्प में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का उपयोग किया जाता है, जहाँ अरंडी के बीज को तेल निकालने के लिये हाथ से पीसा जाता है और उबालकर पेस्ट में बदल दिया जाता है।
- रंगीन पाउडर को पानी में घोलकर अलग-अलग रंगों के पेस्ट बनाने के लिये मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है।
- कलाकार पेंट पेस्ट की कम मात्रा को अपनी हथेलियों में रखते हैं और कपड़े पर बनावट की उपस्थिति के लिये इसे रॉड से घुमाते हैं। छड़ वास्तव में कभी भी कपड़े के संपर्क में नहीं आती है और इसे ऊपर ले जाकर कलाकार कपड़े पर पतली रेखाएँ बनाता है।
- आमतौर पर केवल आधा कपड़ा ही पेंट किया जाता है और इसे मिरर इमेज़ बनाने के लिये मोड़ा जाता है, जबकि मूल रूप से केवल पुरुष ही कला का अभ्यास करते थे, अब गुजरात में कई महिलाएँ भी इसका अनुसरण करती हैं।

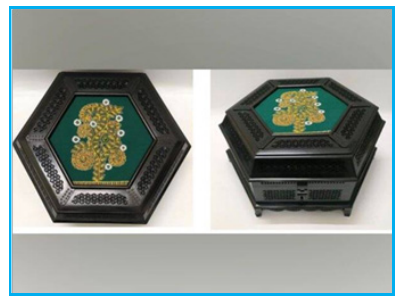

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

नगरीय ऊष्मा द्वीप

चर्चा में क्यों?

हाल में भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की लहरों का सामना कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जिनका तापमान ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान की तुलना में अधिक है। इसी घटना को "नगरीय ऊष्मा द्वीप" कहा जाता है।

- विशेषज्ञों के अनुसार, ये तापमान विसंगतियाँ अत्यधिक शहरीकृत और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के तापमान में भिन्नता के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में खुले और हरे भरे स्थानों की उपलब्धता के कारण हैं।

नगरीय ऊष्मा द्वीप:

- नगरीय ऊष्मा द्वीप को स्थानीय और अस्थायी घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक शहर के भीतर कुछ क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में अधिक तापमान का अनुभव करते हैं।
- नगरीय ऊष्मा द्वीप का निर्माण मूल रूप से कंक्रीट से बने शहरों की इमारतों और घरों के कारण होता है जिसके कारण उत्सर्जित ऊष्मा आसानी से वायुमंडल में नहीं पहुँच पाती है।
- नगरीय ऊष्मा द्वीप मूल रूप से कंक्रीट से बने प्रतिष्ठानों के बीच ऊष्मा के एकत्र होने से प्रेरित होता है।
- तापमान में यह भिन्नता 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों के अधिक गर्म होने का कारण:

- यह देखा गया है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में हरे-भरे क्षेत्रों में कम तापमान का अनुभव होता है।
- नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, खेत, जंगलों और पेड़ों के रूप में अपेक्षाकृत अधिक हरा-भरा आवरण होता है। यह हरित आवरण अपने परिवेश में गर्मी को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसे पौधे तापमान को नियंत्रित करने के लिये करते हैं।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरीय ऊष्मा द्वीप का मूल कारण निम्नलिखित हैं:
- गगनचुंबी इमारतों, सड़कों, पार्किंग स्थलों, फुटपाथों और सार्वजनिक परिवहन पारगमन लाइनों के बार-बार निर्माण ने नगरीय ऊष्मा द्वीप की घटनाओं को तेज़ कर दिया है।
- यह काले या किसी गहरे रंग के पदार्थ के कारण होता है।
- नगरों में आमतौर पर काँच, ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित इमारतें होती हैं, ये सभी गहरे रंग की सामग्री हैं, जिसका अर्थ है कि यह सामग्री उच्च ऊष्मा को आकर्षित और अवशोषित करती है।

अर्बन हीट आइलैंड का कारण:

- निर्माण गतिविधियों में कई गुना वृद्धि: साधारण शहरी आवासों के जटिल बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं विस्तार के लिये डामर और कंक्रीट जैसी कार्बन अवशोषित सामग्री की आवश्यकता होती है जो बड़ी मात्रा में तापमान को अवशोषित करते हैं, अत: इस कारण शहरी क्षेत्रों की सतह के औसत तापमान में वृद्धि होती है।
- गहरे रंग की सतह: शहरी क्षेत्रों में निर्मित भवनों की बाहरी सतह को सामान्यत: काले या गहरे रंग से रंग दिया जाता है जिस कारण अल्बेडो अर्थात् पृथ्वी से सूर्य की ऊष्मा का परावर्तन कम हो जाता है और गर्मी का अवशोषण बढ़ जाता है।
- एयर कंडीशनिंग: तापमान को नियंत्रित करने के लिये एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है जिसके लिये बिजली संयंत्रों हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अधिक प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा एयर कंडीशनर वायुमंडलीय हवा के साथ ऊष्मा का आदान-प्रदान करते हैं जो स्थानीय स्तर पर हीटिंग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह एक कास्केड प्रभाव (Cascade Effect) है जो शहरी ऊष्मा द्वीपों के विस्तार में योगदान देता है।
- शहरी निर्माण शैली: ऊँची इमारतें और संकरी सड़कें हवा के संचलन में बाधा उत्पन्न करती हैं जिससे हवा की गति धीमी हो जाती है जो प्राकृतिक शीतलन प्रभाव को कम करता है। इसे अर्बन कैनियन इफेक्ट (Urban Canyon Effect) कहा जाता है।
- बड़े पैमाने पर परिवहन प्रणाली की आवश्यकता: परिवहन प्रणाली और जीवाश्म ईंधन का बड़े स्तर पर उपयोग शहरी क्षेत्रों में तापमान को बढ़ाता है।
- वृक्ष और हरित क्षेत्र की कमी: वृक्ष और हरित क्षेत्र वाष्पीकरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं तथा ये सभी प्रक्रियाएँ आसपास की हवा के तापमान को कम करने में मदद करती हैं।

नगरीय ऊष्मा द्वीप में कमी के उपाय:

- हरित आवरण के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना: वृक्षारोपण और हरित आवरण के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास शहरी क्षेत्रों में गर्मी की उच्च स्थिति को कम करने के लिये प्राथमिक आवश्यकता है।
- नगरीय ऊष्मा द्वीप को कम करने के लिये 'पैसिव कूलिंग': पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों को बनाने के लिये व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण विकल्प हो सकती है।
- आईपीसीसी रिपोर्ट प्राचीन भारतीय भवन डिज़ाइनों का संदर्भ देती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आधुनिक सुविधाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है।
- ऊष्मा शमन के अन्य तरीकों में उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करना शामिल है।
- ऊष्मा को प्रतिबिंबित करने और अवशोषण को कम करने के लिये छतों को सफेद या हल्के रंगों में रंगा जाना चाहिये।
- टेरेस प्लांटेशन और किचन गार्डनिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

भारत के नगरीय ऊष्मा द्वीप के संदर्भ में नासा का विश्लेषण:

- नासा के अनुसार, दिल्ली के शहरी भागों में नगरीय ऊष्मा द्वीप की अधिक घटनाएँ हो रही हैं।
- दिल्ली के आसपास के कृषि क्षेत्रों की तुलना में शहरी भागों का तापमान काफी अधिक है।
- नासा के इकोसिस्टम स्पेसबोर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट (इकोस्ट्रेस) द्वारा ली गई तस्वीर ने दिल्ली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लाल धब्बे, साथ ही पड़ोसी शहरों जैसे- सोनीपत, पानीपत, जींद और भिवानी के आसपास छोटे लाल धब्बों का खुलासा किया है।
- इकोस्ट्रेस रेडियोमीटर से युक्त उपकरण है जिसे नासा द्वारा 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था।
- इकोस्ट्रेस मुख्य रूप से पौधों के तापमान का आकलन करने के साथ-साथ उनकी जल की आवश्यकताओं और उन पर जलवायु के प्रभाव को जानने का कार्य करता है।
- इकोस्ट्रेस के आँकड़ों में ये लाल धब्बे नगरीय ऊष्मा द्वीप के अधिक तापमान, जबकि शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कम तापमान की घटनाओं का संकेत देते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में क्रूज़ पर्यटन की संभावना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ सम्मेलन, 2022 आयोजित किया गया।

- भारत, पर्यटन उद्योग को गति देने के लिये राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर कार्य कर रहा है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ सम्मेलन, 2022:

- सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) द्वारा किया गया है।

दो दिवसीय इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई:

- भारत को एक क्रूज़ हब के रूप में विकसित करने के लिये रणनीतियाँ, नीतिगत पहल और बंदरगाह बुनियादी ढाँचे, नदी क्रूज पर्यटन की क्षमता तथा महामारी के बाद की दुनिया में प्रौद्योगिकी की भूमिका।

भारत में क्रूज़ पर्यटन की क्या संभावनाएँ हैं ?

परिचय:

- बढ़ती मांग और प्रयोज्य आय से प्रेरित भारतीय क्रूज़ बाज़ार की अगले दशक में 10 गुना बढ़ने की क्षमता है।
- भारत एक शानदार क्रूज़ गंतव्य है, इसकी 7,500 किमी. लंबी तटरेखा के साथ भारत के कई आकर्षण और विशाल नदी प्रणालियों का दुनिया के सामने अनावरण किया जाना बाकी है।
- भारत सरकार अपनी क्षमता का एहसास कर भारत को महासागर और नदी परिभ्रमण दोनों के लिये अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के साथ एक वैश्विक क्रूज़ हब के रूप में स्थापित करने के लिये दृढ़ संकल्पित है।
- भारत में वैश्विक हितधारकों ने क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उचित बुनियादी ढाँचे के साथ आधुनिक तकनीक को अपनाने से भारत निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक बन जाएगा।
- उद्देश्य:
- भारत का लक्ष्य क्रूज़ यात्री यातायात को वर्तमान के 0.4 मिलियन से बढ़ाकर 4 मिलियन करना है।
- आने वाले वर्षों में क्रूज़ पर्यटन की आर्थिक क्षमता 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।

संबंधित पहल:

टास्क फोर्स:

- सरकार ने क्रूज़ पर्यटन के विकास हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
- देश में क्रूज़ पर्यटन के विकास हेतु एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में टास्क फोर्स की मदद करने के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति की स्थापना की घोषणा की गई है।

तटीय गंतव्य सर्किट (Coastal Destination Circuits):

- 'क्रूज़ की मांग को सक्रिय करने हेतु चार थीम आधारित तटीय गंतव्य सर्किट विकसित किये गए हैं।

चार थीम आधारित तटीय गंतव्य सर्किट हैं:

- गुजरात तीर्थ यात्रा
- पश्चिम तट - सांस्कृतिक और दर्शनीय पर्यटन
- दक्षिण तट - आयुर्वेदिक वेलनेस टूर्स
- पूर्वी तट - विरासत पर्यटन

प्रकाश स्तंभ:

- तटीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रकाश स्तंभ और द्वीप विकास का कार्य भी किया जा रहा है।
- क्रूज पर्यटन का अन्य संभावित क्षेत्र है- रिवर क्रूज़ या अंतर्देशीय क्रूज़ जिसे खोजा जा सकता है।

मैरीटाइम विज़न दस्तावेज़ 2030:

- सांस्कृतिक पर्यटन,आयुर्वेद पर्यटन, तटीय पर्यटन, नदी क्रूज़ पर्यटन आदि पर ध्यान देने के उद्देश्य से 'मैरीटाइम विज़न डॉक्यूमेंट 2030' तैयार किया गया है।

- महामारी के बाद भारत में पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान के साथ बढ़ रहा है और क्रूज़ पर्यटन ने साल-दर-साल 35% की वृद्धि दर्ज की है।

बंदरगाहों का उन्नयन और आधुनिकीकरण:

- बंदरगाहों का उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य देश के सात प्रमुख बंदरगाहों पर किया जा रहा है, जिसमें मुंबई में बनने वाला 'न्यू इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल' भी शामिल है, जिसकी कुल लागत लगभग 495 करोड़ रुपए है।
- न्यू इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल प्रतिवर्ष 200 जहाज़ो और दस लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता से युक्त होगा।
- इसी तरह के बुनियादी ढाँचे का उन्नयन गोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम और कोलकाता में हो रहा है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजना:

- महत्त्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजना के अंतर्गत नौवहन, नदी पर्यटन, वन और वन्यजीव पर्यटन पर ध्यान देने के साथ-साथ पर्यटन संबंधी बुनियादी ढाँचा भी विकसित किया जा रहा है।

स्वदेश दर्शन योजना:

- स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 648.80 करोड़ रुपए के तटीय विषयगत सर्किट के तहत 10 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।

नमामि गंगे परियोजना:

- सरकार ने विशाल नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से नदियों को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं, जो नदी आधारित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है।

अन्य:

- बुनियादी ढाँचे के उन्नयन, बंदरगाह शुल्क के युक्तिकरण, बेदखली शुल्क को हटाने, क्रूज़ जहाज़ों को प्राथमिकता देने, ई-वीज़ा सुविधाएँ प्रदान करने आदि सहित कई पहलें की गई हैं।

भारत में क्रूज बाज़ार की स्थिति:

- विश्व स्तर पर नदी क्रूज़ बाज़ार पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5% की दर से बढ़ा है तथा वर्ष 2027 तक क्रूज़ बाज़ार के लगभग 37% होने की उम्मीद है।
- यूरोप दुनिया में नदी क्रूज़ ज़हाज़ों के लगभग 60% हिस्से के साथ विकास कर रहा है, यूरोप डेन्यूब और चीन यांग्त्ज़ी नदियों के साथ वैश्विक स्तर पर नदी क्रूज़ बाज़ार पर हावी है।

क्रिप्टोकरेंसी के कारण 'डॉलरीकरण'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संसदीय पैनल को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी अर्थव्यवस्था के हिस्से का "डॉलरीकरण" कर सकती है जो भारत के संप्रभु हित के खिलाफ होगा।

डॉलरीकरण:

- डॉलरीकरण मुद्रा प्रतिस्थापन का रूप है, जहाँ डॉलर का उपयोग किसी देश की स्थानीय मुद्रा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर किया जाता है।
- यद्यपि कई अर्थव्यवस्थाएँ काफी हद तक डॉलरीकृत हैं फिर भी केवल लाइबेरिया और पनामा जैसे टैक्स हेवन देशों को सही अर्थों में 'डॉलरीकृत' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- वास्तव में दो-तिहाई डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इसे जारी करता है, के बाहर रखे जाते हैं।
- बोलीविया जैसे देश जो अति मुद्रास्फीति के शिकार हुए हैं, का भी डॉलरीकरण हो गया है, यहाँ 80% से अधिक मुद्रा का उपयोग डॉलर के रूप में किया जा रहा है।

डी-डॉलरीकरण:

- यह वैश्विक बाज़ारों में डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिये संदर्भित है। यह अमेरिकी डॉलर को मुद्रा के रूप में प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्न हेतु किया जाता है:
- व्यापारिक तेल और/या अन्य वस्तुएँ
- विदेशी मुद्रा भंडार हेतु अमेरिकी डॉलर ख़रीदना
- द्विपक्षीय व्यापार समझौते
- डॉलर मूल्यवर्ग की संपत्ति
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की प्रभुत्वशाली भूमिका अमेरिका को अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर असंगत प्रभाव रखने का अवसर देती है। अमेरिका लंबे समय से अपने विदेश नीति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रतिबंधों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है।
    - डी-डॉलरीकरण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों को भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाने की भावना से प्रेरित है, जहाँ एक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

डॉलरीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- अपनी मौजूदा मुद्रास्फीति की समस्याओं के बावजूद भारत काफी हद तक डॉलरीकरण से बहुत दूर है।
- हालाँकि कुछ शोध पत्रों के अनुसार, भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) लेन-देन में डॉलर का दबदबा है।

- भारतीय आयात और निर्यात दोनों ही गतिविधियाँ लगभग 86% डॉलर में ही की जाती हैं।
- भारत, अमेरिका को 15% निर्यात और वहाँ से केवल 5% ही आयात करता है।
- यह दर्शाता है कि विदेशों में डॉलर की लोकप्रियता के भय से कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिये अपनी मुद्राओं का उपयोग करते हैं।

संबंधित चिंताएँ:

वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिये चुनौतियाँ:

- उच्च डॉलरीकरण वाली अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक बिना शक्ति के निकाय बन जाते हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी में विनिमय का माध्यम बनने तथा घरेलू और सीमा पार वित्तीय लेन-देन में रुपए को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है।
- यही कारण है कि आरबीआई ने इसका विरोध किया है तथा भारतीय वित्त मंत्रालय ने भारत में आधिकारिक तौर पर इसे 'अनुमति' दिये बिना 30% क्रिप्टो टैक्स लगाकर उसका समर्थन किया है।
- इस कदम का उद्देश्य भारतीय रुपए से आभासी संपत्ति को खरीदने से रोकना है, जो विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व में होगी, जिन्हें यहाँ कर अधिकारियों द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता है।
- कर/टैक्स उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है जो क्रिप्टो की माइनिंग केवल इसे पाने के लिये करते हैं बल्कि यह उन पर लागू होता है जो इसे प्राप्त करने या इसमें व्यापार करने के लिये भारतीय रुपए को खर्च करते हैं।

देश के वित्तीय क्षेत्र के लिये खतरा:

- आतंक के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी के लिये इस्तेमाल होने के अलावा क्रिप्टो देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता हेतु एक बड़ा खतरा है।

बैंकिंग प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव:

- इसका बैंकिंग प्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आकर्षक संपत्ति होने के कारण लोग अपनी मेहनत की कमाई को इन मुद्राओं में निवेश कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के पास उधार देने के लिये संसाधनों की कमी हो सकती है।
- भारत में अनुमानित रूप से 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक हैं, जिनकी कुल क्रिप्टो होल्डिंग लगभग 5.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

आगे की राह

- अमेरिकी डॉलर अभी भी व्यापार के लिये पसंदीदा मुद्रा है क्योंकि कोई अन्य मुद्रा पर्याप्त रूप से तरल नहीं है। अगर किसी मुद्रा मे तरलता है भी तो राष्ट्रों में यह आशंका बनी रहती है कि कहीं वह मुद्रा अमेरिकी डॉलर का प्रतिरूप न बन जाए।
- विश्व केवल व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता जहाँ अमेरिका के बजाय अब किसी दूसरे देश के वैसे ही छल-कपट भोगने पड़ें। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि मुद्रा बाज़ार में विविधता लाई जाए जहाँ कोई एक मुद्रा आधिपत्य का दावा न करे।

विशेष आहरण अधिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार मुद्रा टोकरी में युआन के भारांक को बढ़ा दिया, जिससे उत्साहित होकर चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने वित्तीय बाज़ारों को और अधिक उदार बनाने का संकल्प लिया।

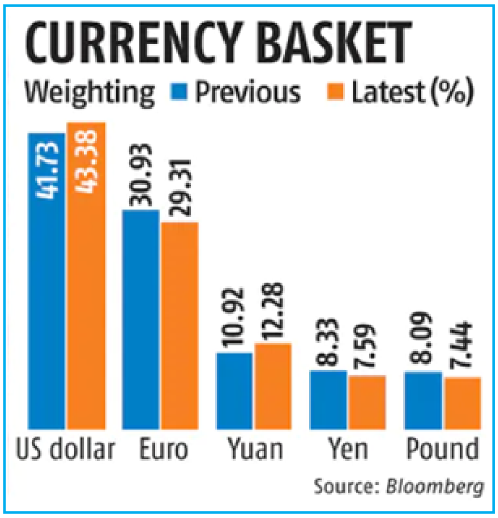

प्रमुख बिंदु

- IMF ने वर्ष 2016 में चीनी मुद्रा के टोकरी में शामिल होने के बाद से SDR मूल्यांकन की अपनी पहली नियमित समीक्षा में युआन का भारांक 10.92% से बढ़ाकर 12.28% कर दिया है।
- अमेरिकी डॉलर का भारांक 41.73% से बढ़कर 43.38% हो गया, जबकि यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड में गिरावट आई।
- समीक्षा के बाद मुद्राओं के भारांक की रैंकिंग समान है, साथ ही युआन तीसरे स्थान पर बना हुआ है।
- अप्रैल के अंत से युआन के तेज़ी से मूल्यह्रास के बीच यह परिवर्तन आया क्योंकि यह कोविद-प्रेरित लॉकडाउन और पूंजी बहिर्वाह तथा अमेरिका के साथ अपनी व्यापक मौद्रिक नीति विचलन के कारण घरेलू विकास के धीमा होने की दोहरी मार का सामना कर रहा है।

विशेष आहरण अधिकार:

- परिचय:
  - SDR न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा। बल्कि, यह आईएमएफ के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य

मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के एवज में एसडीआर का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

- SDR आईएमएफ और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है।
- SDR की मुद्रा कीमत का निर्धारण यूएस डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाज़ार विनिमय दर, मुद्राओं की एक SDR बास्केट पर आधारित होता है।
- मुद्राओं की SDR बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग एवं चीनी रेंन्मिन्बी (वर्ष 2016 में शामिल) हैं।
- SDR मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन (अवकाश को छोड़कर या जिस दिन IMF व्यावसायिक गतिविधियों के लिये बंद हो) होता है एवं मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कोटा (Quotas) को SDRs में इंगित किया गया है।
- किसी देश का कोटा (आईएमएफ में योगदान की गई राशि) SDR में अंकित होता है।
- सदस्य देशों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित होता है।
- IMF अपने सदस्यों को उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य SDR आवंटित करता है।

- IMF में भारत का कोटा:
  - वर्ष 2016 में IMF में कोटा और प्रशासन संबंधी सुधार हुए।
  - इसके अनुसार, भारत का मतदान अधिकार 0.3% बढ़कर 2.3% से 2.6% हो गया है और चीन का मतदान अधिकार 2.2% बढ़कर 3.8% से 6% हो गया है।
  - वर्तमान में भारत के पास IMF में विशेष आहरण अधिकार कोटा का 2.75% और वोट 2.63% है।
  - भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में IMF में स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति और रिज़र्व ट्रेंच के अलावा अन्य विशेष आहरण अधिकार भी शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष:

- परिचय:
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बैंक के साथ IMF की स्थापना युद्ध से तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये की गई थी।
- IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, यह उन 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। भारत ने 27 दिसंबर, 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की।
  - IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, यह विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों (तथा उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।
- वर्ष 2012 में एक कोष के जनादेश के अंतर्गत वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करने के लिये इसको अद्यतित किया गया।
- IMF की रिपोर्ट:
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।

खाद्य मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों ?

दुनिया भर में खाद्य कीमतें इस वर्ष उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व के देशों ने गेहूँ और उर्वरक के इन प्रमुख निर्यातक देशों से अपने आयात को कम कर दिया है, साथ ही सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़े हुए तापमान से भी विश्व स्तर पर गेहूँ के उत्पादन में कमी आई है, इस समस्या के समाधान के लिये गेहूँ के अधिक उत्पादन की आवश्यकता है।

TABLE 1

ALL-INDIA MODAL RETAIL PRICE OF EDIBLE OILS (Rs/kg)

	Palm	Vanaspati	Mustard	Groundnut	Soyabean	Sunflower
2014	68.5	70	91.5	116.5	77	90
2015	60	75	87	121.25	81	100
2016	67	71.33	90	135	80	92
2017	67	75	100	130	80	92.5
2018	75	70	100	115	85	91
2019	76	70	100	140	85	100
2020	90	100	120	142.5	90	110
2021	140	140	160	180	155	145
2022	160	170	187.5	188.5	170	190.75

All prices as on May 13 in that year. *Source: Department of Consumer Affairs*

खाद्य मुद्रास्फीति का कारण:

रूस-यूक्रेन संघर्ष:

- रूस और यूक्रेन वैश्विक गेहूँ निर्यात के लगभग 30% की आपूर्ति करते हैं, लेकिन युद्ध के कारण उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है।

गेहूँ का उच्च भंडार:

- जिन देशों में इसे उगाया जाता है, वहाँ गेहूँ की खपत अपेक्षाकृत अधिक रहती है।

- लेकिन रूस और यूक्रेन से निर्यात में गिरावट ने वैश्विक बाज़ार में गेहूँ के लिये प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ा दिया है, जिससे इसके लागत बढ़ रही है जो विशेष रूप से गरीब, कर्ज में डूबे उन देशों के लिये प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है जो आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- अफ्रीका द्वारा किये जाने वाले गेहूँ आयात के लगभग 40% की आपूर्ति यूक्रेन और रूस द्वारा की जाती है, जबकि वैश्विक गेहूँ की बढ़ती कीमतों के कारण लेबनान में ब्रेड की कीमतों में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है।

खाद्य भंडार और पण्य (Commodity) बाज़ार:

- 2007-2008 और 2011-2012 के पिछले खाद्य मूल्य संकट के बाद भी सरकारें अत्यधिक अटकलों पर अंकुश लगाने एवं खाद्य भंडार और पण्य बाज़ारों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही हैं।

मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति:

- खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक ने अप्रैल 2022 के लिये वर्ष-दर-वर्ष 29.8% की वृद्धि दर्शाई है।
- इसके अलावा सभी कमोडिटी समूह के मूल्य सूचकांकों में भारी उछाल आया है: अनाज (34.3%), वनस्पति तेल (46.5%), डेयरी (23.5%), चीनी (21.8%) और मांस (16.8%)।
- सीधे शब्दों में कहें तो खाद्य मुद्रास्फीति पहले से ही विश्व स्तर पर बढ़ रही है, युद्ध के कारण आपूर्ति में व्यवधान, दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम, उच्च कच्चे तेल की कीमतें, साथ ही जैव-ईंधन हेतु मक्का, चीनी, ताड़ और सोयाबीन तेल की उच्च कीमतें आदि।

खाद्यान्न की वैश्विक कीमतें घरेलू कीमतों को कैसे प्रभावित करती हैं?

- उपरोक्त वैश्विक मुद्रास्फीति का घरेलू खाद्य कीमतों में संचरण मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश की खपत/उत्पादन का कितना आयात/निर्यात किया जाता है।
- ऐसा हस्तांतरण खाद्य तेलों और कपास में स्पष्ट है, जहाँ भारत की खपत का दो-तिहाई और इसके उत्पादन का पाँचवां हिस्से का क्रमश: आयात और निर्यात किया जाता है।
- गेहूँ के मामले में मार्च के मध्य से गर्मी की लहर गंभीर रूप से पैदावार को प्रभावित कर रही है, सार्वजनिक स्टॉक और समग्र घरेलू उपलब्धता दोनों दबाव में हैं, यहाँ तक कि खुले बाज़ार की कीमतें निर्यात समता मूल्य स्तर तक बढ़ गई हैं।
- आश्चर्य की बात नहीं कि केंद्र ने अपनी प्रमुख मुफ्त अनाज योजना के तहत गेहूँ आवंटन को कम करने और अधिक चावल की पेशकश करने का फैसला किया है। इसी तरह निर्यात मांग भी मक्के के व्यापार को उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी ऊपर रखने में मदद कर रही है। लेकिन उच्च खाद्य तेल की कीमतों के साथ पशुओं के चारे की लागत भी बढ़ेगी जिससे दूध, अंडे और माँस की कीमतें बढ़ जाएंगी।
- हालाँकि अभी के लिये राहत की बात यह है कि दाल, चीनी, प्याज़, आलू और ज़्यादातर गर्मियों की सब्जियों में मुद्रास्फीति बहुत कम या न के बराबर है।
- उस सीमा तक भारत में खाद्य मुद्रास्फीति अभी "सामान्यीकृत" नहीं हुई है।
- चीनी एक ऐसी वस्तु है जिसमें मिलों द्वारा रिकॉर्ड निर्यात के बावजूद खुदरा कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं।
- इसकी वजह उत्पादन का ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँचना है।

खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय:

मांस और डेयरी उत्पादों का कम उपभोग:

- चूँकि दुनिया के अनाज का एक बड़े हिस्से का प्रयोग पशुओं को खिलाने में होता है, लोगों को कम मांस और डेयरी उत्पादों के उपभोग के लिये तैयार करने से अनाज की आपूर्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है।
- इस साल निर्यात बाज़ारों में अनाज की वैश्विक कमी 20-25 मिलियन टन रहने का अनुमान है,लेकिन यदि अकेले यूरोपीय देश ही पशु उत्पादों की खपत में 10% की कटौती करते हैं, तो वे मांग को 18-19 मिलियन टन तक कम कर सकते हैं।

अनाज भंडारण में सुधार:

- विशेष रूप से उन देशों द्वारा अनाज के भंडारण में सुधार करना जो किआयात पर अत्यधिक निर्भर हैं (उन देशों को नहीं जो अक्सर अनाज़ की जगह निर्यात के लिये नकदी फसलें उगाते हैं) इससे उन्हें अपने यहाँअधिकअनाज़ उगाने में मदद मिल सकती है।

व्यापक किस्म की फसलें उगाना:

- विश्व स्तर पर, केवल कुछ अनाजों पर निर्भरता कम करने के लिये विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।

नीति परिवर्तन:

- अफ्रीका के नए महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसे देशों में नीतिगत बदलाव के माध्यम से अंतत: कुछ गरीब देश दूरस्थ उत्पादकों और संवेदनशील आपूर्ति शृंखलाओं पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं।

जलवायु-स्मार्ट खेती में निवेश:

- इसके अलावा ग्रह के गर्म होने पर फसल की रक्षा के लिये जलवायु-स्मार्ट खेती में निवेश, वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में मदद

करेगा, जबकि ऋण राहत प्रदान करने से सबसे गरीब देशों को खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करने के लिये अधिक वित्तीय मदद मिल सकती है।

घरेलू उत्पादन में वृद्धि:

- संक्षेप में जबकि वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति एक वास्तविकता है, इसके "आयातित" होने के प्रभावों को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है।

आगे की राह

- आयात नीति में एकरूपता होनी चाहिये क्योंकि यह अग्रिम रूप से उचित बाज़ार संकेतकों से अवगत कराती है। आयात शुल्क के माध्यम से हस्तक्षेप करना कोटा से बेहतर है। यह उपग्रह रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का उपयोग करके अधिक सटीक फसल पूर्वानुमानों की भी मांग करती है ताकि फसल वर्ष में बहुत पहले से कमी/अधिशेष का संकेत दिया जा सके।
- इसके अलावा वर्ष 2011-12 का एक दशक पुराना सीपीआई आधार वर्ष को संशोधित और अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि भोजन की आदतों तथा आबादी की जीवनशैली में बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके। बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ गया है और इसे सीपीआई में बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, जिससे आरबीआई गैर-परिवर्तनशील खंड (मुख्य मुद्रास्फीति) को बेहतर ढंग से लक्षित कर सके।

GST कानून बनाने की राज्यों की शक्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र की भलाई के लिये "सहकारी संघवाद" के महत्त्व का समर्थन करते हुए अपने एक निर्णय में कहा कि संघ एवं राज्य विधानसभाओं के पास माल और सेवा कर (GST) पर कानून बनाने के लिये " एक समान और अद्वितीय शक्तियाँ" हैं। तथा जीएसटी परिषद की सिफारिशें उन पर बाध्यकारी नहीं हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय की पुष्टि करते हुए आया जिसमें कहा गया था कि केंद्र भारतीय आयातकों पर समुद्री माल के लिये एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) नहीं लगा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि माल आयात के मामले में भुगतान किये गए समुद्री माल पर GST असंवैधानिक है।

SC का निर्णय:

- GST कानून बनाते समय केंद्र और राज्य "स्वायत्त, स्वतंत्र तथा यहाँ तक कि प्रतिस्पर्द्धी इकाइयाँ" हैं। संघीय इकाइयों के एकीकृत दृष्टिकोण के कारण सहकारी संघवाद को 'कठोर संघवाद '(Marble Cake) की तरह माना जाता है।
- GST परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों को शामिल करते हुए एक सहयोगी संवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये सिफारिशें प्रकृति में अनुशंसात्मक होती हैं।
- ये सिफारिशें केवल प्रेरक मूल्य की होती हैं अर्थात् संघ और राज्यों दोनों को GST पर कानून बनाने की समान शक्ति प्रदान की जाती है, अतः इन कानूनों को बाध्यकारी मानने से राजकोषीय संघवाद बाधित होगा।
- इस बात पर ज़ोर दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 246A (जो राज्यों को GST के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है) संघ और राज्यों को "समान इकाइयों" के रूप में मानता है।
  - यह GST पर कानून बनाने के लिये केंद्र और राज्यों को एक साथ शक्ति प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद 279A, GST परिषद के गठन में यह बताता है कि न तो केंद्र और न ही राज्य वास्तव में दूसरे पर निर्भर हैं।
- माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी अधिनियम) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं जो उन स्थितियों से निपट सके जहाँ केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव होने पर GST परिषद उन्हें उचित सलाह दे सके।

सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:

- सहकारी संघवाद:
  - केंद्र और राज्य एक क्षैतिज संबंध साझा करते हैं, जहाँ वे व्यापक जनहित में 'सहयोग' करते हैं।
  - यह राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी को सक्षम करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
  - संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संविधान की अनुसूची- VII में निर्दिष्ट मामलों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये बाध्य हैं।
- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:
  - केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध ऊर्ध्वाधर होते हैं, जबकि सभी राज्य सरकारों के बीच परस्पर संबंध क्षैतिज होते हैं।
  - 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में प्रतिस्पर्द्धी संघवाद के इस विचार को बल मिला।
  - एक मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था में राज्यों की निधि, उपलब्ध संसाधन आधार और उनके तुलनात्मक लाभ सभी प्रतिस्पर्द्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। हालाँकि बढ़ते वैश्वीकरण ने राज्यों के बीच मौजूदा असमानताओं और असंतुलन को बढ़ा दिया है।
  - प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद में राज्यों को लाभ के लिये आपस में और केंद्र के साथ भी प्रतिस्पर्द्धा करने की आवश्यकता होती है।

- धन और निवेश को आकर्षित करने के लिये राज्य एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जो प्रशासनिक दक्षता में सुधार कर विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं, बल्कि यह कार्यकारिणी शक्तियों के निर्णयन परंपरा का हिस्सा है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST):

- GST एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्द्धन पर लगाया जाता है।
- GST पूरे देश हेतु एक अप्रत्यक्ष कर है।
- GST परिषद महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था है जो GST के संबंध में सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेगी।

आगे की राह

- निर्णय GST के तहत उन प्रावधानों के परिदृश्य को बदल सकता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
- जैसा कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें का केवल प्रेरक मूल्य है, प्रावधानों के लिये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। यह जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर ऐसे प्रावधान, जो संवैधानिकता को चुनौती देते है, न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

फोस्टेरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांज़ीशन 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 'फोस्टेरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांज़ीशन 2022' नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जो पर्यावरण की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा न्याय तथा सामर्थ्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक अनुकूलित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा त्वरित कार्रवाई का आह्वान करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- ऊर्जा संक्रमण बढ़ते जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहा है और यूक्रेन में युद्ध के परिणामस्वरूप ऊर्जा की मांग, ईंधन आपूर्ति बाधाओं, मुद्रास्फीति के दबावों एवं पुनः रूपांतरित ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं में महामारी के बाद हाल के जटिल व्यवधानों ने इस संक्रमण को और भी चुनौतिपूर्ण बना दिया है।
- उच्च ऊर्जा की कीमतें, ऊर्जा आपूर्ति की कमी का जोखिम और जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग एक साथ ऊर्जा सामर्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा एवं पहुँच तथा स्थिरता को चुनौती दे रही है।
- किफायती ऊर्जा आपूर्ति तक पहुँच में कमी न्यायोचित परिवर्तन के लिये एक प्रमुख खतरे के रूप में उभरी है।
- औद्योगिक गतिविधियाँ मानवजनित उत्सर्जन की तुलना में 30% अधिक उत्सर्जन करती हैं , फिर भी कई उद्योगों को कार्बनीकरण के लिये कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- ईंधन आयात: उन्नत अर्थव्यवस्था वाले 34 देशों में से 11 अपने ईंधन आयात के 70% से अधिक के लिये केवल तीन व्यापार भागीदारों पर निर्भर हैं।

अनुशंसाएँ:

जलवायु प्रतिबद्धताएँ और दीर्घकालिक दृष्टिकोण:

- अधिक-से-अधिक देशों को बाध्यकारी जलवायु प्रतिबद्धताएँ अपनाने की आवश्यकता है, वहीं घरेलू और क्षेत्रीय ऊर्जा प्रणालियों के लिये दीर्घकालिक दृष्टिकोण का निर्माण करने, डीकार्बोनाइज़ेशन परियोजनाओं हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करने एवं उपभोक्ताओं और कार्यबल को समायोजित करने में सहयोग की आवश्यकता है।

संक्रमण की अनिवार्यता पर समग्र दृष्टिकोण:

- इस चरण के माध्यम से संक्रमण की गति को बनाए रखने के लिये पर्याप्त सक्षम और समर्थन तंत्र का विकास करना महत्त्वपूर्ण है।
- वर्तमान में पहले से कहीं ज़्यादा समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो तीन संक्रमण अनिवार्यताओं- ऊर्जा की वहनीयता, उपलब्धता और स्थिरता का त्वरित गति से समवर्ती रूप से वितरण करता हो।

कुशल उपभोग और व्यावहारिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करना:

- उचित समर्थन उपायों के माध्यम से सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिये कार्रवाई आवश्यक है, जिससे कुशल उपभोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
- व्यावहारिक हस्तक्षेप और चौथी औद्योगिक क्रांति तकनीक घरेलू एवं व्यवसायिक दोनों स्तरों पर इसमें समान रूप से सहायता कर सकती हैं।

ऊर्जा विविधता और सुरक्षा:

- दोहरा विविधीकरण (आपूर्ति स्रोत और आपूर्ति मिश्रण) देशों की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने का प्रमुख साधन है।
- अल्पावधि में आयात भागीदारों के पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता लाने और लंबी अवधि में कम कार्बन विकल्पों के साथ घरेलू ऊर्जा के पोर्टफोलियो में विविधता लाने से इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण लाभ मिल सकता है।

आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप और मांग-पक्ष क्षमताएँ :

- आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेपों को मांग-पक्ष क्षमता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।
- वर्तमान ऊर्जा बाज़ार की अस्थिरता और सुरक्षा बाधाएँ स्वच्छ ऊर्जा की मांग को बढ़ाकर तथा औद्योगिक एवं अंतिम उपभोक्ताओं दोनों से अधिक कुशल ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित कर संक्रमण को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती हैं।

नियामक ढाँचा:

- आवश्यक कार्रवाइयों और निवेशों के लिये नियामक ढाँचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचे में जलवायु प्रतिबद्धताओं को शामिल करने से न केवल यह सुनिश्चित होगा कि ये प्रतिबद्धताएँ राजनीतिक दबावों को सहन कर सकती हैं, बल्कि दीर्घकालिक कार्यान्वयन प्रयासों को विनियमित करने के लिये प्रवर्तन तंत्र भी प्रदान करती हैं।

स्वच्छ ऊर्जा की मांग:

- स्वच्छ ऊर्जा की मांग कम उत्सर्जन वाले उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक परियोजनाओं और निवेश को बढ़ावा देने वाला एक अनिवार्य कारक साबित हो सकता है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम:

परिचय:

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक गैर-लाभकारी स्विस संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी।
- स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।

मिशन:

- WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिये प्रतिबद्ध है।

- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)।
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index- ETI)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global IT Report)
  - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
  - वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
  - वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report)
  - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) के 13वें वार्षिक दिवस समारोह में भाग लिया।

- इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और CCI के लिये एक उन्नत वेबसाइट का शुभारंभ भी किया।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI):

- परिचय:
  - भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
  - राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act), 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- संरचना:
  - प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

- आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक होते हैं।

- सदस्यों की पात्रता:
  - इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिये ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जो सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ-साथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो या जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा कार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों में कम-से-कम पंद्रह वर्ष का विशेष ज्ञान एवं वृत्तिक अनुभव हो और केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिये उपयोगी हो।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002:

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था और प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा इसे संशोधित किया गया। यह आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा विधानों के दर्शन का अनुसरण करता है।
  - यह अधिनियम प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी करारों और उद्यमों द्वारा अपनी प्रधान स्थिति के दुरुपयोग का प्रतिषेध करता है तथा समुच्चयों [अर्जन, नियंत्रण, 'विलय एवं अधिग्रहण' (M&A)] का विनियमन करता है, क्योंकि इनकी वजह से भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या इसकी संभावना बनी रहती है।
  - संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग और प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (Competition Appellate Tribunal- COMPAT) की स्थापना की गई।
  - वर्ष 2017 में सरकार ने प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) से प्रतिस्थापित कर दिया।

CCI की भूमिका और कार्य:

- प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- किसी विधान के तहत स्थापित किसी सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ के लिये प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों पर परामर्श देना एवं प्रतिस्पर्द्धा की भावना को संपोषित करना, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना एवं प्रतिस्पर्द्धा के विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- उपभोक्ता कल्याण: उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिये बाज़ारों को सक्षम बनाना।
- अर्थव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी विकास एवं वृद्धि के लिये देश की आर्थिक गतिविधियों हेतु निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्द्धा नीतियों को लागू करना।
- प्रतिस्पर्द्धा के पक्ष-समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना और सभी हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के लाभों को लेकर सूचना का प्रसार करना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा की संस्कृति का विकास तथा संपोषण किया जा सके।

CCI की अब तक की उपलब्धियाँ:

- आयोग ने 1,200 से अधिक स्पर्द्धारोधी मामलों का निर्णय किया है, यानी स्पर्द्धारोधी मामलों में केस निपटान दर 89% है।
- इसने अब तक 900 से अधिक विलय और अधिग्रहण के मामलों की समीक्षा की है, उनमें से अधिकांश को 30 दिनों के रिकॉर्ड औसत समय के भीतर मंज़ूरी दी है।
- आयोग ने संयोजनों/लेन-देनों पर स्वचालित अनुमोदन के लिये 'ग्रीन चैनल' प्रावधान जैसे कई नवाचार भी किये हैं तथा ऐसे 50 से अधिक लेन-देन को मंज़ूरी दी है।

चुनौतियाँ:

- डिजिटलीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ: चूँकि प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम (2002) के समय हमारे पास एक मज़बूत डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं थी, अत: CCI को नए डिजिटल युग की तकनीकी बारीकियों को समझना चाहिये।
- नई बाज़ार परिभाषा की आवश्यकता: भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग को अब बाज़ार की अपनी परिभाषा को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। चूँकि डिजिटल स्पेस की कोई सीमा नहीं है, अत: प्रासंगिक बाज़ारों को परिभाषित करना विश्व भर के नियामकों के लिये एक कठिन काम रहा है।
- कार्टेलाइज़ेशन से खतरा: कार्टेलाइज़ेशन से खतरे की संभावना है। चूँकि महामारी के कारण वस्तुओं की वैश्विक कमी देखी गई है और पूर्वी यूरोप में युद्ध के परिणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- इनकी जाँच कर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति पक्ष में उतार-चढ़ाव के पीछे कोई एकाधिकार/द्वैतवादी प्रवृत्ति तो नहीं है।

आगे की राह

- वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकी उन्नयनों के साथ ही डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता, प्लेटफॉर्म तटस्थता, डीप डिस्काउंटिंग, किलर एक्विज़िशन आदि जैसे मुद्दों का उद्भव हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिये एक मज़बूत प्रतिस्पर्द्धा कानून-जो प्रौद्योगिकी की वर्तमान दुनिया में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपरिहार्य हो गया है। इस तरह का कानून डिजिटल बाज़ार के अभिकर्त्ताओंओ को व्यावहारिक स्तर पर सहभागिता में सक्षम बनाएगा।
    - CCI को नए डिजिटल युग की तकनीकी बारीकियों के साथ यह समझने की आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं के लाभ के लिये इन बाज़ारों का उचित, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं।
- FAQS एक स्थायी समर्थन साधन बन सकते हैं जिसका प्रयोग "उपयोग के लिये तैयार आधार (Ready-to-Use Basis)" के रूप में सूचना प्रसारित करने के लिये किया जा सकता है।
    - यह एक सक्रिय और प्रगतिशील नियामक के रूप के रूप में CCI की स्थिति को मज़बूत करेगा तथा इस तरह के मार्गदर्शन से बाज़ार सहभागियों को निवारक उपाय प्रदान करने में मदद मिलेगी।

भारतीय धातु उद्योग: वर्तमान परिदृश्य और भविष्य के रुझान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एसोचैम (ASSOCHAM) ने 'भारतीय धातु उद्योग: वर्तमान परिदृश्य और भविष्य के रुझान' (Indian Metal Industry: Current Outlook and Future Trends) नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया।

भारतीय धातु उद्योग का वर्तमान परिदृश्य:

- परिचय:
    - 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगीकरण द्वारा संचालित अर्थव्यवस्थाओं के उद्भव के परिणामस्वरूप ऐसे देश लाभान्वित हुए जिन्होंने विस्तृत रूप में धातु उद्योग की स्थापना कर ली थी।
    - धातुएँ औद्योगीकरण के प्रमुख चालकों में से एक हैं।
- आँकड़े:
    - अक्तूबर 2021 तक भारत 9.8 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ कच्चे इस्पात का दुनिया में "दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक" था। वित्तीय वर्ष 2022 (जनवरी तक) में कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात का उत्पादन क्रमशः 98.39 मीट्रिक टन एवं 92.82 मीट्रिक टन था।
    - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 10% बढ़कर 77 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गई।
    - अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत ने वर्ष 2021-22 में 120 मिलियन टन से अधिक कच्चे इस्पात और 113.6 मिलियन टन तैयार इस्पात के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ 13.5 मिलियन टन तैयार इस्पात का निर्यात किया है।
- वृद्धि के प्रमुख कारक:
    - भारतीय इस्पात क्षेत्र में वृद्धि लौह अयस्क और लागत प्रभावी श्रम जैसे कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता से प्रेरित है।
    - नतीजतन, भारत के विनिर्माण उत्पादन में इस्पात क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है।
    - भारतीय इस्पात उद्योग अत्यंत आधुनिक है।
    - इसने हमेशा पुराने संयंत्रों के निरंतर आधुनिकीकरण और उच्च ऊर्जा दक्षता स्तरों के उन्नयन का प्रयास किया है।
- महत्त्व:
    - लोहा, कोयला, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना आदि के विशाल भंडार के साथ-साथ भारत खनन और धातु उद्योग के लिये एक प्राकृतिक गंतव्य है।
    - धातुओं में इस्पात ने ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख स्थान हासिल किया है। कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में इस्पात के उत्पादन एवं खपत को व्यापक रूप से आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास के संकेतक के रूप में माना जाता है, साथ ही साथ यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये प्रमुख आधार के रूप में कार्य करता है।
    - मेक इन इंडिया अभियान, स्मार्ट सिटी, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे सुधारों और राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ भारत में धातु एवं खनन क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में बड़े सुधार की उम्मीद है।
    - वित्त वर्ष 2021-22 में बुनियादी धातुओं के विनिर्माण के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का औसत 177.3 है तथा इसमें 18.4% की वृद्धि हुई है।

- कोयला खनन में स्थिरता लाने के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कोयला खदानों में बेहतर पर्यावरण प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने व बढ़ावा देने के लिये कोयला मंत्रालय और सभी कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में एक "सतत् विकास प्रकोष्ठ" बनाया गया है।

- चुनौतियाँ:
  - पूंजी: धातु उद्योग को विशेष रूप से लोहा और इस्पात के लिये बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है जिसे भारत जैसे विकासशील देश के लिये वहन कर पाना कठिन है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई एकीकृत इस्पात संयंत्र विदेशी सहायता से स्थापित किये गए हैं।
  - कम उत्पादकता: देश में इस्पात उद्योग के लिये प्रति व्यक्ति श्रम उत्पादकता 90-100 टन है जो कि बहुत कम है, जबकि यह कोरिया, जापान और अन्य इस्पात उत्पादक देशों में प्रति व्यक्ति 600-700 टन है।
  - उत्पादन क्षमता का अल्प-उपयोग: दुर्गापुर स्टील प्लांट अपनी क्षमता के लगभग 50% का उपयोग करता है जिसका कारण हड़ताल, कच्चे माल की कमी, ऊर्जा संकट, अक्षम प्रशासन आदि जैसे कारक हैं।
  - भारी मांग: मांगों को पूरा करने के लिये स्टील और अन्य धातुओं का भारी मात्रा में आयात किया जाता है। अत: बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - उत्पादों की निम्न गुणवत्ता: कमज़ोर आधारभूत संरचना, पूंजी निवेश तथा अन्य सुविधाएँ अंतत: धातुकर्म प्रक्रिया में अधिक समय लेने के साथ महँगी होती हैं तथा मिश्र धातुओं की एक निम्न किस्म का उत्पादन करती हैं।

धातु क्षेत्र के लिये सरकार की पहल:

- राष्ट्रीय इस्पात नीति (NSP) 2017।
- स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति।
- स्पेशलिटी स्टील, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- मिशन पूर्वोदय: इस्पात क्षेत्र का त्वरित विकास।
- भारत का इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन।
- चौथी औद्योगिक क्रांति को अपनाना (उद्योग 4.0)।

आगे की राह

- उद्योग और अन्य हितधारकों को सामूहिक रूप से उन सभी क्षेत्रों और कारकों की पहचान करने की आवश्यकता है जो इन धातुओं की खपत में वृद्धि हेतु योगदान दे रहे हैं ताकि आम आदमी के लिये सस्ती कीमत पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार के माध्यम से घरेलू क्षमता को मज़बूत करना आवश्यक है। यह न केवल भारतीय धातु और धातुकर्म क्षेत्र को वास्तव में वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाएगा बल्कि भारत को धातु और धातु उत्पादों के लिये एक विनिर्माण केंद्र बनने में भी मदद करेगा।
- देश में खनिज भंडार, विशेष रूप से जो खनिज आर्थिक विकास की रीढ़ हैं, जैसे- लोहा, कोयला, बॉक्साइट, चूना, ताँबा, मैंगनीज़, क्रोमियम आदि के विकास की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाना महत्त्वपूर्ण है।
- यह ज़रूरी है कि उद्योगों के विभिन्न संघ ग्रामीण भारत के क्षेत्रों में बैठकों या सेमिनारों का आयोजन कर सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्रदान करें। साथ ही वहाँ कौशल विकास कार्यक्रम चलाकर राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- तकनीक और स्मार्ट वर्किंग की शुरुआत करके लागत को कम करना आवश्यक है।
- इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की घरेलू उपलब्धता, मज़बूत घरेलू मांग और युवा कार्यबल की उपलब्धता के परिणामस्वरूप भारत को इस्पात उत्पादन में अपने समकक्षों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्राप्त होगा।
  - देश में खनिजों की प्रचुरता के कारण धातु क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिये देश की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है।
- भारत की तुलनात्मक रूप से कम प्रति व्यक्ति इस्पात खपत, साथ ही बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं ऑटोमोबाइल और रेलवे क्षेत्रों में खपत में वृद्धि के कारण अपेक्षित वृद्धि के लिये अवसर प्रदान करती है।

बहिर्वाह प्रेषण प्रवृत्ति

चर्चा में क्यों?

आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत कुल बहिर्वाह प्रेषण, मार्च 2022 में 12.684 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मार्च 2022 के अंत तक 19.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया था।

- मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी भारतीयों द्वारा देश से बाहर ले जाए जाने वाले अमेरिकी डॉलर और यूरो सहित विदेशी मुद्रा में 54.60% की वृद्धि हुई है।

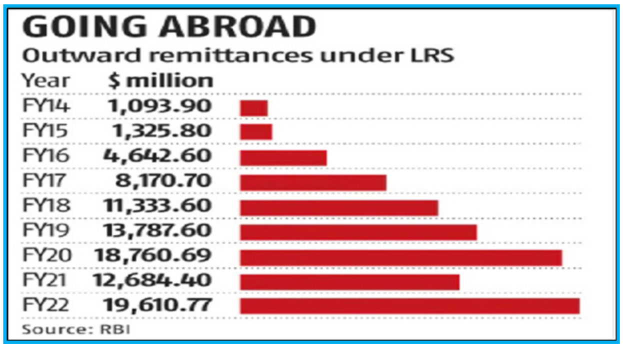

प्रेषण:

- प्रेषण से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय/परिवार को भेजी जाने वाली आय से है।
- यह मूल रूप से दो मुख्य घटकों का योग है- निवासी और अनिवासी परिवारों के मध्य नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण तथा कर्मचारियों का मुआवज़ा, यह उन श्रमिकों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिये दूसरे देश में काम करते हैं।
- प्रेषण प्राप्तकर्त्ता देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता करते हैं, लेकिन यह ऐसे देशों को प्रेषण अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भर भी बना सकता है।

बहिर्वाह प्रेषण:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अनुसार, बहिर्वाह प्रेषण का आशय किसी भी वास्तविक उद्देश्य से भारत से किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर एक लाभार्थी (नेपाल और भूटान को छोड़कर) को विदेशी मुद्रा के रूप में धन का हस्तांतरण करना है।

बहिर्वाह प्रेषण प्रवृत्ति:

- कुल बहिर्वाह प्रेषण:
  - कुल बहिर्वाह प्रेषण वित्त वर्ष 2022 में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर था क्योंकि इसने कोविड-19 व्यवधान में कमी के कारण पिछले वर्ष के कमज़ोर प्रदर्शन की तुलना में मज़बूत वापसी की।
  - इस वापसी को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और विदेशी शिक्षा पर भारतीयों के अधिक खर्च किये जाने की वजह से समर्थन मिला।
- बहिर्वाह प्रेषण के भाग:
  - अंतर्राष्ट्रीय यात्रा: वित्त वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में तेज़ी आई, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने यात्रा पर 6.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया, जो कि वित्त वर्ष 2021 में यात्रा पर किये गए खर्च के दोगुने से अधिक है।
  - हालाँकि वित्त वर्ष 2020 में भी भारतीयों द्वारा यात्रा पर किया गया खर्च लगभग 6.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - विदेशी शिक्षा: विदेशी शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण खंड है जिसने वित्त वर्ष 2022 में समुचित विकास देखा है क्योंकि भारतीयों ने वर्ष में 5.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रेषण किया है।
  - इसमें वित्त वर्ष 2021 से 35% की वृद्धि देखी गई है, जब भारतीयों ने 3.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण किया था।
  - वित्त वर्ष 2020 में विदेशी शिक्षा के लिये प्रेषण लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - उपहार: भारतीयों ने वित्त वर्ष 2022 में उपहार के रूप में 2.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण किया, जो वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 47.28% अधिक है।
  - वित्त वर्ष 2020 में भारतीयों ने LRS योजना के तहत उपहार के रूप में लगभग 1.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे।

विदेशी इक्विटी और ऋण में निवेश:

- भारतीयों द्वारा विदेशी इक्विटी और ऋण में निवेश भी वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 746.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 471.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

उदारीकृत प्रेषण योजना:

- यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्त्वावधान में फरवरी 2004 में प्रारंभ की गई थी।
- वर्तमान समय में LRS के तहत सभी निवासी व्यक्तियों जिसमें नाबालिग भी शामिल हैं, को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेन-देन या दोनों के संयोजन के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) तक 2,50,000 डॉलर तक की छूट दी जाती है।
- यह योजना किसी कॉर्पोरेट, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) एवं ट्रस्ट आदि के लिये उपलब्ध नहीं है।
- LRS के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से प्रेषित अथवा उनके माध्यम से खरीदे गए विदेशी मुद्रा की कुल राशि 2,50,000 डॉलर की निर्धारित संचयी (Cumulative) सीमा के भीतर होनी चाहिये।

चालू और पूंजी खाता विनिमय:

- चालू खाता विनिमय: एक निवासी द्वारा किये गए सभी लेन-देन जो भारत के बाहर आकस्मिक देनदारियों सहित उसकी संपत्ति या देनदारियों को परिवर्तित नहीं करते हैं, चालू खाता विनिमय कहलाते हैं।
  - उदाहरण: विदेश व्यापार के संबंध में भुगतान, विदेश यात्रा के संबंध में खर्च, शिक्षा आदि।

- पूंजी खाता विनिमय: इसमें वे लेन-देन शामिल हैं जो भारत के निवासी द्वारा किये जाते हैं जिसमें भारत के बाहर उसकी संपत्ति या देनदारियाँ परिवर्तित हो जाती हैं (या तो बढ़ जाती है या घट जाती है)।
  - उदाहरण: विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि।

वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट: ILO

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट पर ILO मॉनिटर का नौवाँ संस्करण ज़ारी किया, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही के दौरान महत्त्वपूर्ण लाभ के बाद वर्ष 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम के घंटों की संख्या में गिरावट आई है, जो कोविड-19 से पहले रोज़गार की स्थिति से 3.8 प्रतिशत कम है।

- इसका मुख्य कारण हाल ही में चीन में लॉकडाउन, यूक्रेन एवं रूस के बीच संघर्ष और खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में वैश्विक वृद्धि है।
- रिपोर्ट इस संदर्भ में वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है कि देश कैसे अनियमित श्रम बाज़ार में सुधार कर रहे हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता, बढ़ती मुद्रास्फीति और सख्त कोविड-19 रोकथाम उपायों की निरंतरता जैसे कारकों से बाधित हुआ है।

रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष:

- वैश्विक:
  - कार्यावधि में कमी:
  - भारत और निम्न-मध्यम-आय वाले देशों ने वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में कार्यावधि गिरावट में लैंगिक अंतर का अनुभव किया।
  - हालाँकि भारत में महिलाओं के काम के घंटों का प्रारंभिक स्तर बेहद कम था, भारत में महिलाओं द्वारा किये गए कार्य के घंटों में कमी का निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के समग्र प्रदर्शन पर मामूली प्रभाव पड़ा है।
  - इसके विपरीत भारत में पुरुषों द्वारा कार्य करने के घंटों में कमी का समग्र प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
  - विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर:
  - विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच महत्त्वपूर्ण व बढ़ती असमानता बनी हुई है।
  - जहाँ उच्च आय वाले देशों में काम के घंटों में सुधार देखा गया, वहीं निम्न और निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में संकट-पूर्व आधार रेखा की तुलना में वर्ष की पहली तिमाही में 3.6 एवं 5.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
  - कार्यस्थल बंद होने की प्रवृत्ति:
  - वर्ष 2021 के अंत और वर्ष 2022 की शुरुआत में संक्षिप्त उछाल के बाद वर्तमान में कार्यस्थल बंद होने की प्रवृत्ति में गिरावट आई है।
  - जबकि अधिकांश श्रमिक किसी-न-किसी प्रकार के कार्यस्थल प्रतिबंध वाले देशों में रहते हैं, लेकिन प्रतिबंध का सबसे गंभीर रूप (आवश्यक कार्यस्थलों को छोड़कर सभी के लिये अर्थव्यवस्था-व्यापी आवश्यक बंद) अब लगभग समाप्त हो गया है।
  - हाल ही में सख्ती के साथ कार्यस्थलों को बंद करने में यह कटौती यूरोप और मध्य एशिया में विशेष रूप से स्पष्ट की गई थी, जहाँ वर्तमान में 70% श्रमिकों को या तो केवल अनुशंसित बंद का सामना करना पड़ता है या बिल्कुल भी नहीं।
  - रोज़गार पुन: प्राप्ति प्रवृत्तियों में विचलन:
  - काम के घंटों में समग्र विचलन के अनुरूप वर्ष 2021 के अंत तक अधिकांश उच्च-आय वाले देशों में रोज़गार के स्तर में सुधार हुआ था, जबकि अधिकांश मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में घाटे की प्रवृत्ति बनी रही।
  - वर्ष 2019 की अंतिम तिमाही से रोज़गार-से-जनसंख्या अनुपात में अंतर वर्ष 2021 के अंत तक समाप्त हो गया था।
  - श्रम आय की अब तक पुन: प्राप्ति नहीं हुई है:
  - वर्ष 2021 में पाँच में से तीन श्रमिक उन देशों में रहते थे जहाँ औसत वार्षिक श्रम आय अभी तक वर्ष 2019 की चौथी तिमाही के अपने स्तर तक नहीं पहुँच पाई थी।
  - निम्न, निम्न-मध्यम और उच्च-मध्यम आय वाले देशों (चीन को छोड़कर) में श्रमिकों को वर्ष 2021 में क्रमश: -1.6%, -2.7% और -3.7% की दर से कम श्रम आय भुगतान पर कार्य करना पड़ा।
  - अनौपचारिक रोज़गार अधिक प्रभावित हुआ, विशेष रूप से महिलाओं के मामले में लेकिन औपचारिक रोज़गार की तुलना में विपरीत स्थिति विद्यमान है:
  - उदाहरण के लिये औपचारिक रोज़गार से विस्थापित श्रमिक आजीविका चलाने के लिये अनौपचारिक रोज़गार का सहारा लेते हैं, जबकि जो पहले से ही अनौपचारिक रोज़गार में हैं, वे वहीं पर बने रहते हैं।
  - इस कारण से आर्थिक मंदी के दौरान अनौपचारिक रोज़गार में औपचारिक रोज़गार की तुलना में कम परिवर्तन देखा गया।
- भारत:
  - महामारी से पहले रोज़गार में संलग्न हर 100 महिलाओं में से महामारी की इस पूरी अवधि के दौरान औसतन 12.3 महिलाओं ने अपना रोज़गार खो दिया।

- इसके विपरीत प्रत्येक 100 पुरुषों पर यह आँकड़ा 7.5 है।
- इसलिये ऐसा लगता है कि महामारी ने देश में रोज़गार भागीदारी में पहले से ही व्याप्त लैंगिक असंतुलन को बढ़ा दिया है।
- भारत में महिला रोज़गार में कमी आई है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में।

अनुशंसाएँ:

- श्रमिकों की क्रय क्षमता में सुधार किया जाना चाहिये। ILO अच्छी नौकरियों और अच्छे वेतन की वकालत करता है।
  - भारत में अधिकांश लोग बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के संविदा पर कार्य कर रहे हैं। यदि उचित मज़दूरी नहीं मिलती है, तो क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी। वेतन संहिता वर्ष 2019 में पारित हुई थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है।
- एक मानव-केंद्रित पुन: प्राप्ति जो काम के उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में सतत् विकास पथ स्थापित करती है, पहले से कहीं अधिक ज़रूरी है। जून 2021 में 109वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में ILO के 187 सदस्य राज्यों की त्रिपक्षीय सहमति से इस तरह के दृष्टिकोण पर सहमति बनी, जिसने कोविड-19 संकट से 'मानव-केंद्रित पुन: प्राप्ति के लिये वैश्विक कार्रवाई' को अपनाया, जो समावेशी, टिकाऊ व लचीला है तथा विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह कार्रवाई सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित अनुशंसाओं का समूह है।
- जोखिम के आकलन के साथ विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों को समय पर प्रभावी समर्थन के लिये श्रम आय और समग्र जीवन स्तर की क्रय शक्ति की रक्षा व रखरखाव की आवश्यकता है।
- मुद्रास्फीति संबंधी समस्या के एक नीतिगत चुनौती के रूप में उभरने के साथ समष्टि आर्थिक नीतियों को सावधानीपूर्वक समायोजित करने की आवश्यकता है। साथ ही उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सख्त होने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिये वित्तीय प्रवाह के विवेकपूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता होगी।
- लंबी अवधि में वसूली को बढ़ावा देने के लिये औपचारिकता, स्थिरता और समावेशिता के लक्ष्य के साथ अच्छी नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने हेतु अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई क्षेत्रीय नीतियों की आवश्यकता है।
- पुनर्प्राप्ति अवधि के दौरान लोगों को संक्रमण में सहायता प्रदान करने के लिये लक्षित नीतियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं, जिसमें कमज़ोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करना और अनौपचारिक रोज़गार में काम करने वालों के लिये काम की स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण के दौरान मदद करना शामिल है।
- श्रम बाज़ार में लचीलापन और निष्पक्षता के साथ योगदान करने के लिये इन प्रयासों को मज़बूत श्रम बाज़ार संस्थानों, सामूहिक सौदेबाज़ी एवं उन सामाजिक संवादों से जोड़ने की ज़रूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सम्मान करते हैं।
- तत्काल आवश्यक सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य संबंधी उपायों सहित) सुनिश्चित करने और उचित बदलाव को बढ़ावा देने के लिये अच्छे रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण एक बड़ा अंतर ला सकता है।
  - इस संबंध में 'ग्लोबल एक्सेलेरेटर फॉर जॉब्स एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जस्ट ट्रांज़ीशन', जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक मुख्य रूप से हरित, डिजिटल अर्थव्यवस्था में कम-से-कम 400 मिलियन नौकरियाँ सृजित करना है एवं वर्तमान में 4 बिलियन से अधिक लोगों के लिये सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- कई अन्य लक्ष्यों के अलावा इसे उद्यम-सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने, मानवीय क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है जो उत्पादक क्षमताओं का विस्तार कर सके, लोगों की रक्षा कर सके और सामाजिक संवाद व श्रम मानकों की पूर्णता के संदर्भ में अधिक रोज़गार पैदा कर सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन:

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियाँ को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
  - वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
- वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
- मुख्यालय: इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

ILO का कन्वेंशन नंबर 144:

- वर्ष 1976 का कन्वेंशन 144 जिसे त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक) पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, एक आवश्यक सिद्धांत के अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना की गई थी, जो है:
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के विकास और कार्यान्वयन में त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के संबंध में त्रिपक्षीयवाद व्यापक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सामाजिक संवाद की राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।

चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा की।

- साथ ही उपभोक्ताओं को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिये 20 लाख मीट्रिक टन वार्षिक कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क तथा कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) को दो वित्तीय वर्षों (2022-23 व 2023-24) के लिये छूट दी गई।
- आयात शुल्क में छूट से घरेलू कीमतों को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

कृषि अवसंरचना विकास उपकर:

- उपकर एक प्रकार का विशेष प्रयोजन कर है जो मूल कर दरों के ऊपर लगाया जाता है।
- नए AIDC का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढाँचे के विकास पर खर्च करने के लिये धन जुटाना है।
- एआईडीसी का उपयोग न केवल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बल्कि कृषि उत्पादन को कुशलतापूर्वक संरक्षित और संसाधित करने में मदद करने के उद्देश्य से कृषि बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये किया जाना प्रस्तावित है।

लिये गए निर्णयों का कारण:

- चीनी निर्यात पर प्रतिबंध:
  - कारण:
  - ये कदम "चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता" को बनाए रखने के लिये उठाए गए।
  - यह निर्णय "चीनी के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि" और देश में चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनज़र लिया गया था।
- यह छह साल में पहली बार है कि केंद्र चीनी निर्यात को विनियमित कर रहा है।
  - छूट:
  - चीनी मिलें और व्यापारी जिनके पास सरकार से विशिष्ट अनुमति प्राप्त है, वे केवल 31 अक्तूबर, 2022 तक या अगले आदेश तक चीनी (कच्ची, परिष्कृत और सफेद चीनी सहित) का निर्यात कर सकेंगे।
- इसके अतिरिक्त यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ (ईयू) और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात के लिये लागू नहीं है।
- खाद्य तेल का शुल्क मुक्त आयात:
  - भारत में खाद्य तेल की कीमतों में उछाल के मद्देनज़र इसकी घोषणा की गई थी।
  - भारत दुनिया के सबसे बड़े वनस्पति तेल आयातकों में से एक है और अपनी 60% ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है।
  - इस बीच यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद खाद्य तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - भारत में सूरजमुखी का तेल मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है।
  - फरवरी 2022 में कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को पहले के 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया था।
- गंभीर मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित करने के लिये:
  - खाद्य, ईंधन और फसल पोषक तत्त्वों की बढ़ती कीमतों के साथ गंभीर मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए।
  - अप्रैल 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर आठ साल के उच्च स्तर 7.79% पर पहुँच गई थी, जबकि थोक मुद्रास्फीति लगातार 13 महीनों से दोहरे अंकों में रही है।
  - अप्रैल 2022 के लिये तेल और वसा हेतु मुद्रास्फीति दर 17.28% दर्ज की गई नवीनतम प्रिंट के साथ खुदरा खाद्य तेल मुद्रास्फीति वर्ष 2021 के दौरान 20-35% के स्तर पर रही।

मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने हेतु अन्य उपाय:

- भारत द्वारा:
  - पेट्रोल और डीज़ल के टैक्स में कटौती:
  - सप्ताहांत में केंद्र ने बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के अपने प्रयासों के तहत गैसोलीन, डीज़ल, कोकिंग कोल और स्टील के कच्चे माल पर कर कटौती की घोषणा की।
  - ईंधन करों में कटौती से जब इसका पूरा प्रभाव दिखाई देगा अर्थात् जून 2022 में मुद्रास्फीति को सीधे लगभग 20 आधार अंकों तक कम करने में मदद मिल सकती है।
  - रेपो दर में कमी:
  - भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2022 में आउट-ऑफ-टर्न मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर में 40 बीपीएस की कमी करते हुए मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की उच्च कीमतों पर चिंता व्यक्त की थी।
  - गेहूँ निर्यात पर प्रतिबंध:
  - इससे पहले सरकार ने गेहूँ के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था।

- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक है और इसने मुद्रास्फीति की चिंताओं के बावजूद अपनी विशाल आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिये निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुना है।
- एशिया में:
  - इंडोनेशिया का पाम ऑयल निर्यात पर प्रतिबंध:
  - विश्व के सबसे बड़े उत्पादक, निर्यातक और पाम ऑयल के उपभोक्ता इंडोनेशिया ने घरेलू खाना पकाने के तेल की कमी एवं बढ़ती कीमतों को कम करने के लिये इसके व्यापार और कच्चे माल के सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
  - मलेशिया ने विदेशों में चिकन की बिक्री रोकी:
  - मलेशिया 1 जून से महीने में होने वाले 36 लाख मुर्गियों के निर्यात को रोक देगा और उत्पादन तथा कीमतों में स्थिरता की स्थिति होने तक गेहूँ के आयात के लिये अनुमोदित परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।

चीनी निर्यातक के रूप में भारत की भूमिका:

- भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
  - यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश का निर्यात अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर रहने की अपेक्षा है।
- चीनी मिलों से लगभग 82 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात के लिये भेजी गई है और लगभग 78 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया जा चुका है।
  - चालू चीनी वर्ष (2021-22) में चीनी का निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है।
- वर्ष के अंत में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 60-65 लाख मीट्रिक टन रहता है जो घरेलू उपयोग के लिये आवश्यक लगभग तीन महीने के स्टॉक के बराबर है।

भारत में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के बारे में:

- इसकी दो प्रमुख विशेषताएँ हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - पहला 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना थी, जिसे बाद में वर्ष 2014 में तिलहन और पाम ऑयल (NMOOP) पर राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया गया था।
  - इसके अलावा इसे NFSM (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) में शामिल कर दिया गया था।
  - इससे तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को बल मिला।
  - दूसरी प्रमुख विशेषता जिसका खाद्य तिलहन/तेल उद्योग की वर्तमान स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, वह है उदारीकरण का कार्यक्रम, जो खुले बाज़ार को अधिक स्वतंत्रता देता है और सुरक्षा तथा नियंत्रण के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा एवं स्व-नियमन को प्रोत्साहित करता है।
- 'पीली क्रांति' भारत में चलाई गई प्रमुख क्रांतियों में से एक है जिसे घरेलू मांग को पूरा करने के लिये देश में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये शुरू किया गया था।
- सरकार ने तिलहन के लिये खरीफ रणनीति 2021 भी शुरू की है।
  - इस रणनीति के माध्यम से तिलहन के अंतर्गत अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा और साथ ही 120.26 लाख क्विंटल तिलहन तथा 24.36 लाख टन खाद्य तेल के उत्पादन का अनुमान है।
- भारत में आमतौर पर उपयोग किये जाने वाले खाद्य तेल: देश में खपत होने वाले प्रमुख खाद्य तेल सरसों, सोयाबीन, मूँगफली, सूरजमुखी, तिल का तेल, नाइजर बीज, कुसुम बीज, अरंडी और अलसी (प्राथमिक स्रोत) तथा नारियल, ताड़ का तेल, बिनौला, चावल की भूसी, विलायक निकाले गए तेल, पेड़ व वन मूल तेल।

आगे की राह

- हालाँकि इस निर्णय का अर्थव्यवस्था में कीमतों के दबाव पर एक मध्यम प्रभाव पड़ेगा, चिंता यह है कि मुद्रास्फीति की जड़ें मज़बूत हो गई हैं तथा इसके RBI के मध्यम अवधि के मुद्रास्फीति लक्ष्य 2-6% से ऊपर रहने की संभावना है।
- आयात नीति में एकरूपता होनी चाहिये क्योंकि यह अग्रिम रूप से उचित बाज़ार संकेत प्रदान करती है। आयात शुल्क के माध्यम से हस्तक्षेप करना कोटा से बेहतर है जिससे अधिक हानि होती है।
- यह उपग्रह रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तकनीकों का उपयोग करके अधिक सटीक फसल पूर्वानुमान की भी मांग करता है ताकि फसल वर्ष में बहुत पहले से कमी/अधिशेष को इंगित किया जा सके।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के अनंतिम परिणाम जारी किये गए।

- यह सर्वेक्षण ASI वेब पोर्टल के माध्यम से अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के दौरान आयोजित किया गया था।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण:

- ASI, भारत में औद्योगिक आँकड़ों का प्रमुख स्रोत, संगठित विनिर्माण पर सबसे व्यापक डेटा है।

- इसमें बिजली का उपयोग करके 10 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी कारखानों और बिजली का उपयोग किये बिना 20 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी कारखाने शामिल हैं।

सर्वेक्षण की विशेषताएँ:

- कारखानों में वृद्धि:
  - 2019-20 में देश में कारखानों की संख्या 1.7% बढ़कर 2.46 लाख हो गईं, जिसमें कुल 1.3 करोड़ कर्मचारी कार्यरत थे।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण:
  - सकल स्थायी पूंजी निर्माण, निवेश का एक संकेतक है, जो 2019-20 में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में 20.5 प्रतिशत बढ़कर 4.15 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 10.2 प्रतिशत बढ़कर 3.44 लाख करोड़ रुपए था।
  - इसकी तुलना 2018-19 में कारखानों की संख्या में 1.98% की वृद्धि के साथ 2.42 लाख और 2017-18 के विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में 1.2% की वृद्धि के साथ की जाती है।
  - ये संख्याएँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले वर्ष 2019-20 के सामान्य वर्ष के परिणाम हैं, जिसने रोज़गार वृद्धि को प्रभावित किया।
- अचल पूंजी, लेखा वर्ष के समापन दिन पर कारखाने के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों के मूल्यह्रास मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसमें वह भूमि शामिल है जिसमें लीज-होल्ड भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर तथा सैनिटरी वस्तुएँ, परिवहन उपकरण, जल प्रणाली एवं सड़क मार्ग शामिल है। अन्य अचल संपत्ति जैसे- अस्पताल, स्कूल आदि का उपयोग कारखाने के श्रमिकों के लिये किया जाता है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोज़गार:

- कॉर्पोरेट क्षेत्र:
  - कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोज़गार, जिसमें सार्वजनिक और निजी, सरकारी तथा गैर-सरकारी कंपनियाँ शामिल हैं, 2019-20 में 5.5% बढ़कर 97.03 लाख हो गया, जबकि व्यक्तिगत स्वामित्व में यह 3.1% घटकर 11.36 लाख हो गया।
- साझेदारी में:
  - साझेदारी के क्षेत्र में रोज़गार 2019-20 में 11.7% घटकर 18.58 लाख हो गया, जबकि सीमित देयता साझेदारी के लिये यह 42% बढ़कर 1.22 लाख हो गया।
- श्रमिकों का रोज़गार:
  - राज्यों में तमिलनाडु में 2019-20 में श्रमिकों के रोज़गार की सबसे अधिक संख्या थी, इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान है।
- कुल मज़दूरी का भुगतान:
  - 2019-20 में श्रमिकों को भुगतान की गई कुल मज़दूरी में 6.3% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 11.9% की मज़दूरी वृद्धि हुई थी।
  - 2019-20 में कॉर्पोरेट क्षेत्र में कारखाने के श्रमिकों के लिये मज़दूरी में 7.7% की वृद्धि हुई।
  - कामगारों के आँकड़ों में उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो सीधे या किसी भी एजेंसी के माध्यम से नियोजित होते हैं, यानी वे मज़दूर हों या नहीं लेकिन किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में लगे हुए हों या विनिर्माण प्रक्रिया के लिये उपयोग की जाने वाली मशीनरी या परिसर के किसी भी हिस्से की सफाई में लगे हुए हों या विनिर्माण प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य प्रकार के कार्य में लगे हुए हों।

कोविड -19 के दौरान स्कूल बंद होने का आर्थिक प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

एशियाई विकास बैंक (ADB) के एक शोधपत्र के अनुसार, कोविड-19 की वजह से स्कूलों के बंद होने के कारण दक्षिण एशिया में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सबसे अधिक गिरावट दिखने की संभावना है।

- स्कूल बंद होने से वैश्विक जीडीपी और रोज़गार में संकुचन देखा गया। यह स्थिति समय के साथ और विकराल होने की आशंका है।
- भारत उन देशों में शामिल है जहाँ कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रहे।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- वैश्विक परिदृश्य:
  - GDP पर प्रभाव:
  - सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024 में 0.19%, 2028 में 0.64% और 2030 में 1.11% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जिसका कुल अनुमान 943 बिलियन डॉलर है।
  - कुशल श्रम पर प्रभाव:
  - स्कूल बंद होने से वर्ष 2030 तक दुनिया भर में लगभग 5.44 मिलियन लोगों के कुशल श्रम बल को रोज़गार से वंचित होना पड़ेगा।
  - रोजगार के वर्ष 2024 में 0.05%, वर्ष 2026 में 0.25% और वर्ष 2030 में 0.75% तक घटने की संभावना है, जिससे कुल 94.86 बिलियन डॉलर की मज़दूरी का नुकसान होगा।

- अकुशल श्रम पर प्रभाव:
- रोज़गार वर्ष 2025 में 0.22%, वर्ष 2027 में 0.51% और वर्ष 2030 में 1.15% तक घटने का अनुमान है।
- वर्ष 2030 में लगभग 35.69 मिलियन लोग अकुशल श्रम-बल की ओर पलायन करेंगे, जो कि 121.54 बिलियन डॉलर की मज़दूरी का नुकसान होगा।

- विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर अलग-अलग प्रभाव:
  - एशिया भर में सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी ग्रामीण छात्र आबादी के साथ-साथ सबसे गरीब और द्वितीय संपत्ति पंचमक/क्विंटाइल (Second Wealth Quintile) में शामिल हैं। यह इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण है जिससे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हुई है।
  - कई प्रभावित छात्रों का अकुशल श्रम-बल की ओर पलायन हुआ, जो अर्थव्यवस्थाएँ अकुशल श्रम रोज़गार की उच्च हिस्सेदारी रखती हैं उन्हें सीखने में नुकसान के साथ आय अर्जन में भी कमी का सामना करना पड़ा।
- भारतीय परिदृश्य:
  - GDP पर प्रभाव:
  - इसकी GDP में प्रतिशत के संदर्भ में वर्ष 2023 में 0.34%, 2026 में 1.36% और 2030 में 3.19% कम होने की संभावना है।
  - वर्ष 2030 तक 943 बिलियन डॉलर की वैश्विक GDP गिरावट में भारत का हिस्सा 10% होने का अनुमान है।
  - श्रम पर प्रभाव:
  - वर्तमान में भारत के कार्यबल में 408.4 मिलियन अकुशल और 72.65 मिलियन कुशल श्रम-बल शामिल हैं।
  - कुशल और अकुशल श्रम रोज़गार में क्रमश: 1% और 2% की गिरावट के साथ अकुशल कार्यबल की ओर एक महत्त्वपूर्ण प्रवासन की संभावना है।

सकल घरेलू उत्पाद के बारे में:

- GDP किसी देश में आर्थिक गतिविधि का एक पैमाना है। यह किसी देश के वस्तु और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मूल्य है। यह उपभोक्ताओं की ओर से आर्थिक उत्पादन का विवरण प्रदान करता है।
- GDP = निजी उपभोग + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात-आयात)।

एशियाई विकास बैंक:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी।
- ADB में कुल 68 सदस्य शामिल हैं, भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है।
- इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- 31 दिसंबर, 2019 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) शामिल हैं।
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

आगे की राह

- भारत सरकार मौद्रिक सहजता, राजकोषीय प्रोत्साहन और सहायक वित्तीय विनियमन जैसे प्रयासों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाल ही में इसने ई-श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। हालाँकि महामारी के दौरान सीखने के नुकसान के प्रभाव का सामना करने के लिये डिजिटल विभाजन को कम करने पर ज़ोर देने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में उच्च निवेश की आवश्यकता है।
- महामारी से प्रभावित छात्रों का आकलन कर उनके सीखने की प्रक्रिया का समर्थन किया जा सकता है।
- बजट में सरकार को शिक्षा पर खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिये। पर्याप्त धन और संसाधनों के वितरण में ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमज़ोर और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के उन छात्रों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये जो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित रहे।
- इसके अतिरिक्त विद्यालयों से उत्तीर्ण होने से पूर्व युवाओं के लिये युवा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये।
- शैक्षिक सुधारों के प्रत्यक्ष प्रयासों के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिये।

भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आँकड़े तक पहुँच गई है।

- एक यूनिकॉर्न का अर्थ कम-से-कम 7,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले स्टार्टअप से है। इन यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 330 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
- भारतीय यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, यूके और कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है।

यूनिकॉर्न:

- परिचय:
  - एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाज़ार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
  - यह अन्य उत्पादों/सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिये समर्पित नई संस्थाओं की उपिस्थिति को दर्शाता है।
  - फिनटेक, एडटेक, बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B-2-B) कंपनियाँ आदि इसकी कई श्रेणियाँ हैं।
- विशेषताएँ:
  - विभाजनकारी नवाचार: अधिकतर सभी यूनिकॉर्न उस क्षेत्र में नवाचार लाए हैं जिससे वे संबंधित हैं, उदाहरण के लिये 'उबर' ने आवागमन के स्वरुप को बदल दिया है।
  - तकनीक संचालित: यह व्यापार मॉडल नवीनतम तकनीकी नवाचारों और प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है।
  - उपभोक्ता-केंद्रित: इनका लक्ष्य उपभोक्ताओं के लिये कार्यों को सरल बनाना और उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बनना है।
  - वहनीयता : उत्पादों को वहनीय बनाना इन स्टार्टअप्स की एक प्रमुख विशेषता है।
  - निजी स्वामित्व: अधिकांश यूनिकॉर्न निजी स्वामित्व वाले होते हैं, जब एक स्थापित कंपनी इसमें निवेश करती है तो उनका मूल्यांकन और बढ़ जाता है।
  - सॉफ्टवेयर आधारित: एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि यूनिकॉर्न के 87% उत्पाद सॉफ्टवेयर हैं, 7% हार्डवेयर हैं और बाकी 6% अन्य उत्पाद एवं सेवाएँ हैं।

भारत में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की स्थिति:

- स्थिति:
  - भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है।
  - वर्ष 2021 में 44 भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिससे यूनिकॉर्न की कुल संख्या 83 हो गई है, जिनमें से अधिकाँश सेवा क्षेत्र में हैं।
  - भारत ने कई रणनीतिक और सशर्त कारणों से यूनिकॉर्न में इतनी तेज़ी से वृद्धि देखी है।
- विकास का चालक:
  - सरकारी सहायता:
  - भारत सरकार मूल्य श्रृंखला में विघटनकारी नवप्रवर्तकों के साथ काम करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिये उनके नवाचारों का उपयोग करने के महत्त्व को समझ रही है।
  - पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर 5 श्रेणियों में 10 लाख रुपए के स्टार्टअप को पुरस्कृत करने के लिये एक बड़ी प्रतिस्पर्द्धा का आयोजन किया है।
  - डिजिटल सेवाओं को अपनाना:
  - महामारी के दौरान स्टार्टअप और नए जमाने के उपक्रमों को ग्राहकों के लिये तकनीकी केंद्रित व्यवसाय बनाने में मदद करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल सेवाओं को अपनाने में तेजी देखी गई।
  - ऑनलाइन सेवाएँ और वर्क फ्रॉम होम संस्कृति:
  - कई भारतीय खाद्य वितरण और एडु-टेक से लेकर ई-किराने तक सेवा प्रदाता ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
  - वर्क फ्रॉम होम संस्कृति ने स्टार्टअप्स के उपयोगकर्त्ता आधार की संख्या बढ़ाने में मदद की और उनकी व्यवसाय विस्तार योजनाओं में तेज़ी लाकर निवेशकों को आकर्षित किया।
  - डिजिटल भुगतान:
  - डिजिटल भुगतान की वृद्धि एक और पहलू है जिसने यूनिकॉर्न को सबसे अधिक सहायता दी।
  - प्रमुख सार्वजनिक निगमों से खरीद:
  - कई स्टार्टअप प्रमुख सार्वजनिक निगमों से खरीद के परिणामस्वरूप यूनिकॉर्न बन जाते हैं जो आंतरिक विकास में निवेश करने के बजाय अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लियेअधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं।
- संबद्ध चुनौतियाँ:
  - निवेश बढ़ाना स्टार्टअप की सफलता सुनिश्चित नहीं करता: कोविड-19 संकट के बीच जब केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में तरलता जारी की है, तो पैसा जुटाना कोई कठिन काम नहीं है।
  - स्टार्टअप्स में निवेश किये जा रहे अरबों डॉलर दूरगामी परिणामों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं, न कि राजस्व के माध्यम से मूल्य सृजन।
  - साथ ही इस तरह के निवेशों के साथ इन स्टार्टअप्स के गतिमान रहने की उच्च दर की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसे मुनाफे से सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत अभी भी एक सीमांत खिलाड़ी: फिनटेक और ई-कॉमर्स क्षेत्र में भारत के स्टार्टअप असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र अभी भी स्टार्टअप के लिये एक बाहरी क्षेत्र बना हुआ है।
  - वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 440 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम है।

- यह परिदृश्य इस तथ्य के बावजूद है कि भारत एंड-टू-एंड क्षमता के साथ उपग्रह निर्माण, संवर्द्धित प्रक्षेपण यान के विकास और अंतर-ग्रहीय मिशनों को तैनात करने के मामले में एक अग्रणी अंतरिक्ष-अन्वेषी देश है।
  - अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वतंत्र निजी भागीदारी की कमी के कारणों में एक ऐसे ढाँचे का अभाव प्रमुख है जो कानूनों के संबंध में पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करे।
  - भारतीय निवेशक जोखिम लेने को तैयार नहीं: भारत के स्टार्टअप क्षेत्र के बड़े निवेशक विदेशों से हैं, जैसे जापान का सॉफ्टबैंक, चीन का अलीबाबा और अमेरिका का सिकोइया (Sequoia)।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि भारत में एक महत्त्वपूर्ण उद्यम पूंजी उद्योग का अभाव है जो जोखिम लेने को तैयार हो।
  - देश के स्थापित कारोबारी समूह का जुड़ाव प्राय: पारंपरिक व्यवसायों से रहा है।

संबंधित सरकारी पहल:

- स्टार्टअप इनोवेशन चुनौतियाँ: यह किसी भी स्टार्टअप के लिये अपने नेटवर्किंग और फंड जुटाने के प्रयासों का लाभ उठाने का एक शानदार तरीका है।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार: यह उन उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने और पुरस्कृत करने का प्रयास करता है जो नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिशीलता में योगदान दे रहे हैं।
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर राज्यों की रैंकिंग: यह एक विकसित मूल्यांकन उपकरण है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समर्थन से अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- SCO स्टार्टअप फोरम: पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्टअप फोरम को सामूहिक रूप से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और सुधार के लिये अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
- प्रारंभ (Prarambh): 'प्रारंभ' शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्ट अप और युवांओं को नए विचारों, नवाचारों और आविष्कारो हेतु एक साथ आने के लिये मंच प्रदान करना है।

आगे की राह

- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के त्वरित विकास के लिये धन की आवश्यकता होती है, इसलिये उद्यम पूंजी और एंजेल निवेशकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।
- उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले नीतिगत निर्णयों के अलावा यह भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र की भी म्मेदारी है कि वह उद्यमिता को बढ़ावा दें और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी समाधान और टिकाऊ एवं संसाधन-कुशल विकास के निर्माण के लिये तालमेल बनाए।
- हाल की घटनाओं ने चीन में पूंजी को लेकर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न की है, दुनिया का ध्यान भारत में आकर्षक तकनीकी अवसरों एवं सृजित किये जा सकने वाले मूल्य पर केंद्रित हो रहा है। इसके लिये भारत को डिजिटल इंडिया पहल के अलावा निर्णायक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

भारत में असंगठित अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 27.69 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं।

ई-श्रम पोर्टल:

- परिचय:
  - वर्ष 2021 में शुरू किये गए ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य देश में असंगठित श्रमिकों (NDUW) के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना है।
- लक्ष्य:
  - उद्देश्य: देश भर में कुल 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे- निर्माण मज़दूरों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना।
  - इसके तहत श्रमिकों को एक 'ई-श्रम कार्ड' जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा।
  - यदि कोई कर्मचारी 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए पाने का पात्र होगा।
  - पोर्टल का उद्देश्य देश में असंगठित कामगारों के अंतिम पंक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को बढ़ावा देना है।
- पृष्ठभूमि:
  - ई-श्रम पोर्टल का गठन सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद किया गया है, जिसमें न्यायालय ने सरकार को जल्द-से-जल्द असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
- कार्यान्वयन:
  - देश भर में असंगठित कामगारों का पंजीकरण संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाएगा।

भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति:

- सामाजिक श्रेणी विश्लेषण:
  - ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 27.69 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में से 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपए

या उससे कम है और नामांकित कार्यबल का 74% से अधिक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित है।
- सामान्य श्रेणी के श्रमिकों का अनुपात 25.56% है।
- आँकड़ों से पता चला है कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों में से 94.11% की मासिक आय 10,000 रुपए या उससे कम है, जबकि 4.36% की मासिक आय 10,001 रुपए और 15,000 रुपए के बीच है।

- आयु-वार विश्लेषण:
  - पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 61.72% 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के हैं, जबकि 22.12% 40 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के हैं।
  - 50 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत श्रमिकों का अनुपात 13.23% है, जबकि 2.93% श्रमिक 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच हैं।
- लिंग-वार विश्लेषण:
  - पंजीकृत श्रमिकों में 52.81% महिलाएँ हैं और 47.19% पुरुष हैं।
- पंजीकरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य:
  - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा।
- व्यवसाय-वार:
  - कृषि क्षेत्र से संबंधित 52.11% नामांकन के साथ कृषि शीर्ष पर है, इसके बाद घरेलू श्रमिकों ने 9.93% और निर्माण श्रमिकों ने 9.13% पर नामांकन किया है।

भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था की स्थिति:

- असंगठित अर्थव्यवस्था उन उद्यमों का प्रतिनिधित्व करती है जो पंजीकृत नहीं हैं, जहाँ नियोक्ता कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।
  - भारत सहित कई विकासशील देशों में असंगठित क्षेत्र में धीमी गति से गिरावट आई है, जो शहरी गंदगी, गरीबी और बेरोज़गारी में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।
  - पिछले दो दशकों में तेज़ी से आर्थिक विकास देखने के बावजूद भारत में 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग आधा उत्पादन करते हैं।
  - आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आँकड़ों से पता चलता है कि 75% असंगठित श्रमिक स्व-नियोजित और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी औसत आय नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की तुलना में कम है।
  - भारत की आधिकारिक परिभाषा के साथ आईएलओ की व्यापक रूप से सहमत परिभाषा (संगठित नौकरियों के रूप में कम-से-कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने वाले - जैसे ईपीएफ) को मिलाकर भारत में संगठित श्रमिकों की हिस्सेदारी केवल 9.7% (47.5 मिलियन) थी।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित चुनौतियाँ:

- श्रम संबंधी चुनौतियाँ: हालाँकि कार्यबल की बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है, असंगठित क्षेत्र में नियोजित शहरी कार्यबल एक बड़ी चुनौती है।
  - दीर्घावधिक कार्य घंटे, कम वेतन और कठिन कार्य परिस्थिति।
  - निम्न रोज़गार सुरक्षा, नौकरी छोड़ने की उच्च दर और निम्न रोज़गार संतुष्टि।
  - अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा विनियमन।
  - अधिकारों का प्रयोग करने में कठिनाई।
  - बाल श्रम एवं बलात श्रम और विभिन्न कारकों के आधार पर भेदभाव।
  - असंरक्षित, कम वेतन वाली और कम महत्त्व प्राप्त नौकरियाँ।
- उत्पादकता: असंगठित क्षेत्र में मूल रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) और घरेलू व्यवसाय शामिल हैं जो रिलायंस जैसी फर्मों जितने बड़े नहीं हैं। वे इन अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
- कर राजस्व बढ़ाने में असमर्थता: चूँकि असंगठित अर्थव्यवस्था के कार्यकलाप सीधे विनियमित नहीं होते हैं, वे आमतौर पर नियामक ढाँचे से अपनी आय और व्यय छुपाकर करों के भुगतान से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह सरकार के लिये एक चुनौती है क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कर के दायरे से बाहर रह जाता है।
- नियंत्रण और निगरानी की कमी: असंगठित क्षेत्र सरकार की निगरानी से बचा रहता है।
  - इसके अलावा अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सरकार, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लिये और सामान्य रूप से पूरी अर्थव्यवस्था के संबंध में नीतियों का निर्माण करना कठिन हो जाता है।
- निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पाद: यद्यपि असंगठित क्षेत्र भारतीय आबादी के 75% से अधिक को रोज़गार देता है, लेकिन यह मूल्यवर्द्धन प्रति कर्मचारी बहुत कम है। इसका तात्पर्य है कि मानव संसाधन का एक बड़े हिस्से का कम उपयोग किया जा रहा है।

संबंधित पहल:

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)
- श्रम संहिता
- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PM RPY)
- पीएम स्वनिधि: फुटपाथ विक्रेताओं के लिये सूक्ष्म ऋण योजना
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY)
- वन नेशन वन राशन कार्ड
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- भारत के असंगठित मज़दूर वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन

आगे की राह

- सरल नियामक ढाँचा: असंगठित क्षेत्र का संगठित क्षेत्र में संक्रमण तभी हो सकता है जब असंगठित क्षेत्र को नियामक अनुपालन के बोझ से राहत दी जाए और उसे आधुनिक, डिजिटल संगठित प्रणाली के साथ समायोजित करने के लिये पर्याप्त समय प्रदान किया जाए।
- संगठित क्षेत्र में लाने हेतु वित्तीय सहायता: छोटे पैमाने के उद्योगों को अपने दम पर खड़े होने में मदद करने के लिये वित्तीय सहायता देना उन्हें संगठित क्षेत्र में लाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - मुद्रा ऋण और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ युवाओं को संगठित क्षेत्र में जगह बनाने में मदद कर रही हैं।

पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढाँचे का विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर में 1,34,200 करोड़ रुपए की कई रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाओं के निष्पादन की घोषणा की।

- ये परियोजनाएँ शेष भारत को उत्तर-पूर्व के करीब लाने में मदद करेंगी।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भी फोकस का क्षेत्र रहेगा।

पूर्वोत्तर में प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:

- रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी:
  - 4,000 किमी. सड़कें, 2,011 किमी. की 20 रेलवे परियोजनाएँ और 15 हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं।
- जलमार्ग कनेक्टिविटी:
  - गंगा, ब्रह्मपुत्र व बराक नदियों के राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा पर NW-1, ब्रह्मपुत्र पर NW-2 और बराक पर NW-16) बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये विकास के चरण में हैं।
  - चूँकि हवाई, सड़क और रेल नेटवर्क की तुलना में जल के माध्यम से यात्रा की लागत बहुत कम है, इसलिये भारत तथा बांग्लादेश की नदी प्रणालियों का सभी प्रकार के परिवहन के लिये लाभ उठाया जा सकता है।
  - 'इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स' की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है।
  - असम में ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास सदिया और धुबरी के बीच के पूरे क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है ताकि बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा दी जा सके।
  - मल्टीमॉडल हब जिसमें पांडु में एक जहाज़ मरम्मत बंदरगाह, चार पर्यटक घाट और गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर 11 फ्लोटिंग टर्मिनल शामिल हैं, निर्माणाधीन है।
- ईस्टर्न वाटरवेज़ कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड:
  - यह 5,000 किमी. नौगम्य जलमार्ग प्रदान करके पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ेगा।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (NERPSIP):
  - NERPSIP इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मज़बूत करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
  - सरकार विद्युत पारेषण और वितरण, मोबाइल नेटवर्क, 4जी तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं पर भी ज़ोर दे रही है।
- पूर्वोत्तर के लिये प्रधानमंत्री विकास पहल (PM- DevINE): वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। यह प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत उत्तर-पूर्व की ज़रूरतों पर आधारित सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिये बुनियादी ढाँचे को निधि प्रदान करेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्त्व :

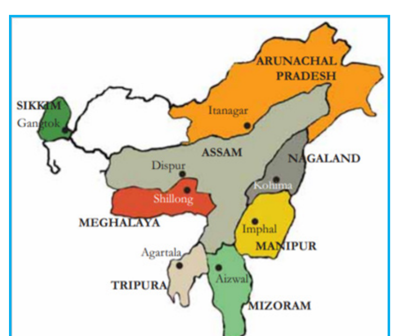

- सामरिक स्थान: पूर्वोत्तर क्षेत्र रणनीतिक रूप से पूर्वी भारत के पारंपरिक घरेलू बाज़ार तक पहुँच के साथ-साथ पूर्वी राज्य पड़ोसी देशों जैसे- बांग्लादेश और म्याँमार से निकटता के साथ स्थित है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंध: एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) की भागीदारी भारत की विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ बनने के साथ, उत्तर-पूर्वी राज्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच भौतिक सेतु के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्य भारत के पूर्व की ओर जुड़ाव की क्षेत्रीय सीमा पर हैं।
- आर्थिक महत्त्व: उत्तर-पूर्व में अपार प्राकृतिक संसाधन हैं, जो देश के जल संसाधनों का लगभग 34% और भारत की जलविद्युत क्षमता का लगभग 40% है।
    - सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है।
- पर्यटन क्षमता: भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कई वन्यजीव अभयारण्यों का घर है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिये प्रसिद्ध है, वहीं अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, ओरंग, असम में डिब्रू सैखोवा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मेघालय में बालपक्रम, मणिपुर में केबुल लामजाओ, नगालैंड में इटांकी, सिक्किम में कंचनजंगा स्थित हैं।
- सांस्कृतिक महत्त्व: उत्तर-पूर्व में जनजातियों की अपनी संस्कृति है। लोकप्रिय त्योहारों में नगालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, सिक्किम का पांग ल्हाबसोल आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये सरकारी पहल:

- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER): वर्ष 2001 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास विभाग (Ministry of Development of North Eastern Region-DoNER) की स्थापना हुई। वर्ष 2004 में इसे एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया।
- अवसंरचना संबंधी पहल:
    - भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana-BMP) के तहत पूर्वोत्तर में लगभग 5,301 किलोमीटर सड़क के विस्तार व सुधार के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया है।
    - उत्तर-पूर्व को आरसीएस-उड़ान (उड़ान को और अधिक किफायती बनाने हेतु) के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाएँ: कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (म्याँमार) और बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार (Bangladesh-China-India-Myanmar-BCIM) कॉरिडोर।
- पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों में पूर्वोत्तर के लिये 140.03 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।
- मिशन पूर्वोदय: पूर्वोदय का उद्देश्य इस्पात क्षेत्र में एक एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति प्रदान करना है।
    - एकीकृत स्टील हब, जिसमें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश शामिल हैं, पूर्वी भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एक पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा।
- पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (NEIDS): पूर्वोत्तर राज्यों में रोज़गार को बढ़ावा देने हेतु सरकार मुख्य रूप से इस योजना के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है।
- पूर्वोत्तर के लिये राष्ट्रीय बाँस मिशन का विशेष महत्त्व है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विज़न 2020: यह दस्तावेज़ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है ताकि इस क्षेत्र को अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके जिसके तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों ने विभिन्न पहलें शुरू की हैं।
- डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विज़न 2022: यह पूर्वोत्तर के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने और उसे सुगम बनाने हेतु डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने पर ज़ोर देता है।

आगे की राह

- बुनियादी ढाँचे में निवेश से रोज़गार का सृजन होगा और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलनों को विफल करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
- भारत का उत्तर-पूर्व क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, इसलिये भारत के पूर्वोत्तर में समावेशी विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा विकास सबसे अच्छा विकल्प होगा।

बैंकों का निजीकरण

चर्चा में क्यों?

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिये 'अग्रिम कार्रवाई (Advanced Action)' करने की प्रक्रिया में है।

- सरकार मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए रखने के लिये निरंतर प्रयासरत है।

निजीकरण:

- सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है। इसमें सरकार इकाई या व्यवसाय की स्वामी नहीं रह जाती है।

- निजीकरण कंपनी में अधिक दक्षता और निष्पक्षता लाने के लिये किया जाता है, ऐसा सुधार जिसके बारे में एक सरकारी कंपनी चिंतित नहीं होती है।
- भारत 1991 के ऐतिहासिक सुधार बजट में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया जिसे 'नई आर्थिक नीति या LPG नीति' के रूप में भी जाना जाता है।

पृष्ठभूमि :

- सरकार ने 1969 में 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को तत्कालीन सरकार के समाजवादी दृष्टिकोण के साथ समायोजित करना था।
  - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 1955 में ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और 1956 में बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- पिछले 20 वर्षों में विभिन्न सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) बैंकों के निजीकरण के पक्ष में और विरोध में रही हैं। 2015 में सरकार ने निजीकरण का सुझाव दिया था लेकिन तत्कालीन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने इस विचार का समर्थन नहीं किया।
- निजीकरण के मौजूदा कदम पूरी तरह से बैंकों के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (बैड बैंक) की स्थापना के साथ वित्तीय क्षेत्र की चुनौतियों के लिये बाज़ार के नेतृत्व वाले समाधान खोजने के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं।
- केंद्र ने 2021-22 के बजट में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की, लेकिन अभी तक संबंधित बैंकिंग कानूनों में संशोधन नहीं किया है ताकि उनमें अपनी बहुमत हिस्सेदारी की बिक्री की अनुमति मिल सके।

निजीकरण का कारण:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में गिरावट:
  - वर्षों से पूंजीगत निवेश और शासन सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं कर पाए हैं।
  - उनमें से कई के पास निजी बैंकों की तुलना में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का उच्च स्तर है और लाभप्रदता, बाज़ार पूंजीकरण तथा लाभांश भुगतान रिकॉर्ड के मामले में भी पीछे है।
- एक दीर्घकालिक परियोजना का हिस्सा:
  - दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से एक दीर्घकालिक परियोजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक बैंकों की परिकल्पना की गई है। यह कार्य या तो मज़बूत बैंकों को समेकित करके या फिर बैंकों का निजीकरण कर किया जाएगा।
  - सरकार की प्रारंभिक योजना चार बैंकों के निजीकरण की थी। पहले दो बैंकों के सफल निजीकरण के बाद सरकार आने वाले वित्तीय वर्षों में अन्य दो या तीन बैंकों के विनिवेश पर ज़ोर दे सकती है।
  - यह निर्णय सरकार, जो कि बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदार है, को बैंकों को वर्ष-प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के दायित्व से मुक्त करेगा।
  - बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अब सरकार के पास केवल 12 सार्वजनिक बैंक मौजूद हैं, जिनकी संख्या पूर्व में कुल 28 थी।
- बैंकों को मज़बूती प्रदान करना:
  - सरकार बड़े बैंकों को और अधिक मज़बूत बनाने का प्रयास कर रही है तथा साथ ही निजीकरण के माध्यम से बैंकों की संख्या में भी कमी की जा रही है।
- अलग-अलग समितियों की सिफारिशें:
  - कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है:
  - नरसिम्हन समिति ने हिस्सेदारी को 33 प्रतिशत तक सीमित करने की बात की थी।
  - पी.जे. नायक समिति ने हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से कम करने का सुझाव दिया था।
  - RBI के एक कार्यकारी समूह ने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया है।
- बड़े बैंकों का निर्माण:
  - निजीकरण का एक उद्देश्य बड़े बैंक बनाना भी है। जब तक निजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मौजूदा बड़े निजी बैंकों में विलय नहीं किया जाता है, तब तक वे उच्च जोखिम लेने की क्षमता और उधार देने की क्षमता विकसित नहीं कर सकते हैं।
  - ऐसे में निजीकरण एक बहुआयामी कार्य है, जिसमें कई चुनौतियों से निपटने और नए विचारों की खोज करने के लिये सभी दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है, लेकिन यह सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के लिये एक अधिक सतत् और मज़बूत बैंकिंग प्रणाली विकसित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

संबंधित मुद्दे:

- क्रोनी कैपिटलिज़्म को बढ़ावा:
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण बैंकों को निजी कंपनियों को बेचने के समान है, जिनमें से कई ने PSBs के ऋण को वापस नहीं किया है जिससे क्रोनी पूँजीवाद को बढावा मिला है।

- नौकरी के नुकसान:
  - निजीकरण से बेरोज़गारी, शाखा बंद होना और वित्तीय बहिष्करण जैसी गतिविधियाँ उत्पन्न होंगी।
  - निजीकरण से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये रोज़गार के अवसर कम होंगे क्योंकि निजी क्षेत्र कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण नीतियों का पालन नहीं करता है।
- कमज़ोर वर्गों का वित्तीय बहिष्करण:
  - निजी क्षेत्र के बैंक अधिक संपन्न वर्गों और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों की आबादी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय बहिष्कार होता है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करते है।
- बेलआउट ऑपरेशन:
  - बैंक यूनियनों ने निजीकरण प्रक्रिया को कॉरपोरेट डिफॉल्टरों के लिये "बेलआउट ऑपरेशन" का नाम दिया है।
  - बड़े पैमाने पर फँसे ऋण के लिये निजी क्षेत्र ज़िम्मेदार हैं और उन्हें इस अपराध की सज़ा मिलनी चाहिये लेकिन सरकार बैंकों को निजी क्षेत्र के हवाले कर उन्हें पुरस्कृत कर रही है।

आगे की राह

- PSBs के शासन और प्रबंधन में सुधार करना होगा। ऐसा करने का एक उपाय पी.जे. नायक समिति द्वारा सुझाया गया था, जहाँ सरकार और शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र नियुक्तियों (जिसके संबंध में सारे कार्य बैंक बोर्ड ब्यूरो को करने थे लेकिन वह अक्षम रहा) के बीच दूरी रखने की अनुशंसा की गई थी।
- अंधाधुंध निजीकरण के बजाय PSBs को जीवन बीमा निगम (LIC) जैसे निगम में रूपांतरित किया जा सकता है। सरकारी स्वामित्व बनाए रखते हुए इनका निगमीकरण PSBs को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

भूगोल

जुड़वाँ चक्रवात

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपग्रह से प्राप्त छवियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में जुड़वाँ चक्रवातों की पुष्टि की है, इनमें से एक उत्तरी गोलार्द्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्द्ध में है, जिन्हें क्रमश: चक्रवात असानी और चक्रवात करीम नाम दिया गया है।

चक्रवात करीम और असानी:

- चक्रवात करीम को श्रेणी II के तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी गति 112 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
- असानी चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बना हुआ है, जिसकी अनुमानित गति 100-110 किमी. प्रति घंटे से लेकर 120 किमी. प्रति घंटे तक है।
- इन दोनों चक्रवातों का निर्माण हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है।
- दोनों चक्रवात एक ही देशांतर में उत्पन्न हुए और अब अलग हो रहे हैं।
- चक्रवात करीम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में खुले समुद्र क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा है।
- चक्रवात करीम का नामकरण दक्षिण अफ्रीकी देश सेशेल्स द्वारा, जबकि चक्रवात असानी का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था।

जुड़वाँ चक्रवात:

- हवा और मानसून प्रणाली की परस्पर क्रिया पृथ्वी की प्रणाली के साथ मिलकर इन समकालिक चक्रवातों का निर्माण करती है।
- जुड़वाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्यरेखीय रॉज़्बी तरंगों के कारण उत्पन्न होते हैं।
- रॉज़्बी तरंगें समुद्र में लगभग 4,000-5,000 किलोमीटर की तरंग दैर्ध्य के साथ विशाल समुद्री लहरें हैं।
- रॉज़्बी तरंगों का नाम प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी कार्ल-गुस्ताफ रॉज़्बी (Carl-Gustaf Rossby) के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि ये तरंगें पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होती हैं।
- इस प्रणाली के अनुसार, यह एक भँवर (Vortex) है जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्द्धों में स्थित है जो लगभग एक ही देशांतर पर घूमते हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में, जैसा कि उपग्रह छवियों में भी देखा गया है।
- उत्तर में चक्रवात की गति वामावर्त होती है और एक सकारात्मक चक्रण होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में यह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसलिये एक नकारात्मक चक्रण होता है।
- दोनों में आवर्त का सकारात्मक मान होता है।
- प्राय: इन से जुड़वाँ चक्रवात का निर्माण होता है।

चक्रवात निर्माण की प्रक्रिया:

- जब उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्द्धों में 'भ्रमिलता' (Vorticity) 'सकारात्मक' होती है, जैसा कि रॉज़्बी तरंगों के मामले में होता है, तो भँवर की बाह्य परत में मौजूद आर्द्र या नम हवा थोड़ी ऊपर उठती है।
- यह आगे की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिये पर्याप्त होती है।
- जब वायु थोड़ा ऊपर उठती है, तो जलवाष्प संघनित होकर बादल का निर्माण करती है और संघनित होते ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को बाहर निकालती है।
- वातावरण गर्म होता है, हवा का यह भाग ऊपर की ओर उठता है और इस प्रक्रिया से 'सकारात्मक प्रतिक्रिया' उत्पन्न होती है। आसपास की वायु से हल्का होने की वजह से वायु का यह गर्म भाग और ऊपर उठता है तथा घने बादलों का निर्माण करता है। इस बीच दोनों तरफ से वायु 'आर्द्र' हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अन्य स्थितियों की उपस्थिति में 'चक्रवात' का निर्माण हो जाता है।
- इसके लिये समुद्र की सतह का तापमान कम-से-कम 27 डिग्री गर्म होना चाहिये; वातावरण में वायु अपरूपण बहुत अधिक नहीं होना चाहिये।
- उदाहरण के लिये यदि निचले स्तर पर पछुआ पवनों का प्रभाव है और ऊपरी स्तर पर पूर्वी पवनों का प्रभाव है या पवनों के बीच तापमान का अंतर बहुत अधिक है, तो चक्रवात का निर्माण नहीं होगा।
- लेकिन यदि अंतर कम है तब भी चक्रवात बने रहेंगे।
- सभी प्रकार के बादलों के साथ वृहद् भँवर होगा। जब वे मज़बूत हो जाएंगे तो तीव्रता से घूमेंगे और वृहद् तूफानों का रूप धारण कर लेते हैं।

क्या जुड़वाँ अलग-अलग गोलार्द्ध में जा सकते हैं?

- यह सही है की जुड़वाँ चक्रवात बनने के बाद पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में उनकी गति का उत्तरावर्त जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त होती है।

- जिसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्द्ध में चक्रवात उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।

क्या मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जुड़वाँ चक्रवात उतपन्न होता है?

- MJO बादलों और संवहन का बड़ा समूह है जिसका आकार लगभग 5,000-10,000 किलोमीटर है।
- यह रॉज़्बी तरंग एवं केल्विन तरंग से बना है जो एक प्रकार की तरंग संरचना है जिसे हम समुद्र में देख सकते हैं। MJO के पूर्वी हिस्से में केल्विन लहर है, जबकि MJOके पश्चिमी अनुगामी किनारे पर रॉस्बी लहर है, इसी तरह भूमध्य रेखा के दोनों ओर दो भँवर हैं।
- हालाँकि सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात MJO से उत्पन्न नहीं होते हैं। कभी-कभी यह सिर्फ रॉज़्बी तरंग होती है जिसके दोनों ओर दो भँवर होते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गगनयान मिशन के लिये HS200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान कार्यक्रम के लिये ह्यूमन-रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर (HS200) का स्थैतिक परीक्षण पूरा किया है।

HS200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर:

- बूस्टर इंजन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk-III (GSLV Mk-III) रॉकेट का हिस्सा है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा।
- गगनयान मिशन के लिये उपयोग किये जाने वाले GSLV Mk-III रॉकेट में दो HS200 बूस्टर होंगे जो लिफ्ट-ऑफ के लिये इसे थ्रस्ट प्रदान करेंगे।
- HS200 3.2 मीटर के व्यास के साथ एक 20 मीटर लंबा सॉलिड बूस्टर है और ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परचालित बूस्टर है।
- HS200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk-III के S200 रॉकेट बूस्टर का ह्यूमन-रेटेड संस्करण है, जिसे LVM3 के नाम से जाना जाता है।
- चूँकि गगनयान एक चालित (Crewed) मिशन है, इसलिये GSLV Mk-III में 'ह्यूमन रेटिंग' की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
- S200 मोटर- LVM3 लॉन्च व्हीकल का पहला चरण जिसे 4,000 किलोग्राम उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट(GEO) में पहुँचाने के लिये डिज़ाइन किया गया था और इसे स्ट्रैप-ऑन रॉकेट बूस्टर का आकार दिया गया था।
- प्रक्षेपण यान के पहले चरण का यह पूर्ण-अवधि परीक्षण गगनयान कार्यक्रम उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में एक मील का पत्थर है।
- HS200 बूस्टर का डिज़ाइन और विकास केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) में पूरा किया गया था तथा प्रणोदक का निर्माण श्रीहरिकोटा में हुआ था।
- LVM-3 के तीन प्रणोदन चरणों में से ह्यूमन-रेटेड संस्करण दूसरे चरण के हैं जिन्हें तरल प्रणोदक के साथ L110-G के रूप में जाना जाता है और क्रायोजेनिक प्रणोदक के साथ तीसरा चरण C25-G योग्यता के अंतिम चरण में है, जिसमें स्थैतिक फायरिंग के साथ परीक्षण शामिल है।

भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV):

- GSLV एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है, जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊँचाई तक ले जाने में सक्षम है। जीएसएलवी रॉकेटों ने अब तक 18 मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें से चार विफल रहे हैं।
- यह 10,000 किलोग्राम के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता है।
- स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज (CUS)- 'GSLV Mk-II' के तीसरे चरण का निर्माण करता है।
- Mk-III संस्करणों ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने हेतु पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है।
- इससे पहले भारत अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिये 'यूरोपीय एरियन प्रक्षेपण यान' पर निर्भर था।
- GSLV Mk-III चौथी पीढ़ी तथा तीन चरण का प्रक्षेपण यान है जिसमें चार तरल स्ट्रैप-ऑन हैं। स्वदेशी रूप से विकसित सीयूएस जो कि उड़ने में सक्षम है, GSLV Mk-III के तीसरे चरण का निर्माण करता है।
- रॉकेट में दो ठोस मोटर स्ट्रैप-ऑन (S200) के साथ एक तरल प्रणोदक कोर चरण (L110) और एक क्रायोजेनिक चरण (C-25) के साथ तीन चरण शामिल हैं।

गगनयान मिशन:

- परिचय:
  - गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का एक मिशन है।
  - गगनयान, शेड्यूल के तहत (वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा):
- तीन अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा।
- इन तीन अभियानों में से 2 मानवरहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा।

- मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे।
- यह मिशन 5-7 दिनों की अवधि में पृथ्वी से 300-400 किमी. की ऊँचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा।

- पेलोड:
- पेलोड में शामिल होंगे:
  - क्रू मॉड्यूल- मानव को ले जाने वाला अंतरिक्षयान।
  - सर्विस मॉड्यूल- दो तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित।
- यह आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन अबोर्ट व्यवस्था से लैस होगा।
- प्रमोचन:
  - गगनयान के प्रमोचन हेतु तीन चरणों वाले GSLV Mk-III का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि GSLV Mk-III को प्रमोचन वाहन मार्क-3 (Launch Vehicle Mark-3 or LVM-3) भी कहा जाता है।
- रूस में प्रशिक्षण:
  - जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तथा रूस सरकार के स्वामित्व वाली Glavkosmos ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जिसमें उम्मीदवारों के चयन में रूस का समर्थन, चयनित यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रशिक्षण शामिल हैं।
  - अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित उम्मीदवार सोयुज़ (Soyuz) मानव युक्त अंतरिक्षयान की प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, साथ ही Il-76MDK विमान में अल्पकालिक भारहीनता मोड में प्रशिक्षित होंगे।
- सोयुज़ एक रूसी अंतरिक्षयान है जो लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने तथा वापस लाने और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति का कार्य करता है।
- Il-76MDK एक सैन्य परिवहन विमान है जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष पर्यटकों की परवलयिक उड़ानों के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- महत्त्व:
  - यह देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने तथा युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा।
- गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा।
  - यह औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा।
- सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु किये जा रहे सुधारों के क्रम में हाल ही में एक नए संगठन IN-SPACe के गठन की घोषणा की है।
  - यह सामाजिक लाभों के लिये प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- कई देशों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है, अत: गगनयान मिशन क्षेत्रीय ज़रूरतों- खाद्य, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- भारत की अन्य आगामी परियोजनाएँ:
- चंद्रयान-3 मिशन: भारत ने चंद्रयान-3 नामक नए चंद्रमा मिशन की योजना बनाई है। जिसके प्रक्षेपण (Launch) की संभावना अगस्त 2022 तक है।
- शुक्रयान मिशन: इसरो भी शुक्र के लिये एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान कहा जाता है।

भारत का पहला 5G टेस्टबेड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के पहले 5G टेस्टबेड का उद्घाटन किया, यह स्टार्टअप और उद्योग जगत के लोगों को अपने उत्पादों का स्थानीय स्तर पर परीक्षण करने की अनुमति देगा जिससे विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम होगी।

पहल का महत्त्व:

- यह आधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु महत्त्वपूर्ण कदम है।
- 5जी टेस्टबेड को लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
- 5G टेस्टबेड की कमी के कारण स्टार्टअप और अन्य उद्योग जगत के लोगों को 5G नेटवर्क की स्थापना एवं अपने उत्पादों का परीक्षण व सत्यापन हेतु विदेशी निर्भरता पर मज़बूर होना पड़ता था।
- भारत का 5G मानक 5Gi के रूप में बनाया गया है जो देश के गाँवों में 5G तकनीक लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
- 5Gi मूल रूप से मेड इन इंडिया 5G मानक है जिसे IIT हैदराबाद और मद्रास (चेन्नई) के सहयोग से बनाया गया है।

5जी तकनीक:

- परिचय:
- 5G, 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है।

- यह एक ऐसी प्रणाली को सक्षम बनाता है जिसमें मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों को परस्पर नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर इनका संचालन व इनके मध्य समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
- 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का परीक्षण 20 Gbps (गीगाबाइट प्रति सेकंड) दर्ज किया गया है, जबकि ज़्यादातर मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा गति अभी तक सिर्फ 1Gbps ही दर्ज की गई है।
- भारत में सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन-इंडिया (SIA) ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में मिलीमीटर वेव बैंड को शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है।

महत्त्व:

- 5G तकनीक से देश के शासन में सकारात्मक बदलाव, जीवन में सुगमता और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे सुविधाएँ भी बढेंगी और रोज़गार के कई अवसर पैदा होंगे।

भारत में 5G रोलआउट के लिये चुनौतियाँ:

- कम फाइबराइज़ेशन फुटप्रिंट: पूरे भारत में फाइबर कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में भारत के केवल 30% दूरसंचार टावरों को जोड़ता है।
- 5G को कुशलता पूर्वक लॉन्च करने के लिये इस संख्या को दोगुना करना होगा।
- 'मेक इन इंडिया' हार्डवेयर चुनौती: कुछ विदेशी दूरसंचार OEMs (मूल उपकरण निर्माता) पर प्रतिबंध, जिस पर अधिकांश 5G प्रौद्योगिकी विकास निर्भर करता है, अपने आप में एक बाधा प्रस्तुत करता है।
- उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण: भारत का 5G स्पेक्ट्रम मूल्य वैश्विक औसत से कई गुना महँगा है।
- यह भारत के नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों के लिये नुकसानदायक होगा।
- इष्टतम 5G प्रौद्योगिकी मानक का चयन: 5G प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में तेज़ी लाने हेतु घरेलू 5Gi मानक और वैश्विक 3GPP मानक के बीच संघर्ष को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि 5Gi के स्पष्ट लाभ हैं परंतु यह टेलीकॉम के लिये 5G लॉन्च लागत और इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दों को भी बढ़ाता है।

आगे की राह

- भारत में 5G के सपने को साकार करने के लिये अपने स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- इस स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के युक्तिकरण की आवश्यकता है, ताकि सरकार भारत में 5G के कार्यान्वयन योजनाओं को बाधित किये बिना नीलामी से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सके।
- 5G को विभिन्न बैंड स्पेक्ट्रम और निम्न बैंड स्पेक्ट्रम पर तैनात किया जा सकता है, यह सीमा बहुत लंबी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी सहायक हो सकती है।

सडेन इन्फैंट डेथ सिंड्रोम

चर्चा में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्त्ताओं की टीम ने रक्त में एक जैव रासायनिक मार्कर की पहचान की है जो नवजात शिशुओं में सडेन इन्फैंट डेथ सिंड्रोम (SIDS) के जोखिम को पहचानने में मदद कर सकता है।

- शोधकर्त्ताओं ने नवजात शिशुओं के सूखे खून के धब्बों का इस्तेमाल किया और BChE (ब्यूटिरिलकोलिनेस्टरेज़) स्तर तथा कुल प्रोटीन सामग्री के लिये नमूनों की जाँच की।

SIDS:

- SIDS स्पष्ट रूप से स्वस्थ शिशु की अप्रत्याशित मृत्यु है।
- सामान्यत: यह तब होता है जब बच्चा सो रहा होता है, हालाँकि दुर्लभ मामलों में यह तब भी हो सकता है जब बच्चा जग रहा हो।
- इस स्थिति को "कॉट डेथ" भी कहा जाता है
- समय से पूर्व जन्मे या जन्म के समय कम वज़न वाले नवजात शिशुओं को SIDS का अधिक खतरा होता है।
- SIDS का स्पष्ट कारण अज्ञात है, हालाँकि नए शोध के परिणाम आशाजनक दिखते हैं।

निष्कर्ष:

- SIDS से मरने वाले शिशुओं में जन्म के तुरंत बाद BChE एंजाइम का निम्न स्तर देखा गया है।
  - BChE एंजाइम का निम्न स्तर एक सोते हुए शिशु की जागने या अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
  - यह एंजाइम शरीर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और अचेतन तथा अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है।
- पूर्व के अध्ययनों में पाया गया है कि कम BChE गतिविधि गंभीर सूजन ,सेप्सिस और हृदय संबंधी घटनाओं के बाद अधिक मृत्यु दर से जुड़ी है।
  - इस SIDS अनुसंधान से पहले सूज़न (Inflammation) को SIDS मामलों में कारक माना जाता था।

- 1889 की शुरुआत में SIDS शिशुओं में फेफड़ों के वायु मार्ग की दीवारों पर हल्का सूजन देखा गया था।
- समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में SIDS का उच्च जोखिम माना जाता है, हालाँकि 1957 में बीसीएचई का मूल्यांकन करने वाले अध्ययन में पाया गया कि समय से पहले और परिपक्व नवजात शिशुओं में एंजाइम के स्तर में कोई अंतर नहीं था।
- गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान SIDS की घटनाओं में वृद्धि से संबंधित है।

अध्ययन की सीमाएँ:

- हालाँकि बीसीएचई का स्तर SIDS का संभावित कारण हो सकता है, शोध के अनुसार, नमूने (Sample) दो साल से अधिक पुराने थे, इसलिये ताज़ा सूखे रक्त के नमूनों में बीसीएचई विशिष्ट गतिविधि को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेगा।
- शोधकर्त्ताओं ने यह भी कहा कि 600 से अधिक नियंत्रण नमूनों का विश्लेषण करने के बावजूद वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि व्यापक आबादी में सामान्य असामान्यता कितनी है।
- इसके अलावा अध्ययन के विषयों में शव परीक्षण विवरण का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन 'कोरोनर्स डायग्नोसिस' का उपयोग किया गया। (जब कोरोनर को मृत्यु की सूचना दी जाती है, तो कोरोनर जाँच करता है कि कहाँ, कब और कैसे मृत्यु हुई। यदि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, तो संभव है कोरोनर पोस्टमार्टम का आदेश देगा)।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी अभिकर्त्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री (DOS) ने लोकसभा को सूचित किया कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने पर विचार कर रही है।

इस कदम से इसरो को प्राप्त होने वाले लाभ:

- अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ:
  - ये सुधार इसरो को नई प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेंगे।
  - कुछ ग्रह अन्वेषण मिशन भी 'अवसर की घोषणा' (Announcement of Opportunity) तंत्र के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिये खोले जाएंगे।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोगी प्रसार:
  - उद्योगों एवं अन्य जैसे- छात्रों, शोधकर्त्ताओं या अकादमिक निकायों को अंतरिक्ष संपत्तियों तक अधिक पहुँच की अनुमति देने से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा।
- प्रौद्योगिकी पावरहाउस:
  - यह भारतीय उद्योग को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्द्धी बनने में सक्षम बनाएगा।
  - इससे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, साथ ही भारत वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महाशक्ति बन सकता है।
- प्रभावी लागत:
  - राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) द्वारा अपने समकक्षों की तुलना में भारत में बेस स्थापित करने तथा अंतरिक्ष उपग्रहों को लॉन्च करने की परिचालन लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम है।
  - FDI यह भी सुनिश्चित करेगा कि नई तकनीक कीमत के साथ-साथ दक्षता में अधिक प्रभावी हो।
- सफलता दर:
  - असाधारण सफलता दर के साथ इसरो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है।
  - भारत ने 34 से अधिक देशों के लगभग 342 विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण द्वारा विश्व-स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है।

विदेशी अभिकर्त्ताओं को लाभ:

- नवीन उपकरण:
  - इसरो के पास अत्याधुनिक उपकरण हैं और यह निजी कंपनियों के सहयोग से SSLV (छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान) लॉन्च करने की प्रक्रिया में है।
  - यह विदेशी निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ साझेदारी करने पर अधिक लाभ प्रदान करेगा।
- उदारीकृत अंतरिक्ष क्षेत्र:
  - इसरो ने पिछले कुछ वर्षों में कई औद्योगिक उद्यमों के साथ मज़बूत संबंध विकसित किये हैं, जो भारत में आधार स्थापित करने वाले विदेशी अभिकर्त्ताओं के लिये लाभदायक होगा।

अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता:

- क्षेत्र का विस्तार:
  - इसरो को केंद्र द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है और इसका वार्षिक बजट 14,000-15,000 करोड़ रुपए के बीच है, यह समुद्र में एक बूँद जैसा है जिसका अधिकांश उपयोग रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण में किया जाता है।
  - इस क्षेत्र के पैमाने को बढ़ाने के लिये निजी अभिकर्त्ताओं का बाज़ार में प्रवेश करना अनिवार्य है।
  - इसरो सभी निजी अभिकर्त्ताओं को ज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कि रॉकेट एवं उपग्रहों का निर्माण करने की साझा योजना बना रहा है।

    - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस के अंतरिक्ष उद्योगों में बोइंग, स्पेसएक्स, एयरबस और वर्जिन गेलेक्टिक जैसे प्रमुख निवेशक हैं।
- निजी अभिकर्त्ताओं में सुधार:
    - निजी अभिकर्त्ता अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं के विकास के लिये आवश्यक नवाचार ला सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त इन सेवाओं की मांग और भारत के साथ-साथ विश्व भर में बढ़ रही है, अधिकांश क्षेत्रों में उपग्रह आँकड़े, इमेज़री और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
    - निजी अभिकर्त्ता अंतरिक्षयान के लिये ग्राउंड स्टेशनों की स्थापना में भाग ले सकते हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट का 48 प्रतिशत है, साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हेतु यह अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 45 प्रतिशत है।

अन्य संबंधित पहलें:

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe):
    - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) को वर्ष 2020 में निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढाँचे का उपयोग करने के लिये एक समान अवसर प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया गया था।
    - यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने या भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करने वाले सभी लोगों के बीच एकल-बिंदु इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):
    - बजट 2019 में घोषित NSIL का उद्देश्य भारतीय उद्योग भागीदारों के माध्यम से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये इसरो द्वारा वर्षों से किये गए अनुसंधान और विकास का उपयोग करना है।
- भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA):
    - ISpA भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक अभिव्यक्ति बनेगा। ISpA का प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाएगा जिनके पास अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएँ हैं।

आगे की राह

- भारत के पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक होने के साथ-साथ अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के भारत के कदम को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक बड़े अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करेगा।
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी पक्षों को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यम करने की अनुमति देगा, यह भारतीय राष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान देगा तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व अनुसंधान नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक की शुरुआत से निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र का एक अभिन्न अंग बनने के बारे में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित होगी।

विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. PSLVs पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिये उपयोगी उपग्रहों को लॉन्च करते हैं, जबकि GSLVs को मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
2.
3. PSLVs द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं।
4.
5. GSLV Mk-III एक चार चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग तथा दूसरे व चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 3

उत्तर: (A)

व्याख्या:

- PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। PSLV पहला लॉन्च वाहन है जो तरल चरण (Liquid Stages) से सुसज्जित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से निम्न पृथ्वी की कक्षाओं में विभिन्न उपग्रहों विशेष रूप से भारतीय उपग्रहों की रिमोट सेंसिंग श्रृंखला को स्थापित करने के लिये किया जाता है। यह 600 किमी. की ऊँचाई पर सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 1,750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है।
- GSLV को मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इनसैट) को स्थापित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, यह दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव कार्यों जैसी ज़रूरतों

को पूरा करने के लिये इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भू-स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है। यह उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्तीय भू-तुल्यकालिक कक्षा (जीटीओ) में स्थापित करता है। अत: कथन 1 सही है।

- भू-तुल्यकालिक कक्षाओं में उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- GSLV Mk-III चौथी पीढ़ी तथा तीन चरण का प्रक्षेपण यान है जिसमें चार तरल स्ट्रैप-ऑन हैं। स्वदेशी रूप से विकसित सीयूएस जो कि उड़ने में सक्षम है, GSLV Mk-III के तीसरे चरण का निर्माण करता है। रॉकेट में दो ठोस मोटर स्ट्रैप-ऑन (S200) के साथ एक तरल प्रणोदक कोर चरण (L110) और एक क्रायोजेनिक चरण (C-25) के साथ तीन चरण शामिल हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है। अत: विकल्प (A) सही उत्तर है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप अपनाने के मामले में वृद्धि हुई है, चिप निर्माताओं ने AI अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रकार के चिप डिज़ाइन किये हैं।

AI चिप के बारे में:

- परिचय:
  - AI चिप को एक विशिष्ट आर्किटेक्चर के साथ डिज़ाइन किया गया है और इसमें गहन शिक्षण-आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिये AI त्वरण को एकीकृत किया गया है।
  - डीप लर्निंग जिसे एक्टिव न्यूरल नेटवर्क (ANN) या डीप न्यूरल नेटवर्क (DNN) के रूप में भी जाना जाता है, मशीन लर्निंग का एक सब-सेट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अंतर्गत आता है।
- कार्य:
  - यह कंप्यूटर कमांड या एल्गोरिदम की श्रृंखला को जोड़ती है जो गतिविधि और मस्तिष्क संरचना को उत्तेजित करती है।
  - DNN प्रशिक्षण चरण से गुजरने के दौरान मौजूदा डेटा से नए कौशल सीखते हैं।
  - DNN गहन शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई क्षमताओं का उपयोग करके पहले के अनदेखे आँकड़े के विरुद्ध भविष्यवाणी कर सकते हैं।
  - डीप लर्निंग बड़ी मात्रा में आँकड़े इकट्ठा करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की प्रक्रिया को तेज़ एवं सरल बना सकता है।
  - इस तरह के चिप, हार्डवेयर आर्किटेक्चर, पूरक पैकेजिंग, मेमोरी, स्टोरेज और इंटरकनेक्ट सॉल्यूशंस के साथ डेटा को सूचना में और फिर ज्ञान में बदलने के लिये AI को व्यापक स्पेक्ट्रम में उपयोग हेतु संभव बनाते हैं।
- AI चिप के प्रकार:
  - एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASICs), फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट एरेज़ (FPGAs), सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स (CPU) और GPU।
- अनुप्रयोग:
  - AI अनुप्रयोगों में ऑटोमोटिव, आईटी, हेल्थकेयर और रिटेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP), कंप्यूटर विज़न, रोबोटिक्स एवं नेटवर्क सुरक्षा शामिल हैं।
- उदय का कारण:
  - डेटा केंद्रों में AI चिप की बढ़ती स्वीकार्यता इसके बाज़ार के विकास के लिये प्रमुख कारकों में से एक है।
  - इसके अतिरिक्त स्मार्ट घरों और शहरों की आवश्यकता में वृद्धि तथा AI स्टार्टअप निवेश में वृद्धि से वैश्विक AI चिप बाज़ार के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
  - AI चिप उद्योग का वैश्विक स्तर पर विकास हुआ है। जिसके वर्ष 2020 के 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 तक 195 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक 37.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है।

THE GIST

AI chips with their hardware architectures and complementary packaging, memory, storage and interconnect technologies, make it possible to infuse AI into a broad spectrum of applications to help turn data into information and then into knowledge.

The use of AI chips for NLP applications has increased due to the rise in demand for chatbots and online channels such as Messenger, Slack, and others that use NLP to analyse user messages and conversational logic.

Nvidia Corporation, Intel Corporation, IBM Corporation, Alphabet Inc., Samsung Electronics Co., Ltd, and Apple Inc. are some of the key players in the AI chip market.

सामान्य प्रयोजन वाले हार्डवेयर उपकरणों में AI चिप के अनुप्रयोग का महत्त्व:

- तीव्र गणना:
    - परिष्कृत प्रशिक्षण मॉडल और एल्गोरिदम को चलाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को आमतौर पर समानांतर गणनात्मक क्षमताओं की आवश्यकता होती है।
    - AI हार्डवेयर की प्रोसेसिंग क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक है, जो समान मूल्य वाले पारंपरिक अर्द्धचालक उपकरणों की तुलना में AAN अनुप्रयोगों में 10 गुना अधिक प्रोसेसिंग क्षमता का प्रदर्शन करता है।
- उच्च बैंडविड्थ मेमोरी:
    - विशिष्ट AI हार्डवेयर, पारंपरिक चिप की तुलना में 4-5 गुना अधिक बैंडविड्थ आवंटित करने की क्षमता रखता है।
    - समानांतर प्रोसेसिंग की आवश्यकता के कारण AI अनुप्रयोगों के कुशल प्रदर्शन के लिये प्रोसेसर के मध्य काफी अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है।

विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन-से कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है? (2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना
2. सार्थक लघु कथाएँ और गीत की रचना
3. रोग निदान
4. टेक्स्ट-टू-स्पीच रूपांतरण
5. विद्युत ऊर्जा का वायरलेस संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- Google अपने डेटा केंद्रों में ऊर्जा की खपत को 30% तक कम करने के लिये डीपमाइंड का अधिग्रहण कर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर रहा है। अत: कथन 1 सही है।
- संगीत की रचना या संगीतकारों की सहायता के लिये AI को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना काफी समय से चलन में है। वर्ष 1990 के दशक में डेविड बॉवी ने वर्बासाइज़र (Verbasizer) को विकसित करने में मदद की, जिसने साहित्यिक स्रोत सामग्री ली तथा नए संयोजन बनाने के लिये शब्दों को बेतरतीब ढंग से फिर से व्यवस्थित किया जिन्हें गीत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। चूँकि AI प्रोग्राम किये गए पारिस्थितिकी तंत्र में काम करता है तथा इसमें भावनाएँ नहीं होती हैं, इसलिये AI के लिये सार्थक लघु कथाएँ और गीतों की रचना करना कठिन होगा। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (IoMT) के साथ संयुक्त AI स्वास्थ्य देखभाल के लिये संभावित रूप से नया तंत्रिका तंत्र हो सकता है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिये समाधान प्रस्तुत कर सकता है। कैंसर देखभाल में AI प्रौद्योगिकी के एकीकरण से निदान की सटीकता और गति में सुधार हो सकता है, नैदानिक निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है तथा बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अत: कथन 3 सही है।
- वाक् संश्लेषण (Speech Synthesis) मानव भाषण का कृत्रिम उत्पादन है। यह भाषा को मानव आवाज (या भाषण) में बदलने का एक तरीका है। उदाहरण के लिये Google का असिस्टेंट, Amazon का Echo, Apple का Siri आदि। अत: कथन 4 सही है।
- ऊर्जा क्षेत्र में AI उपयोग के संभावित मामलों में ऊर्जा प्रणाली मॉडलिंग और पूर्वानुमान में कमी तथा शक्ति संतुलन एवं उपयोग में दक्षता बढ़ाने के लिये किया जा रहा है। हालाँकि इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के संचरण के लिये नहीं किया जा सकता है। अत: कथन 5 सही नहीं है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

बुद्ध पूर्णिमा

प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हुए उन्हें पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

- इस खास मौके पर उन्होंने नेपाल की भी यात्रा की।

बुद्ध पूर्णिमा:

- यह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है।
- इसे वेसाक के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक समाज में बौद्ध धर्म के योगदान को देखते हुए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई थी।
- तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के रूप में इसे 'तिहरा-धन्य दिवस' माना जाता है।
- बुद्ध पूर्णिमा आमतौर पर अप्रैल और मई माह के बीच पूर्णिमा को पड़ती है और यह भारत में एक राजकीय अवकाश है।
- इस अवसर पर कई भक्त बिहार के बोधगया में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार जाते हैं।
- बोधि विहार वह स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।

गौतम बुद्ध:

- बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुंबिनी में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे।
- गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि (ज्ञानोदय) प्राप्त किया था।
- बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गाँव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन (कानून के पहिये का घूमना) के रूप में जाना जाता है।
- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है।
- उन्हें भगवान विष्णु के दस अवतारों में से आठवाँ अवतार माना जाता है।

बौद्ध धर्म:

परिचय:

- भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई थी।
- बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएँ चार महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं।
- दुख (पीड़ा) और उसका विलुप्त होना बुद्ध के सिद्धांत के केंद्र में है।
- बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति में है, जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।
- बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवी नहीं है।

बौद्ध परिषद:

बौद्ध परिषद	संरक्षक	स्थान	अध्यक्ष	वर्ष
पहली	अजातशत्रु	राजगृह	महाकस्यप	483 ई.पू.
दूसरी	कालाशोक	वैशाली	सुबुकामि	383 ई.पू.
तीसरी	अशोक	पाटलिपुत्र	मोगालिपुत्र	250 ई.पू.
चौथी	कनिष्क	कुण्डलवन (कश्मीर)	वसुमित्र	72 ई.

बौद्ध धर्म की शाखाएँ:

- महायान (मूर्ति पूजा), हीनयान, थेरवाद, वज्रयान (तांत्रिक बौद्ध धर्म), ज़ेन।
- बौद्ध धर्म ग्रंथ (त्रिपिटक):
- विनयपिटक (मठवासी जीवन पर लागू नियम), सुत्तपिटक (बुद्ध की मुख्य शिक्षाएँ या धम्म), अभिधम्मपिटक (एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापन)।

भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान:

- अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान है। बाद के समय में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गई।
- भारत की कला एवं वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। सांची, भरहुत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं।
- इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया।

- पाली और अन्य स्थानीय भाषाएँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुई।
- इसने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढ़ावा दिया था।
- बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल:
- नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्त्विक स्थल
- साँची, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक
- बोधगया, बिहार में महाबोधि विहार परिसर
- अजंता गुफाएँ, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

देवसहायम पिल्लई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देवसहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्राँसिस (कैथोलिक चर्च) द्वारा संत घोषित किया गया है।

- उन्होंने 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य में ईसाई धर्म अपना लिया था। देवसहायम संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं, वेटिकन द्वारा उन्हें यह उपाधि 'बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने' के लिये दी गई है।

जीवन परिचय:

- देवसहायम पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल, 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले के नट्टलम गाँव में हुआ था।
- वह वर्ष 1745 में कैथोलिक बन गए तथा इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के बाद 'लेज़ारूस' (Lazarus) नाम रख लिया था जिसका अर्थ है "God is my help" (भगवान मेरी मदद है) लेकिन बाद में वे देवसहायम के नाम से जाने गए।
- बैप्टिज़म (Baptism) अर्थात् दीक्षा-स्नान/ईसाई होने के समय प्रथम जल-संस्कार/ईसाई दीक्षा एक ईसाई संस्कार है जिसमें आनुष्ठानिक जल का उपयोग किया जाता है और इसे प्राप्त करने वाले को ईसाई समुदाय में स्वीकार किया जाता है।
- उनका धर्मांतरण उनके मूल धर्म के प्रमुखों को अच्छा नहीं लगा। उनके खिलाफ राजद्रोह और जासूसी के झूठे आरोप लगाए गए तथा उन्हें शाही प्रशासन के पद से हटा दिया गया।
- उन्होंने देश में प्रचलित जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया जिसके परिणामस्वरुप उन्हें बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया तथा हत्या कर दी गई।
- 14 जनवरी, 1752 को अरलवैमोझी के जंगल में देवसहाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। व्यापाक तौर पर उन्हें एक शहीद माना जाता है और उनके नश्वर अवशेषों को कोट्टार, नागरकोइल में संेट फ्राँसिस जेवियर्स कैथेड्रल के अंदर दफनाया गया था।
- वेटिकन ने वर्ष 2012 में एक कठोर तथा सख्त प्रक्रिया के बाद उनकी शहादत को मान्यता दी।

देवसहायम को संत क्यों घोषित किया गया है?

- संत देवसहायम पिल्लई समानता के लिये खड़े हुए और जातिवाद तथा सांप्रदायिकता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- उन्हें संत की उपाधि ऐसे समय में दी गई है जब भारत में सांप्रदायिकता के मामले में विस्तार देखा जा रहा है।
- देवसहायम पिल्लई को संत घोषित किया जाना चर्च के लिये भी एक बड़ा अवसर है ताकि वह वर्तमान समय में प्रचलित सांप्रदायिकता के समक्ष स्वयं को खड़ा रख सके।
- सांप्रदायिकता (Communalism) हमारी संस्कृति में अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय के प्रति अंध निष्ठा है। इसे सांप्रदायिक सेवाओं के लिये अपील करके लोगों को एकत्रित करने या उनके खिलाफ एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। सांप्रदायिकता हठधर्मिता और धार्मिक कट्टरवाद से संबंधित है।

थॉमस कप

हाल ही में भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता।

- भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हरा दिया है। यह टूर्नामेंट बैंकॉक (थाईलैंड) में आयोजित किया गया था।

थॉमस कप:

- संबंधित क्षेत्र: थॉमस कप ट्रॉफी बैडमिंटन के खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है।
- इस टूर्नामेंट में 16 देशों की टीमें हिस्सा लेती हैं।
- पृष्ठभूमि और प्रबंधन: यह कप 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ (IBF) द्वारा प्रबंधित पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताओं की शृंखला हेतु दान किया गया था, जिसके तत्कालीन अध्यक्ष थॉमस थे।

- पहला टूर्नामेंट: पहला टूर्नामेंट 1948-49 में आयोजित किया गया था जिसे मलाया ने जीता था।
- थॉमस और उबेर कप पुरुषों एवं महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाने वाली द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है।
- भारत की जीत: टूर्नामेंट के सात दशक के लंबे इतिहास में चैंपियनशिप का खिताब केवल पाँच देशों - चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और डेनमार्क के हाथ में था।
- भारत अपनी जीत के साथ इस कुलीन क्लब में प्रवेश करने वाला छठा देश बन गया है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने महाराष्ट्र के नासिक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के निर्माण की आधारशिला रखी है।

- प्रस्तावित EMR स्कूल का उद्देश्य नासिक के दूरदराज़ के आदिवासी इलाकों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय:

परिचय:

- EMRS पूरे भारत में भारतीय जनजातियों (ST-अनुसूचित जनजाति) के लिये मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शिंदे (नासिक) में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की योजना आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई है।
- EMRS में CBSE पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है।
- न केवल शैक्षणिक शिक्षा बल्कि आदिवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं।
- वर्तमान में देश भर में फैले 384 कार्यात्मक स्कूल हैं जो नवोदय विद्यालय की तरह ही स्थापित हैं, ये खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिये विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कवरेज:

- वर्ष 2010 के मौजूदा EMRS दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्षेत्र में 50% एसटी आबादी वाले प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना में कम-से-कम एक EMRS स्थापित किया जाना है।
- बजट 2018-19 के अनुसार, 50% से अधिक एसटी आबादी और कम-से-कम 20,000 आदिवासी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा।

EMRS का उद्देश्य:

- प्रत्येक EMRS में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास।
- छात्रों को स्कूल से अपने घरों में, अपने गाँव में और अंत में एक बड़े संदर्भ में परिवर्तन करने के लिये सशक्त बनाने का प्रयास करना।
- कक्षा XI और XII तथा कक्षा VI से X तक के छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षिक सहायता पर अलग-अलग ध्यान देना, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- वार्षिक व्ययों का समर्थन इस तरह से करना कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करना और सुविधाओं के रखरखाव से संबंधित ढाँचे के निर्माण को बढ़ावा देना जो छात्र जीवन की शिक्षा, भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिये कानूनी प्रावधान:

- अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अन्य पहल:

- जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)
- जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिये पहल
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास (PVTGs)
- प्रधानमंत्री वन धन योजना
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

एंडोसल्फान

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने एंडोसल्फान पेस्टीसाइड से प्रभावित पीड़ितों के उपचार हेतु उचित कदम न उठाने पर केरल सरकार को फटकार लगाई है।

- न्यायालय ने कहा कि राज्य की निष्क्रियता 'भयावह' है एवं शीर्ष न्यायालय के 2017 के फैसले का उल्लंघन है जिसने राज्य को तीन महीने में पीड़ितों के लिये 5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था।
- न्यायालय ने फैसले के पाँच साल बाद यह पाया कि 3,704 पीड़ितों में से केवल आठ लोगों को ही मुआवज़ा दिया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसके हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए देश भर में एंडोसल्फान के निर्माण, बिक्री, उपयोग और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

एंडोसल्फान:

- एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक है जिसे पहली बार वर्ष 1950 के दशक में पेश किया गया था और इसे आमतौर पर इसके वाणिज्यिक नाम थियोडन से जाना जाता है।
- यह कई गंभीर चिकित्सा स्थितियों से संबंधित है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, शारीरिक विकृति, विषाक्तता आदि।
- सफेद मक्खी, एफिड्स, भृंग, कीड़े आदि कीटों के नियंत्रण के लिये कपास, काजू, फल, चाय, धान, तंबाकू जैसी फसलों पर इसका छिड़काव किया जाता है।
- एंडोसल्फान को पूर्व सूचित सहमति पर रॉटरडैम अभिसमय और स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय दोनों के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

एंडोसल्फान के प्रभाव:

पर्यावरणीय प्रभाव:

- पर्यावरण में एंडोसल्फान खाद्य शृंखलाओं में समाहित हो जाता है, जिससे व्यापक स्तर पर समस्याएँ पैदा होती हैं।
- यदि एंडोसल्फान को पानी में छोड़ा जाता है, तो यह तलछट में अवशोषित होकर जलीय जीवों को प्रभावित कर सकता है।

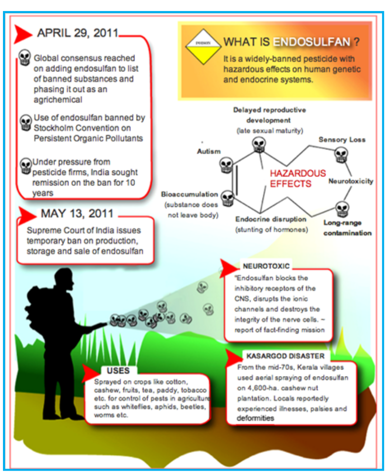

मनुष्य और पशु:

- एंडोसल्फान के अंतर्ग्रहण के परिणामस्वरूप शारीरिक विकृति, कैंसर, जन्म संबंधी विकार और मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं।

रॉटरडैम कन्वेंशन 1998:

- इस कन्वेंशन का उद्देश्य खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के व्यापार से निपटने हेतु विभिन्न देशों के बीच सहयोग और उत्तरदायित्व साझा करने के उपायों को बढ़ावा देना है।
- पूर्व सूचित सहमति (PIC) इस कन्वेंशन की मुख्य विशेषता है और यह पार्टी के सदस्यों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- PIC पक्षों के सदस्यों के बीच प्रकृति और व्यापार से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।
- यह कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिये दायित्व का निर्माण करता है।

स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001:

- इस कन्वेंशन का उद्देश्य लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (PoP) की सांद्रता को कम करना है जो कि रासायनिक पदार्थ हैं और न केवल लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं बल्कि जैव-संचय की क्षमता भी रखते हैं।
- कन्वेंशन ने 12 PoPs को 'डर्टी डज़न' के रूप में सूचीबद्ध किया है।

आईएनएस सूरत और युद्धपोत आईएनएस उदयगिरि

हाल ही में रक्षा मंत्री ने मुंबई में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस सूरत और युद्धपोत आईएनएस उदयगिरि का शुभारंभ किया।

INS सूरत:

परिचय:

- 'सूरत' प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का चौथा विध्वंसक जहाज़ है, जो P15A (कोलकाता क्लास) विध्वंसक श्रेणी में महत्त्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करता है।
- इस श्रेणी का पहला जहाज़ (विशाखापत्तनम) वर्ष 2021 में कमीशन किया गया था और इस श्रेणी का दूसरा (मोरमुगाओ) और तीसरा (इंफाल) जहाज़ आउटफिटिंग/ परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

नामकरण:

- इसका नाम गुजरात राज्य की वाणिज्यिक राजधानी के नाम पर रखा गया है और यह मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र भी है।
- सूरत शहर का एक समृद्ध समुद्री और जहाज़ निर्माण इतिहास है तथा 16वीं एवं 18वीं शताब्दी में शहर में निर्मित जहाज़ों को उनकी लंबी आयु (100 से अधिक वर्षों से) के लिये जाना जाता था।
- सूरत जहाज़ को ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है।
- इस पद्धति में दो अलग-अलग भौगोलिक स्थानों पर जहाज़ निर्माण शामिल है और इसे एमडीएल, मुंबई में एक साथ जोड़ा गया है।

प्रोजेक्ट-15बी:

- ये जहाज़ अत्याधुनिक हथियार/सेंसर पैकेज, उन्नत स्टील्थ सुविधाओं और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया के अधिक तकनीकी रूप से विकसित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर हैं।
- वर्ष 2011 में 29,643.74 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट-15बी कार्यक्रम के तहत चार युद्धपोतों - विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत के निर्माण के सौदे पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- हालांकि अंतिम लागत बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो गई।
- सभी चार जहाज़ों को देश के चारों कोनों के शहरों के नाम पर रखा गया है तथा जहाज़ों को शामिल करने का काम वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

P-15B युद्धपोतों की विशेषताएँ:

- ये जहाज़ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) से लैस हैं।
- जहाज़ में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM), स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियाँ हैं।

आईएनएस उदयगिरि:

- परिचय:
- यह 17ए युद्धपोत शृंखला का तीसरा जहाज़ है।
- नामकरण:
- आईएनएस 'उदयगिरि' का नाम आंध्र प्रदेश राज्य में एक पर्वत शृंखला के नाम पर रखा गया है।
- 'आईएनएस उदयगिरि' एक प्रकार से पूर्ववर्ती 'उदयगिरी', लिएंडर श्रेणी के ASW युद्धपोत का नया रूप है, जिसने 1976 से 2007 तक तीन दशकों में कई चुनौतीपूर्ण अभियानों के दौरान देश की सेवा की है।

पी17ए के अंतर्गत प्रगति:

- P17A कार्यक्रम के तहत मझगाँव डॉक लिमिटेड (MDL), मुंबई में 04 और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड में 03 जहाज़ निर्माणाधीन हैं।
- इस परियोजना में स्वदेशी युद्धपोत डिज़ाइन और निर्माण में पहली बार एकीकृत निर्माण, मेगा ब्लॉक आउटसोर्सिंग, परियोजना डेटा प्रबंधन/परियोजना जीवनचक्र प्रबंधन (PDM/ PLM) आदि जैसी विभिन्न नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है।

प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स:

परिचय:

- प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स P17 फ्रिगेट्स (शिवालिक क्लास) के फॉलोऑन हैं जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार एवं संवेदक के साथ प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम हैं।

विशेषताएँ:

- P-17A की मुख्य उन्नत स्टील्थ विशेषताएँ जहाज़ के छोटे रडार क्रॉस-सेक्शन हैं, जो विशेष संरचना का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, यह रडार तरंग परावर्तन को कम करता है।
- जहाज़ की अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता कम ध्वनिक शोर है जो प्रोपेलर, ऑपरेटिंग मशीनरी जैसे डीज़ल जेनरेटर आदि से निकलती है, यह अन्य जहाज़ो पर सोनार की उपस्थिति का पता लगाने में सहायता करता है।
- जहाज़ की स्टील्थ विशेषताएँ संचालन के दौरान किसी भी प्रतिकूल वातावरण में बचे रहने एवं सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (एनएसएसी)

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की बैठक में NavIC ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया।

- NavIC ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य NavIC को जियो-पोजज़िशनिंग समाधान और डिजिटल आत्मनिर्भरता के प्रमुख प्रस्तावक के रूप में बढ़ावा देना है।

NSAC के बारे में

परिचय:

- इसका गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया गया था।
- यह सरकार को सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करने के साथ ही देश में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये सलाह देता है।

परिषद की संरचना:

- अध्यक्ष: वाणिज्य और उद्योग मंत्री।
- परिषद के संयोजक: संयुक्त सचिव उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग।

- पदेन सदस्य: संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के नामांकित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव पद स्तर से नीचे के न हों।
- इस परिषद में गैर-आधिकारिक सदस्य भी होंगे जो कि सरकार द्वारा सफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों, भारत में कंपनी बनाने और उसे विकसित करने वाले अनुभवी व्यक्तियों, स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्तियों, इन्क्यूबेटरों (Incubators) एवं उत्प्रेरकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्तियों तथा स्टार्टअप्स हितधारकों के संघों व औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न वर्गों में से नामांकित किये जाएंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

NSAC के कार्य:

- यह देश भर में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये नागरिकों और छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव देता है।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन संरक्षण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार की दृष्टि से सार्वजनिक संगठनों को नवाचार को आत्मसात करने की सुविधा के उपायों का सुझाव देता है।
- भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश के लिये वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने, मूल प्रमोटरों के साथ स्टार्टअप्स पर नियंत्रण बनाए रखने तथा विनियामक अनुपालन व लागत को कम करते हुए व्यापार शुरू करने, उसे संचालित, विकसित तथा बंद करने की प्रक्रिया को आसान बनाना।

भारत में स्टार्टअप की स्थिति:

- परिचय:
- वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र है (स्टार्टअप की संख्या के अनुसार) जहाँ वर्ष 2010 में 5000 स्टार्टअप्स की तुलना में वर्ष 2020 में 15,000 से अधिक स्टार्टअप्स की स्थापना हुई।
- इस स्टार्टअप पारितंत्र के अंतर्निहित प्रवर्तकों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) तथा एक राष्ट्रीय भुगतान स्टैक शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के बीच भारत में केवल वर्ष 2021 में ही इतनी संख्या में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप) सामने आए हैं, जितने वर्ष 2011-20 की पूरी दशकीय अवधि में भी नहीं आए थे।
- हालाँकि अभी भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं (भारतीय स्टार्टअप, विविधता और डिजिटल डिवाइड, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एन्वायरनमेंट का निर्माण तथा स्केलिंग) जो भारत में स्टार्टअप्स की वास्तविक क्षमता को साकार करने में बाधा के रूप में कार्य करती हैं।

अन्य संबंधित पहलें:

- स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर राज्यों की रैंकिंग: यह एक विकसित मूल्यांकन उपकरण है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समर्थन के लिये समग्र रूप से अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- SCO स्टार्टअप फोरम: पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) स्टार्टअप फोरम को सामूहिक रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और सुधारने के लिये अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
- प्रारंभ: 'प्रारंभ' (Prarambh) शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्टअप्स और युवा विचारों को नए नवाचारों व आविष्कारों को एक साथ आने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: इसका उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिये स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज: मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का उद्घाटन किया।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021: इसका उद्देश्य उन उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम एनेबलर्स को पहचानना एवं पुरस्कृत करना है जो रोज़गार सृजन या राजस्व सृजन की उच्च क्षमता के साथ अभिनव उत्पादों या समाधानों और उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जो व्यापक सामाजिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।

विश्व शासन संकेतक

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा विश्व शासन संकेतक (WGI) जारी किये गए हैं।

- WGI किसी भी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है। WGI मापदंडों में कम स्कोर के कारण भारत अपनी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग खो रहा है।

विश्व शासन संकेतक (WGI):

- विश्व शासन संकेतक एक शोध डेटासेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कॉर्पोरेट, नागरिक एवं विशेषज्ञों के सर्वेक्षण द्वारा उत्तरदाताओं की राय एकत्र करता है।
- विश्व शासन संकेतक: यह एक निश्चित मानदंड के आधार पर 215 देशों और क्षेत्रों का आकलन करता है।

- अभिव्यक्ति और जवाबदेही
- राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति
- सरकारी प्रभावशीलता
- नियामक गुणवत्ता
- कानून का शासन
- भ्रष्टाचार नियंत्रण
- भारत का WGI स्कोर सभी छह संकेतकों पर BBB माध्यिका से काफी नीचे है।
- जबकि BBB, S&P और फिच जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी एक निवेश-ग्रेड रेटिंग है।
- BBB माध्यिका के नीचे एक WGI स्कोर यह सुझाव देगा कि जब देशों के स्कोर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो भारत मध्य से नीचे आता है।
- विभिन्न रिपोर्ट जिन पर भारत की WGI रैंकिंग आधारित है-
- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट
- लोकतांत्रिक प्रकृति की परियोजनाएँ
- आर्थिक स्वतंत्रता का हेरिटेज फाउंडेशन सूचकांक
- फ्रीडम हाउस रिपोर्ट

WGI से जुड़े महत्त्वपूर्ण परिणाम:

- भारत की संप्रभु साख रेटिंग के बिगड़ने से इसकी वैश्विक स्तर पर साख खराब हो रही है।
- भारत के ऋण बाज़ार में निवेश जोखिम भरा होगा।
- इसमें राजनीतिक जोखिम भी शामिल है तथा निवेशकों को आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

भारत की WGI रैंक को अत्यधिक प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएँ:

- वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक कश्मीर आंशिक रूप से मुक्त था, लेकिन वर्ष 2020 में इसकी स्वतंत्रता पर फिर से अंकुश लगा दिया गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अंक प्रदान किये गए:
- राजनीतिक अधिकार: 40 में से 8
- नागरिक स्वतंत्रताएँ: 60 में से 20
- कुल स्कोर: 110 में से 28
- अमेरिकी विदेश विभाग ने निम्नलिखित का उल्लेख किया:
- कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न: कार्यकर्ताओं, वकीलों, मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों को सताया तथा परेशान किया गया है।
- राजद्रोह और आतंकवाद रोधी कानून: इनका उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिये किया जाता है।
- विदेशी फंडिंग विनियमों का दुरुपयोग: सरकारी नीतियों या व्यवहार की आलोचना करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को लक्षित करने हेतु विनियमों का प्राय: दुरुपयोग किया जाता था।
- आर्थिक खुफिया इकाई (ईआईयू) के अनुसार, ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 2014 में 27 से गिरकर 2019 में 51 हो गई।

आर्थिक खुफिया इकाई:

- आर्थिक खुफिया इकाई द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का शोध और विश्लेषण प्रभाग है।
- यह 1946 में स्थापित किया गया था इसका मूल उद्देश्य व्यवसायों, वित्तीय फर्मों और सरकारों को हमेशा बदलते वैश्विक परिदृश्य को नेविगेट करने में मदद करना है।

कन्हेरी गुफाएँ

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कन्हेरी गुफाओं में विभिन्न जन-सुविधाओं का उद्घाटन किया।

कन्हेरी गुफाएँ:

परिचय:

- कन्हेरी गुफाएँ मुंबई के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित गुफाओं और रॉक-कट स्मारकों का एक समूह है। ये गुफाएँ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर स्थित हैं।
- कन्हेरी नाम प्राकृत में 'कान्हागिरि' से लिया गया है और इसका वर्णन सातवाहन शासक वशिष्ठपुत्र पुलुमावी के नासिक शिलालेख में मिलता है।
- विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांतों में कन्हेरी का उल्लेख मिलता है।
- कन्हेरी का सबसे पहला वर्णन फाहियान द्वारा किया गया है, जो 399-411 ईस्वी के दौरान भारत आया और बाद में कई अन्य यात्रियों ने भी इसका वर्णन किया।

उत्खनन:

- कन्हेरी गुफाओं में 110 से अधिक विभिन्न एकाश्म चट्टानों का उत्खनन शामिल है और यह देश में सबसे बड़े एकल उत्खनन में से एक है।
- उत्खनन का आकार एवं विस्तार, साथ ही कई जल के कुंड, अभिलेखों, सबसे पुराने बाँधों में से एक, स्तूप कब्रगाह गैलरी एवं उत्कृष्ट वर्षा जल संचयन प्रणाली, मठवासी एवं तीर्थ केंद्र के रूप में इसकी लोकप्रियता को प्रमाणित करती है।

वास्तुकला:

- ये उत्खनन मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान चरण के दौरान किये गए थे लेकिन इसमें महायान शैलीगत वास्तुकला के कई उदाहरणों के साथ वज्रयान से संबंधित आदेश के कुछ मुद्रण भी शामिल हैं।

संरक्षण:

- यह कन्हेरी सातवाहन, त्रिकुटक, वाकाटक और सिलहारा के संरक्षण के साथ ही इस क्षेत्र के धनी व्यापारियों द्वारा किये गये दान के माध्यम से फला-फूला।

महत्त्व:

- कन्हेरी गुफाएँ हमारी प्राचीन विरासत का हिस्सा हैं क्योंकि वे विकास और हमारे अतीत का प्रमाण प्रदान करती हैं।
- कन्हेरी गुफाओं और अजंता एलोरा गुफाओं जैसे विरासत स्थलों के वास्तुशिल्प एवं इंजीनियरिंग उस समय की कला, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, निर्माण, धैर्य एवं दृढ़ता आदि के रूप में लोगों के ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं।
- उस समय ऐसे कई स्मारकों को बनने में 100 साल से अधिक का समय लगा था।
- इसका महत्त्व इस तथ्य से बढ़ जाता है कि यह एकमात्र केंद्र है जहाँ बौद्ध धर्म और वास्तुकला की निरंतर प्रगति को दूसरी शताब्दी ईस्वी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक एक स्थायी विरासत के रूप में देखा जाता है।

हीनयान और महायान:

हीनयान:

- वस्तुत: छोटा वाहन, जिसे परित्यक्त वाहन या दोषपूर्ण वाहन के रूप में भी जाना जाता है। यह बुद्ध की मूल शिक्षा या 'बड़ों के सिद्धांत' में विश्वास करता है।
- यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और आत्म अनुशासन तथा ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- थेरवाद हीनयान संप्रदाय का एक हिस्सा है।

महायान:

- बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में मानता है तथा मूर्ति पूजा में विश्वास करता है।
- यह उद्भव उत्तरी भारत और कश्मीर में हुआ तथा वहाँ से मध्य एशिया, पूर्वी एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैल गया।
- महायान मंत्रों में विश्वास करता है।
- इसके मुख्य सिद्धांत सभी प्राणियों के लिये दुख से सार्वभौमिक मुक्ति की संभावना पर आधारित थे। इसलिये, इस संप्रदाय को महायान (महान वाहन) कहा जाता है।
- इसके सिद्धांत भी बुद्ध एवं बोधिसत्त्वों की 'प्रकृति के अवतार' के अस्तित्व पर आधारित हैं। यह बुद्ध में विश्वास रखने और स्वयं को उनके प्रति समर्पित करने के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की बात करता है।

रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV)

हाल ही में एक अध्ययन में यह पाया गया कि रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) के कारण होने वाले निचले श्वसन संक्रमण पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक पाया जाता है।

- लैंसेट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह वर्ष 2019 के दौरान दुनिया में 1,00,000 बच्चों की मौत के लिये ज़िम्मेदार है।

रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) के बारे में:

परिचय:

- RSV एक सामान्य श्वसन वायरस है।
- यह अत्यधिक संक्रामक प्रकृति का है, अर्थात् इसमें लोगों को संक्रमित करने की उच्च क्षमता होती है।
- इसने फेफड़ों संबंधी संक्रमण को बढ़ा दिया है।
- यह सामान्यत: 2 से 6 साल के कम उम्र के बच्चों को संक्रमित करता है।
- ज़्यादातर मामलों में इसमें सामान्य सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन चरम स्थिति में यह निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस में परिवर्तित हो जाता है।

मुख्य निष्कर्ष:

- वर्ष 2019 में छह वर्ष से कम आयु के 45000 से अधिक शिशुओं की मृत्यु की जानकारी मिली थी।
- RSV से संक्रमित संपूर्ण विश्व में हर पाँच में से एक बच्चे की मौत हुई है।

- छह महीने और उससे कम उम्र के बच्चे इस वायरस की चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं।
- शोध के अनुसार, भारत में वार्षिक घटना दर प्रति 1,000 बच्चों (5.3%) पर 53 है, पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में RSV के लगभग 61,86,500 मामले निचले श्वसन संक्रमण से संबंधित हैं।
- RSV के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पाँच साल से कम उम्र के 97 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो गई।

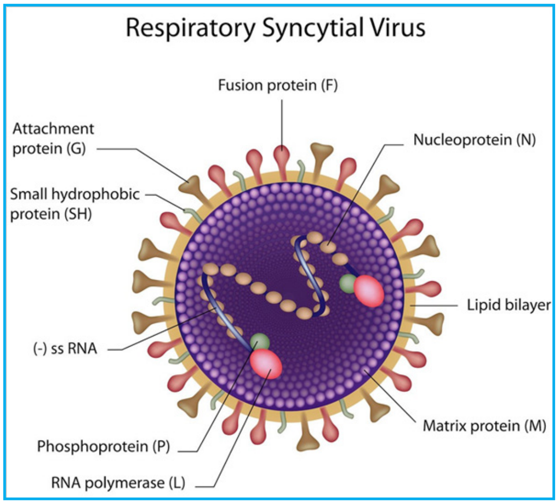

रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस का इलाज:

- RSV संक्रमण का कोई विश्वसनीय इलाज उपलब्ध नहीं है।
- वैज्ञानिक, सरकार और संबंधित प्राधिकरण शिशुओं एवं बच्चों के जीवन को बचाने के लिये उपयुक्त दवा और टीकाकरण का पता लगाने के लिये इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

केंद्रीय पुरातत्त्व सलाहकार बोर्ड

हाल ही में सरकार ने केंद्रीय पुरातत्त्व सलाहकार बोर्ड (CABA) का पुनर्गठन किया है।

CABA के बारे में:

- इसका गठन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) एवं पुरातात्त्विक अनुसंधान के क्षेत्र में संपर्कों को मज़बूत करने के लिये किया गया है।
- बोर्ड में "भारत सरकार द्वारा नामित पाँच व्यक्ति" और साथ ही पूर्व ASI महानिदेशक शामिल होंगे।
- बोर्ड वर्ष में एक बार बैठक करेगा तथा सदस्यों द्वारा उल्लेखित "पुरातत्त्व से संबंधित मामलों" पर केंद्र को सलाह देगा।
- यह पुरातत्त्व अनुसंधान का संचालन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों एवं भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के बीच संपर्क को बढ़ावा देगा।
- यह पुरातात्त्विक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देगा, भविष्य के पुरातत्त्वविदों को प्रशिक्षित करेगा और ASI की गतिविधियों के माध्यम से भारत तथा इसकी राज्य सरकारों की दक्ष सोसाइटियों के बीच संबंधों में निकटता लाएगा।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण:

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) संस्कृति मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसके कार्यों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज एवं उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव करना आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्त्व के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।

NDB की 7वीं वार्षिक बैठक

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के लिये भारत की गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की।

- बैठक में ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राज्यपाल और बांग्लादेश एवं संयुक्त अरब अमीरात (नए सदस्य) भी शामिल हुए।
- इस वार्षिक बैठक का विषय "NDB: अधिकतम विकास प्रभाव (NDB: Optimising Development Impact)" था।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- वित्त मंत्री ने बहुपक्षवाद के महत्त्व एवं आर्थिक सुधार के लिये वैश्विक सहयोग की भावना को रेखांकित किया।
- इस संबंध में वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि NDB ने उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिये खुद को एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
- इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि मज़बूत रही है और इसके 8.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- यह भारत की दृढ़ता और त्वरित सुधार को दर्शाता है।
- वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में उच्च विकास दर हासिल करना जारी रखेगा।

न्यू डेवलपमेंट बैंक:

परिचय:

- यह वर्ष 2014 में ब्राज़ील के 'फोर्टालेज़ा' में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ कोरिया) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- इसका गठन ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिये बुनियादी अवसंरचना व सतत् विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया था।
- इसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में स्थित है।
- वर्ष 2018 में 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिये एक मज़बूत आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था।

उद्देश्य:

- सदस्य देशों के विकास को बढ़ावा देना।
- आर्थिक विकास का समर्थन करना।
- प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना और रोज़गार सृजन की सुविधा प्रदान करना।
- विकासशील देशों के बीच ज्ञान साझाकरण मंच का निर्माण करना।

विश्व मापिकी दिवस 2022

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) -राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया (MSI) के सहयोग से विश्व मापिकी दिवस (20 मई) का आयोजन किया।

- मेट्रोलॉजी माप और उसके अनुप्रयोग का विज्ञान है।

विश्व मापिकी दिवस की मुख्य विशेषताएँ:

परिचय:

- विश्व मापिकी दिवस 1875 में मीटर अभिसमय (Metre Convention) पर हस्ताक्षर करने की वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- यह संधि विश्वव्यापी सुसंगत माप प्रणाली के लिये आधार प्रदान करती है।
- विश्व मापिकी दिवस उन सभी लोगों के योगदान को मान्यता देने के लिये मनाया जाता है जो पूरे वर्ष अंतर-सरकारी और राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संगठनों और संस्थानों में काम करते हैं।

विषय-वस्तु/थीम:

- इसकी थीम है- "डिजिटल युग में मापिकी"।
- इस विषय को इसलिये चुना गया है क्योंकि डिजिटल तकनीक हमारे समुदाय में क्रांति ला रही है और वर्तमान की सबसे रोमांचक प्रवृत्तियों में से एक है।
- थीम की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स (BIPM) और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (OIML) द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।

इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स (BIPM):

- वर्ष 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर ने BIPM बनाया और पहली बार मेट्रोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को औपचारिक रूप दिया।
- कन्वेंशन ने BIPM की स्थापना के माप की विश्वव्यापी एकरूपता की नींव रखी।
- BIPM राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थानों (NMI) के एक विश्वव्यापी नेटवर्क का केंद्र है जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और उद्योगों में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट (SI) के लिये ट्रेसबिलिटी की श्रृंखला का अनुभव और प्रसार करना जारी रखता है।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (OIML):

- इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1955 में लीगल मेट्रोलॉजी प्रक्रियाओं के वैश्विक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेखांकित करने के साथ ही सुविधाजनक बनाता है।
- वर्ष 1955 में OMIL को ब्यूरो इंटरनेशनल डीमेट्रोलॉजी लीगल (Bureau International de Métrologie Légale- BIML) के साथ कानूनी मापिकी संबंधी प्रक्रियाओं के वैश्विक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर-सरकारी संधि संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
- OIML ने एक विश्वव्यापी तकनीकी संरचना विकसित की है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल सेवाओं या संबंधित संगठनों द्वारा लागू नियमों और मेट्रोलॉजिकल नियंत्रणों में सामंजस्य स्थापित करना है।

CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला:

- CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL-India) को संसद के अधिनियम द्वारा भारत के "राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान" (NMI) के रूप में स्थापित किया गया जो देश की ज़रूरतों के लिये माप-मानक की ज़िम्मेदारी के साथ "राष्ट्रीय मानकों" का संरक्षक है।

- यह भारत में S.I इकाइयों का अनुरक्षण (Maintains) तथा राष्ट्रीय भार तथा माप के मानकों की जाँच (Calibration) करता है।

माया पिट वाइपर

हाल ही में मेघालय के री-भोई जिले के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में त्रिमेरेसुरुस्माया या माया पिट वाइपर नाम के एक नए ज़हरीले हरे साँप की प्रजाति देखी गई है।

पिट वाइपर की मुख्य विशेषताएँ:

माया पिट वाइपर:

- इस साँप की लंबाई लगभग 750 मिमी. है।
- यह देखने में पोप्स पिट वाइपर से काफी मिलता-जुलता है लेकिन इसकी आँखों का रंग अलग है।
- माया पिट वाइपर और पोप्स पिट वाइपर के हेमेपेनिस (Hemepenis) भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं
- एक पशु चिकित्सक के अनुसार, यह नई प्रजाति मेघालय, मिज़ोरम और यहाँ तक कि गुवाहाटी में भी अपेक्षाकृत आम थी।

पिट वाइपर:

- पिट वाइपर, वाइपर की कोई भी प्रजाति (सबफैमिली क्रोटालिने) जिसमें दो जंगम (नुकीले डंक) के अलावा आँख और नथुने के बीच एक गर्मी-संवेदनशील अंग होता है जो इसे शिकार करने में सहायता करता है।
- पिट वाइपर रेगिस्तान से लेकर वर्षा वनों तक में पाए जाते हैं।
- ये स्थलीय, वृक्षीय या जलीय हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियाँ अंडे देती हैं और अन्य प्रजातियाँ जीवित बच्चों को जन्म देती हैं।
- विषैले पिट वाइपर प्रजातियों में हंप-नोज्ड पिट वाइपर, मैंग्रोव पिट वाइपर और मालाबार पिट वाइपर शामिल हैं।
- रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर भारत में पाई जाने वाली दो सबसे ज़हरीली वाइपर प्रजातियाँ हैं जो भारत के चार सबसे ज़हरीले एवं सबसे घातक साँपों के सदस्य हैं।
- भारत में ज़्यादातर सर्पदंश की घटनाएँ इन्हीं प्रजातियों के कारण होती हैं।

महत्त्व:

- देश में पिछले दो दशकों में लगभग 1.2 मिलियन लोग सर्पदंश के कारण मारे गए हैं एवं कई लोग अपने अंग खो चुके हैं, ऐसे में एक नए ज़हरीले साँप की खोज सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- ज़हर एक जटिल प्रोटीन है जो ज़्यादातर प्रजातियों में अद्वितीय है, इसलिये एक नई प्रजाति की खोज से इसके ज़हर और मानव जीवन पर इसके प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी।

विश्व महिला मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप

भारतीय मुक्केबाज़ निकहत ज़रीन, इस्तांबुल में विश्व महिला मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप 2022 में 52 किग्रा. वर्ग में थाईलैंड की ओलंपियन जुतामास जितपोंग को 5-0 से हराकर विश्व खिताब जीतने वाली पाँचवीं भारतीय महिला बनीं।

- मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने भी अलग-अलग वर्ग क्रमशः 57 किग्रा. तथा 63 किग्रा. में कांस्य पदक जीते।
- भारत ने आखिरी बार यह विश्व खिताब तब जीता था जब मैरी कॉम वर्ष 2018 में दिल्ली में छठी बार चैंपियन बनी थीं।

भारत की उपलब्धियाँ:

- विश्व चैंपियनशिप के 12वें संस्करण में भारत की पदक तालिका में कुल 39 पदक है, जिसमें 10 स्वर्ण, 8 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं, इसके साथ ही रूस (60) और चीन (50) के बाद भारत तीसरे स्थान पर है।
- विश्व खिताब जीतने वाली अन्य भारतीय महिलाओं में छह बार की चैंपियन एम.सी. मैरी कॉम (2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018), सरिता देवी (2006), आर.एल. जेनी (2006), तथा के.सी. लेखा (2006) हैं।

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में:

- विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (IBA) जो कि खेल का शासी निकाय है, द्वारा आयोजित अव्यावसायिक (Amateur) मुक्केबाज़ी प्रतियोगिता है।
- IBA का मिशन ओलंपिक चार्टर की आवश्यकताओं और भावना के अनुरूप दुनिया भर में मुक्केबाज़ी के खेल को बढ़ावा देना, समर्थन और प्रबंधन करना है।

परम पोरुल सुपरकंप्यूटिंग सुविधा

परम पोरुल, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में एक अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटर का उद्घाटन किया गया।

- परम पोरुल सुपरकंप्यूटिंग सुविधा NSM के चरण-2 के तहत स्थापित की गई है, इसमें इस्तेमाल अधिकांश घटकों का निर्माण और संयोजन देश में किया गया है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप सी-डैक द्वारा विकसित स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है।

परम पोरुल की विशेषताएँ:

- परम पोरुल सिस्टम विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिये CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) नोड्स, GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) नोड्स, हाई मेमोरी नोड्स, हाई थ्रूपुट स्टोरेज और हाई-परफॉर्मेंस InfiniBand इंटरकनेक्ट के मिश्रण से लैस है।
- यह प्रणाली परिचालन लागत को कम करते हुए उच्च शक्ति उपयोग प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक का उपयोग करती है।
- शोधकर्त्ताओं के लाभ के लिये विभिन्न वैज्ञानिक डोमेन जैसे- मौसम एवं जलवायु, जैव सूचना विज्ञान, कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान, आणविक गतिशीलता, पदार्थ विज्ञान, कम्प्यूटेशनल फ्लूड डायनेमिक्स और इसी तरह के कई अनुप्रयोगों को प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के बारे में:

- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था ताकि देश की अनुसंधान क्षमताओं में सुधार कर उन्हें एक सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ा जा सके, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) रीढ़ का कार्य कर रहा है।
- वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) के साथ एक सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश में अनुसंधान और क्षमताओं को बढ़ाने के लिये लॉन्च किया गया था।
- NKN परियोजना का उद्देश्य शक्तिशाली भारतीय नेटवर्क स्थापित करना है जो सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगा।
- सुपरकंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कंप्यूटर के लिये वर्तमान में उच्चतम परिचालन दर पर या उसके निकट प्रदर्शन करता है।
- इस मिशन के अंतर्गत 64 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी गणना शक्ति के साथ 24 सुविधाओं (facilities) के निर्माण और कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है।
- पेटाफ्लॉप एक सुपरकंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति के माप की इकाई है, जिसे प्रति सेकंड एक हज़ार ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
- यह सरकार के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' पहल के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- इस मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और IISc (बंगलूरू) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन की योजना तीन चरणों में बनाई गई थी:

- चरण I- इसमें सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना शामिल है।
- चरण II- देश के भीतर कुछ घटकों के निर्माण पर विचार करना।
- चरण III- इसके अंतर्गत सुपरकंप्यूटर भारत द्वारा डिज़ाइन किया गया है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत हालिया घटनाक्रम:

- चरण 1 और चरण 2 के तहत, IIT's, C-DAC, NIT, JNCASR और IISER में 22 पेटाफ्लॉप्स (PF) की कंप्यूटर शक्ति के साथ 15 सिस्टम बनाए गए हैं।
- NSM ने चरण 2 के एक भाग के रूप में 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ मार्च 2022 में आईआईटी रुड़की में "परम गंगा" स्थापित किया।
- परम सिद्धि-एआई 5.26 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता के साथ राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत निर्मित भारत का सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर है।
- जापान का फुगाकू दुनिया का सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर है।

बोंगोसागर अभ्यास

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगोसागर का तीसरा संस्करण पोर्ट मोंगला, बांग्लादेश में शुरू हुआ।

अभ्यास की मुख्य विशेषताएँ:

परिचय:

- यह एक वार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास का दूसरा संस्करण, 2020 में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया।
- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास और संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से उच्च स्तर की अंतरसंचालनीयता और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है।

तीसरे संस्करण में प्रतिभागी:

- अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज़ कोरा, निर्देशित मिसाइल कार्वेट, सुमेधा और अपतटीय गश्ती पोत हैं।
- बांग्लादेश की नौसेना का प्रतिनिधित्व BNS अबू उबैदाह और अली हैदर कर रहे हैं, ये दोनों गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं।

दोनों देशों के मध्य होने वाले अन्य अभ्यास:

द्विपक्षीय:

- सम्प्रीति: सैन्य अभ्यास
- बहुराष्ट्रीय:
- बांग्लादेश का सैन्य अभ्यास 'शांतिर ओग्रोशेना'।
- टेबल टॉप (वायु)
- IN-BN कॉर्पेट (नौसेना)
- SAMVEDNA (बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास)।

मनी स्पाइडर, एंट-मिमिकिंग स्पाइडर की खोज

आमतौर पर यूरोपीय घास के मैदानों में पाए जाने वाले मनी स्पाइडर को देश में पहली बार वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मुथंगा रेंज देखा गया है।

- क्राइस्ट कॉलेज (केरल) के शोधाकर्त्ताओं ने मुथंगा रेंज से जंपिंग स्पाइडर के समूह से संबंधित एंट-मिमिकिंग मकड़ियों की भी खोज की है।

प्रमुख बिंदु

मनी स्पाइडर के बारे में:

- मनी स्पाइडर जीनस प्रोसोपोनोइड्स (Prosoponoides) के अंतर्गत बौने मकड़ियों (Linyphiidae) के परिवार से संबंधित है।
- अब तक दुनिया भर में इस जीनस से संबंधित मकड़ियों की केवल छह प्रजातियों की पहचान की गई है।
- इसे Prosoponoides biflectogynus नाम दिया गया है।
- नर और मादा मनी मकड़ियाँ आमतौर पर क्रमशः 3 मिमी से 4 मिमी लंबी होते हैं।
- नर और मादा दोनों गहरे भूरे रंग के होते हैं और अंडाकार पेट पर अनियमित सिल्वर और काले रंग के धब्बे होते हैं।
- उनके ओलिव-ग्रीन पैरों पर कई बारीक काले काँटें होते हैं।
- आठ काले रंग की आँखें दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं।
- मादाएँ सूखे पेड़ की टहनियों के बीच त्रिकोणीय जाले बनाती हैं और छोटे कीड़ों को खाती हैं, जबकि नर सूखी पत्तियों के नीचे छिपना पसंद करते हैं।
- दो या दो से अधिक नरों को एक मादा मकड़ी के जाल में पाया जा सकता है।

एंट-मिमिकिंग स्पाइडर:

- एंट- मिमिकिंग स्पाइडर को टोक्सियस अल्बोक्लेवस नाम दिया गया है।
- ये साल्टिसिडे (Salticidae) परिवार से संबंधित हैं।
- इस प्रजाति के नर और मादा मकड़ियाँ क्रमश: 4 मिमी और 6 मिमी तक लंबी होती हैं।.
- मादाओं के गहरे भूरे रंग के पेट पर सफेद धारियों की एक जोड़ी उन्हें इस समूह के अन्य मकड़ियों (कूदने वाली मकड़ियों) से अलग बनाती है।
- प्रजाति के नर की विशेषता भूरे रंग के मस्तक क्षेत्र और सफेद बालों के साथ काले वक्ष होते हैं।
- इन मकड़ियों में आगे की ओर निकले नुकीले दांत (fangs) में एंटलर के आकार की विशेषताएँ होती हैं।
- इनके प्रत्येक पैर के आधार पर लंबी रीढ़ मौजूद होती है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य:

- केरल में स्थित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (WWS) नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का एक अभिन्न अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी।
- नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व था (2012 में नामित)।
- इस रिज़र्व के अंतर्गत आने वाले अन्य वन्यजीव उद्यानों में मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली शामिल हैं।
- 344.44 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल में फैला हुआ वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर तथा तमिलनाडु के मुदुमलाई के बाघ अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है।
- काबिनी नदी (कावेरी नदी की एक सहायक नदी) इस अभयारण्य से होकर बहती है।
- यहाँ पाए जाने वाले वन प्रकारों में दक्षिण भारतीय नम पर्णपाती वन, पश्चिमी तटीय अर्द्ध-सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरि/यूकेलिप्टस तथा ग्रेवेलिया के जंगल शामिल हैं।
- यहाँ हाथी, गौर, बाघ, चीता, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, स्लॉथ बियर, नीलगिरि लंगूर, बोनट मकाक, सामान्य लंगूर, मालाबार विशाल गिलहरी आदि प्रमुख स्तनधारी पाए जाते हैं।

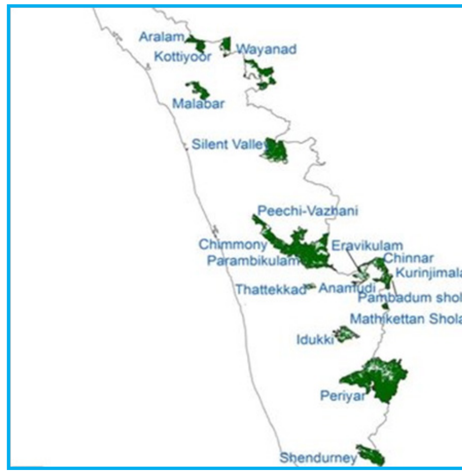

'टॉम्ब ऑफ सैंड' ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

'टॉम्ब ऑफ सैंड' किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक लेखक गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है और डेज़ी रॉकवेल द्वारा अंग्रेज़ी में अनुवादित है।
- यह किताब एक 80 वर्षीय महिला की कहानी बताती है जो अपने पति की मृत्यु के बाद एक गहरे अवसाद का अनुभव करती है। आखिरकार, वह अपने अवसाद को दूर करती है और अंतत: अतीत का सामना करने के लिये पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला करती है जिसे उसने विभाजन के दौरान पीछे छोड़ दिया था।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार:

- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वार्षिक रूप से किसी एक पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो।
- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई।
- इस पुरस्कार का उद्देश्य विश्व भर के उच्च-गुणवत्ता वाले उपन्यासों को अधिक से अधिक पढ़ने को प्रोत्साहित करना है।

- हालाँकि इसका यूके में पहले से ही काफी प्रभाव पड़ा है।
- अनुवादकों के महत्त्वपूर्ण काम का जश्न मनाया जाता है जिसमें 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होती है।
- प्रत्येक शॉर्टलिस्ट किये गए लेखक और अनुवादक को भी 2,500 पाउंड प्राप्त होते हैं।
- उपन्यास और लघु कथाओं के संग्रह दोनों ही इसके लिये पात्र हैं।

सेला मकाक

अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है, यह नाम 'सेला दर्रा' के नाम पर रखा गया है, जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊँचाई पर एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा है।

- इसकी पहचान ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की गई थी।
- सेला पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहरों के बीच स्थित है।

प्रमुख बिंदु

- फाइलोजेनेटिक एक प्रजाति या जीवों के समूह के विकास और विविधीकरण से संबंधित है।
- इस क्षेत्र में पाए जाने वालें मकाक की अन्य प्रजातियों से यह आनुवंशिक रूप में भिन्न है।
- अध्ययन में सेला मकाक को आनुवंशिक रूप से अरुणाचल प्रदेश के मकाक प्रजाति का करीबी बताया गया है।
- दोनों में कुछ समान शारीरिक विशेषताएँ हैं जैसे कि भारी आकार और लंबे पृष्ठीय शरीर पर बाल। इन दोनों प्रजातियों में कुछ मकाक समूह अथवा दल मनुष्यों के बीच और कुछ समूह मनुष्यों से दूर रहना पसंद करते हैं।
- इन दोनों प्रजातियों में अंतर करने के लिये कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। सेला मकाक का चेहरा पीले और भूरे रंग का होता है, जबकि अरुणाचल मकाक का चेहरा काले और गहरे भूरे रंग का होता है।
- सेला मकाक की पूँछ तिब्बती मकाक, असमी मकाक, अरुणाचल मकाक और व्हाइट चिक्ड मकाक से लंबी लेकिन बोनट मकाक और टोक मकाक से छोटी होती है।
- सेला मकाक मकाका के साइनिका प्रजाति-समूह से संबंधित है, लेकिन यह इस समूह के अन्य सभी सदस्यों से भूरे रंग के कॉलर बाल और थूथन, गर्दन के चारों ओर घने भूरे बाल तथा ठोड़ी पर मूँछों की अनुपस्थिति जैसे गुणों से अलग है।
- सेला मकाक राज्य के पश्चिमी कामेंग ज़िले में फसलों को नुकसान पहुँचाने में मामले में प्रमुख है।

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI):

- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI), पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है।
- समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI) की स्थापना तत्कालीन 'ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य' में 1 जुलाई, 1916 को की गई थी।
- इसका उद्भव 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ ही हुआ था।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित हैं।

आईएनएस खंडेरी

रक्षा मंत्री ने कर्नाटक में कारवाड़ नौसेना बेस की यात्रा के दौरान स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी 'आईएनएस खंडेरी' पर समुद्र की यात्रा की।

- यात्रा के दौरान उन्होंने पनडुब्बी के साथ उन्नत सेंसर सूट, लड़ाकू प्रणाली और हथियार क्षमता का प्रदर्शन करते हुए परिचालन अभ्यासों की एक विस्तृत शृंखला का अवलोकन किया। ये क्षमताएँ उपसतह क्षेत्र में पनडुब्बी को लाभ प्रदान करती हैं।

स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन:

- प्रोजेक्ट-75 के तहत निर्मित स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियाँ डीज़ल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित हैं।
- स्कॉर्पीन सबसे परिष्कृत पनडुब्बियों में से एक है, जो सतह-विरोधी जहाज़ युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, खनन करने और क्षेत्र की निगरानी सहित कई मिशनों को पूरा करने में सक्षम है।
- जुलाई 2000 में रूस से खरीदे गए INSS सिंधुशास्त्र के बाद से लगभग दो दशकों में स्कॉर्पीन वर्ग नौसेना की पहली आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी श्रृंखला है।

खंडेरी पनडुब्बी:

- खंडेरी एक कलवरी श्रेणी की डीज़ल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है।
- इसका नाम 'सॉफिश खंडेर" नामक घातक मछली के नाम पर रखा गया है जो हिंद महासागर में पाई जाती है।
- पहली खंडेरी पनडुब्बी को 6 दिसंबर, 1968 को भारतीय नौसेना द्वारा अधिकृत किया गया था और अक्तूबर 1989 में इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया था।
- खंडेरी के अलावा इन पनडुब्बियों में शामिल हैं- करंज, वेला, वागीर, वाग्शीर और कलवरी जो पहले ही लॉन्च हो चुकी हैं।

कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी:

- कलवरी श्रेणी भारतीय नौसेना के लिये डीज़ल-इलेक्ट्रिक चालित आक्रमण क्षमता वाली स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है।
- भारत के रक्षा मंत्रालय ने 1997 में प्रोजेक्ट-75 को मंज़ूरी दी जो भारतीय नौसेना को 24 पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है।

प्रोजेक्ट-75:

- यह P-75 पनडुब्बियों की दो पंक्तियों में से एक है, दूसरी पंक्ति P75I है। यह विदेशी फर्मों से ली गई तकनीक के साथ स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिये 1999 में अनुमोदित योजना का हिस्सा है।
- P-75 के तहत छह पनडुब्बियों का अनुबंध अक्तूबर 2005 में मझगाँव डॉक को दिया गया था और डिलीवरी वर्ष 2012 से शुरू होनी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को देरी का सामना करना पड़ा है।
- इस कार्यक्रम को फ्राँसीसी कंपनी नेवल ग्रुप (जिसे पहले DCNS के नाम से जाना जाता था) से मझगाँव डॉक लिमिटेड (MDL) को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ शुरू किया गया है।

आईएनएस गोमती

हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ (INS) गोमती को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड से सेवामुक्त कर दिया गया है।

INS गोमती प्रमुख विशेषताएँ:

परिचय:

- INS गोमती का नाम जीवंत नदी गोमती से लिया गया है।
- गोमती नदी, जिसे गुमटी भी कहा जाता है गंगा नदी की सहायक नदी है।
- जब सेवामुक्त किया गया तो INS गोमती पश्चिमी बेड़े में निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों में सबसे पुराना था।
- इसे वर्ष 1988 में मझगाँव डॉक लिमिटेड, बॉम्बे में कमीशन किया गया था।

कार्य:

- ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष तथा कई द्विपक्षीय एवं बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास।
- 1988: ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने मालदीव में सरकार के तख्तापलट के प्रयास को निष्प्रभावी करने में मदद की।
- 2001: संसद पर आतंकवादी हमले के मद्देनज़र शुरू किया गया ऑपरेशन पराक्रम, 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद पहला पूर्ण पैमाने पर सैन्य कार्यवाई थी।
- 2004: श्रीलंकाई सरकार के साथ साझेदारी में सुनामी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए इंद्रधनुष पहल शुरू की गई थी।

पुरस्कार दिये गए:

- दो बार प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया, एक बार 2007-08 में और फिर 2019-20 में।

रैपिड फायर

थॉमस कप

भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। भारत ने 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया है, लक्ष्य सेन ने पहले मैच में और सात्विक चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में भारत को जीत दिलाई। इसके बाद किदांबी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बनाया। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी है। यह टूर्नामेंट वर्ष 1949 से खेला जा रहा था, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का इस टूर्नामेंट में दबदबा रहा था, जिसे भारत ने खत्म किया है। भारत छठी टीम है, जिसने यह टूर्नामेंट जीता है। थॉमस कप (Thomas Cup) एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसमें फिलहाल 16 टीमें भाग लेती हैं। बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिये थॉमस कप टूर्नामेंट आयोजित करने का आइडिया सबसे पहले इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर सर जॉर्ज एलन थॉमस (Sir George Alan Thomas) के दिमाग में आया था। वे खुद भी एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी थे। पहली बार वर्ष 1948-49 में थॉमस कप आयोजित किया गया। पहले यह टूर्नामेंट 3 साल में आयोजित होता था, लेकिन वर्ष 1982 के बाद से इसे 2 साल में आयोजित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस' (IDF) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पारिवारिक संबंधों के महत्त्व को उजागर करना है। ज्ञात हो कि परिवार समाज के निर्माण की मूलभूत इकाई है और यह एक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्त्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आम जनमानस के बीच परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और संबंधों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों के बारे में समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 2022 की थीम "परिवार और शहरीकरण" है, जिसका उद्देश्य हमारे परिवारों पर शहरीकरण के प्रभाव की चर्चा करना है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्त्व को महसूस करते हुए वर्ष 1993 में 15 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस' के रूप में घोषित किया और सबसे पहले इसे 15 मई, 1994 को मनाया गया था।

विश्व कृषि-पर्यटन दिवस

प्रत्येक वर्ष 16 मई को विश्व कृषि-पर्यटन दिवस (World Agri-Tourism Day) मनाया जाता है। विश्व कृषि-पर्यटन दिवस का लक्ष्य कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। कृषि पर्यटन का आशय पर्यटन के उस रूप से है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति को पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह पारिस्थितिकी पर्यटन के समान ही है, यद्यपि इसमें प्राकृतिक परिदृश्य के बजाय सांस्कृतिक परिदृश्य को शामिल किया जाता है। विशेषज्ञों की मानें तो कृषि पर्यटन में कृषि आय बढ़ाने और एक गतिशील, विविध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने की महत्त्वपूर्ण क्षमता है। कई विकसित देशों में कृषि पर्यटन, पर्यटन उद्योग का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसे कृषि तथा संबद्ध व्यवसाय के मूल्यवर्द्धन के रूप में देखा जा सकता है, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की बहु-क्रियाशील प्रकृति के इष्टतम लाभों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। महाराष्ट्र, देश में कृषि पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र में वर्ष 2005 में कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कृषि पर्यटन विकास निगम (ATDC) का गठन किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस

प्रत्येक वर्ष 16 मई को यूनेस्को (UNESCO) और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस (International Day of Light) मनाया जाता है। प्रकाश हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश ही जीवन के मूल में है। प्रकाश के अध्ययन ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, नैदानिक प्रौद्योगिकी और उपचार में जीवन रक्षक चिकित्सा पद्धति एवं लाइट-स्पीड इंटरनेट और इसी प्रकार की अन्य खोजों से समाज में क्रांति ला दी है तथा ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को महत्त्वपूर्ण आकार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस एक वार्षिक पहल है, जिसका उद्देश्य आम जनमानस के दैनिक जीवन में प्रकाश-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन वर्ष 1960 में लेज़र के पहले सफल संचालन को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है। पहला सफल लेज़र संचालन, 'थियोडोर मैमन' नामक एक अमेरिकी इंजीनियर एवं भौतिक विज्ञानी द्वारा किया गया था। यह दिवस वैज्ञानिक सहयोग को मज़बूत करने और शांति व सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु 'प्रकाश' की क्षमता के दोहन का आह्वान करता है। इस

दिवस को यूनेस्को के 'इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम' (IBSP) से प्रशासित किया जाता है। प्रकाश विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों की उपलब्धियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने सर्वप्रथम वर्ष 2015 में 'प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय' वर्ष मनाया था, इसके पश्चात् वर्ष 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आयोजित किया गया।

एलिज़ाबेथ बोर्न

16 मई,2022 को फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिज़ाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 30 साल में दूसरी बार किसी महिला को फ्राँस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फ्राँस के प्रधानमंत्री ज्यां कास्तेक्स ने पिछले महीने मध्यमार्गी इमैनुएल मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपेक्षित कदम के तहत सोमवार को इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को एलिज़ाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो तीन दशकों में यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। यानी कि 30 साल में दूसरी बार किसी महिला को फ्राँस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे पूर्व एडिथ 1991 से 1992 तक पीएम रही थीं। एलिज़ाबेथ बोर्न का जन्म 21 अप्रैल, 1926 को अपने दादा जॉर्ज़ पंचम के शासनकाल के दौरान लन्दन में हुआ था।

शहीद सुखदेव

15 मई, 2022 को देश भर में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी शहीद सुखदेव की जयंती मनाई गई। सुखदेव (1907-1931) उन प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुखदेव का जन्म 15 मई, 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। अपने बचपन के दिनों में ही सुखदेव ने भारत पर ब्रिटिश राज द्वारा किये गए क्रूर अत्याचारों को देखा, जिसने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित किया। सुखदेव, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य थे। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में 'नौजवान भारत सभा' की भी शुरुआत की, जिसका प्राथमिक लक्ष्य युवाओं के बीच सांप्रदायिकता को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिये प्रेरित करना था। सुखदेव, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के सहयोगी थे, जो कि वर्ष 1928 में पुलिस उपाधीक्षक, जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे। नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल बम विस्फोट (8 अप्रैल, 1929) के बाद सुखदेव और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इस अपराध के लिये उन्हें दोषी ठहराया गया एवं मौत की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च, 1931 को तीन बहादुर क्रांतिकारियों- भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फाँसी दे दी गई। हालाँकि उनके जीवन ने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया और उनकी मृत्यु ने इन्हें एक मिसाल के रूप में कायम किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का रजत जंयती समारोह

17 मई, 2022 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का रजत जंयती समारोह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी, मद्रास के नेतृत्व में आठ संस्थानों के समूहिक सहयोग से विकसित 5-जी टेस्ट बेड भी जारी किये जाएंगे। इस परियोजना में शामिल अन्य संस्थान हैं- आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदाराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बंगलूरू, सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च तथा वायरलेस प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा की गई थी। TRAI का मिशन देश में दूरसंचार के विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं इसे बेहतर बनाना है। TRAI दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ के निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है जो पहले केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता था। इसका उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है जिससे कंपनियों के मध्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हो। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

रामगढ़ विषधारी अभयारण्य देश का 52वाँ टाइगर रिज़र्व घोषित

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 16 मई, 2022 को सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वाँ टाइगर रिज़र्व घोषित किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत 5 जुलाई, 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिज़र्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व में टाइगर टी-91 और टी-62 बाघ हैं। पिछले एक साल से टी-115 का लगातार इस रिज़र्व में मूवमेंट बना हुआ है। यह अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिज़र्व और कोटा के मुकुंदरा हिल्स के बीच एक गलियारे के रूप में स्थित है। इस कारण यहाँ बाघों की आवाजाही जारी रहती है। बाघों के मूवमेंट और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए कई सालों से रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व घोषित करने की माँग की जा रही थी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व की विशेषता इसके पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों के अनुकूल वातावरण है। साथ ही यह संरक्षित क्षेत्र भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, भालू, सुनहरे सियार, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी जैसे जंगली जानवरों का आदर्श निवास स्थल भी है। यह अभयारण्य बाघ संरक्षण के अलावा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ पुष्प प्रजातियों के लिये भी प्रसिद्ध है।

जॉर्ज थॉमस

हाल ही में भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। थॉमस कप पहली बार 1948-49 में खेला गया था। यह कप 1939 में सर जॉर्ज थॉमस ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ (IBF) द्वारा प्रबंधित पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताओं की श्रृंखला हेतु दान किया था, जिसके तत्कालीन अध्यक्ष थॉमस थे। जॉर्ज एलन थॉमस का जन्म इस्तांबुल, तुर्की में 14 जून 1881 को हुआ था। वह एक महान लेखक, प्रशासक, सैनिक, शतरंज में ग्रैंडमास्टर, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी और कई अन्य खेलों में उल्लेखनीय खिलाड़ी थे। उन्होंने जनवरी 1903 में डबलिन में पहला अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन मैच खेला था। उनके पास कुल 21 खिताबों (4 पुरुष एकल, 9 पुरुष युगल और 8 मिश्रित युगल) के साथ सर्वाधिक ऑल-इंग्लैंड खिताब का रिकॉर्ड था। वर्ष 1912 से 1920 के बीच लॉन टेनिस के लगातार चार मैचों में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व भी किया। वर्ष 1906 से 1926 तक उन्होंने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भी भाग लिया। 23 जुलाई, 1972 को 91 वर्ष की आयु में इस महान खिलाड़ी का निधन हो गया।

नाइलिट केंद्र

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री ने 17 मई, 2022 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) केंद्र लेह, एक्सटेंशन सेंटर कारगिल और हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के लिये आईटी सक्षम इनक्यूबेशन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) एक निकाय है जिसे वर्तमान में देश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी खंडों तक पहुँच की दृष्टि से अद्वितीय स्थान प्राप्त है। नाइलिट, भारत में एक प्रोफेशनल परीक्षा निकाय भी है, जो विशेष रूप में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को परिचालित करता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार प्रौद्योगिकियों, हार्डवेयर, साइबर कानून, साइबर सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, क्लाउड कम्प्यूटिंग, ई-गवर्नेंस तथा संबद्ध विषयों पर अर्हता प्राप्त मानव संसाधन के विकास में सक्रियता से शामिल है।

डेफलिंपिक्स

ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक अपने नाम किये। ब्राज़ील के 'कासियाज डो सूल' में बधिर एथलीटों के लिये 15 दिनों (1 मई से 15 मई, 2022) तक हुए इस विशेष खेल आयोजन में भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्द्धाओं में भाग लेते हुए 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किये। यह भारतीय दल का इन विशेष खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के 65 एथलीटों के दल ने बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, गोल्फ, टेनिस जैसी स्पर्द्धाओं में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। भारतीय दल कुल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। यूक्रेन ने 62 गोल्ड के साथ कुल 138 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया, जबकि अमेरिका 20 गोल्ड समेत 55 पदकों के साथ दूसरे और ईरान 14 गोल्ड के साथ कुल 40 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। पहले ये खेल 5 से 21 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित होने थे, लेकिन कोविड के कारण खेलों की तारीख आगे बढ़ा दी गई। डेफलिंपिक्स, जिसे डेफलिंपिआड के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्वीकृत बहु-खेल आयोजनों की एक आवधिक श्रृंखला है, जिसमें बधिर एथलीट एक विशिष्ट स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस

प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व भर में 'विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ITC) के उपयोग से समाज तथा अर्थव्यवस्थाओं में लाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को 'विश्व सूचना समाज दिवस' और 'विश्व दूरसंचार समाज दिवस' के समामेलन के रूप में आयोजित किया जाता है। 'विश्व दूरसंचार समाज दिवस' अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की स्थापना तथा वर्ष 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर को चिह्नित करता है, जबकि 'विश्व सूचना समाज दिवस' 'वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसायटी' (WSIS) द्वारा रेखांकित ITC के महत्त्व और सूचना समाज से संबंधित व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने दोनों दिवसों को संयुक्त तौर पर प्रतिवर्ष एक साथ आयोजित करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2022 के लिये विश्व दूरसंचार एंव सूचना समाज दिवस (2022) की थीम "वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ आयु बढ़ाने के लिये डिजिटल तकनीक" रखी गई है।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस

प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (World Hypertension Day) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में उच्च रक्तचाप के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना और इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगों को इसे नियंत्रित करने के लिये प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2022 के लिये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम 'अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, अधिक समय तक जीवित रहें' (Measure your blood pressure accurately, control it, live longer) है। विदित हो कि शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा के प्रवाह के लिये रक्त शोधन करना हृदय का प्रमुख कार्य है और धमनियों के ज़रिये रक्त के प्रवाह के लिये दबाव की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि रक्त प्रवाह का दबाव सामान्य से अधिक होता है, तो यह धमनियों

की दीवार पर अतिरिक्त तनाव डालता है। इसे हाई ब्लडप्रेशर या हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में प्रत्येक पाँच में से दो वयस्क उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप की गंभीरता को देखते हुए इसे 'साइलेंट किलर' (Silent Killer) भी कहा जाता है।

वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस

वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर वर्ष मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इस दिन का उद्देश्य लोगों को दुनिया के 1.2 बिलियन दिव्यांगों के लिये डिजिटल (वेब, सॉफ़्टवेयर, मोबाइल आदि) सुगम्यता और समावेश के बारे में बात करने, सोचने और सीखने हेतु प्रेरित करना है। 'वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस-2022' विभिन्न दिव्यांग लोगों के लिये 'वेब' सुगम्यता पर बातचीत को सुविधाजनक बनाने का अवसर प्रदान करता है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पहली बार वर्ष 2012 में एक ब्लॉग पोस्ट के प्रकाशन के कारण मनाया गया था, जिसे 27 नवंबर, 2011 को वेब डेवलपर 'जो डेवॉन' ने लिखा था, जिन्होंने इस बारे में बताया था कि वेबसाइट बनाते समय आवश्यक महत्त्वपूर्ण चीज़ों की सूची के मामले में सुगम्यता कितनी कम थी। डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के लिये प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने की प्रतिबद्धता वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस-2022 का लक्ष्य है। यह दिन दिव्यांगों तक डिजिटल पहुँच प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों और मीडिया में महिलाओं के चित्रण पर ध्यान केंद्रित करने के लिये 18 मई, 2022 को 'मीडिया कर्मियों हेतु क्षमता निर्माण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था; 'मीडिया संचालन और सामग्री में मीडिया के लिये लिंग-संवेदनशील संकेतक', 'महिला मीडिया पेशेवरों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ' तथा 'महिलाओं के सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका'। 31 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति (CSWI) ने लगभग पाँच दशक पहले शिकायतों के निवारण एवं महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में तीव्रता लाने हेतु निगरानी के लिये 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को 'जयंती पटनायक' की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पाँच अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान में सुश्री रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं।

'G5-साहेल'

19 मई, 2022 को अफ्रीका के लिये संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष राजनीतिक अधिकारी ने माली के 'साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल' (G5-Sahel या G5S) से हटने की जानकारी दी। अफ्रीकी संघ के सुझाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन के बाद 16 फरवरी, 2014 को नौकोचोट, मॉरिटानिया में इस संयुक्त बल का गठन हुआ, जिसे G5-साहेल नाम दिया गया. इसमें शामिल देश हैं- बुर्किना फासो, माली, मॉरिटानिया, नाइज़र और चाड. G5-साहेल का उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवादी गुटों से निपटने हेतु बेहतर समन्वय स्थापित करना और आर्थिक विकास तथा सुरक्षा के लिये सहयोग बढ़ाना है। माली पश्चिमी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में फैला एक विशाल स्थलाबद्ध देश है। वर्तमान में यह जिहादी हमलों और जातीय हिंसा से जूझ रहा है।

विश्व मधुमक्खी दिवस

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 20 मई, 2022 को गुजरात में विश्व मधुमक्खी दिवस पर वृहत राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। विश्व मधुमक्खी दिवस के लिये इस वर्ष की थीम है- "बी एंगेज्ड: सेलिब्रेटिंग द डायवर्सिटी ऑफ बीज़ एंड बीकीपिंग सिस्टम्स।" इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर देश के छोटे किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाना है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस (World Bee Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागणकों जैसे- तितलियों, चमगादड़ और हमिंग बर्ड आदि के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जनसा (Antone Jansa) के जन्मदिन (20 मई, 1734) के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को 7 जुलाई, 2017 को इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के 40वें सत्र में स्वीकृत किया गया था। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर मधुमक्खी के तमाम उत्पादों के लाभ, उत्पादन बढ़ाने में मधुमक्खियों की भूमिका और किसानों को खेती के साथ-साथ नए व्यवसाय के अवसर मुहैया कराने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस

संग्रहालयों के संदर्भ में लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (International Museums Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद (International Council of Museums- ICOM) द्वारा की गई थी। ICOM एक

सदस्यता संघ और एक गैर-सरकारी संगठन है जो संग्रहालय संबंधी गतिविधियों के लिये पेशेवर एवं नैतिक मानक स्थापित करता है। संग्रहालय क्षेत्र में यह एकमात्र वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है। यह संग्रहालय पेशेवरों (138 से अधिक देशों में 40,000 से अधिक सदस्य) के एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। ICOM की रेड लिस्ट (खतरे में रहने वाली सांस्कृतिक वस्तुओं संबंधी), सांस्कृतिक वस्तुओं के अवैध यातायात को रोकने के लिये व्यावहारिक उपकरण है। वर्ष 2022 के लिये इस दिवस की थीम है- संग्रहालयों की शक्ति। भारत के उल्लेखनीय संग्रहालय हैं- राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (संस्कृति मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय); राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली; सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद; भारतीय संग्रहालय, कोलकाता; भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण साइट संग्रहालय, गोवा; प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय (NMNH), नई दिल्ली।

कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल

हाल ही में कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और बांग्लादेश के सूचना व प्रसारण मंत्री ने संयुक्त रूप से श्री श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत-बांग्लादेश सह-निर्मित फीचर फिल्म 'मुजीब- द मेकिंग ऑफ ए नेशन' का 90 सेकंड का ट्रेलर ज़ारी किया। भारत और बांग्लादेश द्वारा सह-निर्मित यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल थी। यह फिल्म बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर उपहार के साथ-साथ अच्छे पड़ोसी संबंधों का भी उदाहरण है। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फ्राँस में आयोजित वार्षिक फिल्म समारोह है, जिसमें दुनिया भर के वृत्तचित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों का पूर्वावलोकन किया जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और प्रचारित फिल्म समारोह है। यह प्रत्येक वर्ष (आमतौर पर मई में) पालिस डेस फेस्टिवल्स एट डेस कॉन्ग्रेस में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव की बड़े पैमाने पर लोकप्रियता को देखते हुए कई फिल्म हस्तियाँ इसमें शामिल होती हैं, साथ ही फिल्म निर्माताओं हेतु अपनी नई फिल्मों को लॉन्च करने और दुनिया भर से आए वितरकों के समक्ष इन फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिये यह एक लोकप्रिय स्थान है।

आतंकवाद विरोधी दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस (Anti-Terrorism Day) मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने, आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाने और सभी जातियों, पंथों आदि के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, साथ ही युवाओं पर पड़ने वाले आतंकवाद के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना है। ज्ञातव्य है कि 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) द्वारा ह्यूमन बम या सुसाइड बम के ज़रिये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का फैसला लिया गया था।

निखत ज़रीन

भारतीय महिला बॉक्सर निखत ज़रीन ने गुरुवार को 52 किग्रा. कैटेगरी में थाईलैंड की जिटपॉन्ग जुटामस (Jitpong Jutamas) को 5-0 से हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप (World Boxing Championship) में गोल्ड मेडल जीता। 25 साल की निखत ज़रीन 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग लीजेंड मैरीकॉम ने इस चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। इस चैंपियनशिप में मैरीकॉम, निखत के अलावा सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा सी. भी गोल्ड जीत चुकी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर, 2019 को '21 मई' को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। वर्ष 2022 की अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम है- "चाय और निष्पक्ष व्यापार।" वस्तुतः दुनिया भर में चाय उत्पादक देश वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते थे लेकिन तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। इसे लेकर भारत सरकार ने बड़ी पहल की और वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया। ज्ञातव्य है कि चाय के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि उपभोग के मामले में यह पहले स्थान पर है।

BA.4 ओमीक्रोन वेरिएंट

हाल ही में कोरोना के घटते मामलों के बीच भारत में एक नए वेरिएंट 'BA.4 ओमीक्रोन वेरिएंट' ने दस्तक दे दी है। बता दें कि BA.4 ओमीक्रोन वेरिएंट का पहला केस हैदराबाद में सामने आया है. इस वेरिएंट के मिलने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि देश के अन्य भागों में भी इस वेरिएंट के मामले मिल सकते हैं। इस वेरिएंट का पता कोविड-19 जिनोमिक सर्विलांस प्रोग्राम के माध्यम से लगाया गया है। हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया है कि ओमीक्रोन एवं डेल्टा आपस में जुड़ गए हैं जिसे डेल्टाक्रोन नाम दिया गया है। इसी तरह ओमीक्रोन भी अपने सब-वेरिएंट से जुड़ गया है, जिसे BA.4 नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक विश्व भर में BA.4 की उपस्थिति बहुत कम है। BA.4 ओमीक्रोन का उप-संस्करण है। इसे यूरोपियन सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा BA.5 वेरिएंट के साथ चिंता का एक प्रकार घोषित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बीए.4 की उत्पत्ति बीए.1 और बीए.3 के मिश्रण से हुई है।

ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित आशा कार्यकर्त्ताओं की टीम के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में आशा कार्यकर्त्ता सबसे आगे हैं और उनका समर्पण एवं दृढ़ संकल्प सराहनीय है। भारत में दस लाख से अधिक आशा कार्यकर्त्ताओं (महिला स्वयंसेवक) का समूह है। यह सम्मान उन्हें COVID-19 महामारी के दौरान समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने तथा ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये प्रदान किया गया है। इस छठे ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड की घोषणा WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्येयियस ने की। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड के पुरस्कार विजेताओं का फैसला WHO के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदान किया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

'क्वाड' शिखर बैठक

भारत के प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिये 23 मई, 2022 को जापान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। जापान, भारत के सबसे महत्त्ववपूर्ण भागीदारों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-जापान संबंधों को इस क्षेत्र हेतु महत्त्वपूर्ण बताया है। जापान के प्रधानमंत्री की हाल की भारत यात्रा के सकारात्मक परिणाम रहे हैं जिसमें जापान से भारत में अगले पाँच वर्षों में 50 खरब येन यानी लगभग 40-42 अरब डॉलर का सरकारी और निजी निवेश शामिल है। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। 'क्वाड' समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति (विशेषकर चीन) के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिये की गई थी और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर लोगों में समझ और जागरूकता बढाने के लिये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को जैव-विविधता के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वाधान में वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में "पृथ्वी सम्मेलन" आयोजित किया गया, इसी सम्मेलन में इस दिवस को मनाने पर विचार किया गया। इसके अगले वर्ष 29 दिसंबर,1993 को पहली बार जैव-विविधता दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया जैव-विविधता दिवस वर्ष 2000 तक 29 दिसंबर को मनाया जाता रहा। उसके बाद वर्ष 2001 से यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है- 'सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण' (Building a shared future for all life)।

हिंद-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिये 'हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा' (IPEF) पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, फिलीपिंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। IPEF का उद्देश्य आने वाले दशकों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये संबंधों को मज़बूत करना है। यह अमेरिका एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अधिक मज़बूत और समायोजी अर्थव्यवस्था सृजित करेगा। ये देश साथ मिलकर 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिये नए नियम तय कर रहे हैं, जिनसे उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएँ तेज़ गति से विकसित होंगी। जो बाइडेन ने हिंद-प्रशांत के सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि IPEF पहल में समायोजी आपूर्ति श्रृंखला की आधारशिला रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो आपसी विश्वास, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ महत्त्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर चीन के कदमों का विकल्प साबित होगी।

"द अवध क्वाट्रेन" का मंचन

चीन की राजधानी पेईचिंग में भारतीय दूतावास तथा हॉन्गकॉन्ग, शंघाई और ग्वांगझोउ में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया। इस अवसर पर अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1857 के संघर्ष पर आधारित नाटक "द अवध क्वाट्रेन" का मंचन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च, 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के 'अमृत महोत्सव' (India@75) का उद्घाटन किया था। आज़ादी का 'अमृत महोत्सव' भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जनभागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यातव्य है कि ये कार्यक्रम आगामी 15 अगस्त, 2022 के 75 सप्ताह पूर्व से आयोजित किये जा रहे हैं।

जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा

विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति प्रयासों में तेज़ी लाने के लिये जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है। विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्यबल के अंग के

रूप में यह गठबंधन पिछले साल ज़ारी किये श्वेत-पत्र मिशन 2070 में तय किये गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वर्ष 2070 तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के महत्त्वाकांक्षी संकल्प पंचामृत को पूरा करने के लिये इस अभियान में सरकार, व्यापार जगत और अन्य पक्षकारों को शामिल किया जाएगा। प्रबंधन सलाहकार संस्था कियरने और भारतीय विचार मंच ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच सहयोग से यह गठबंधन नेताओं को जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने की योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेगा।

शिरुई लिली महोत्सव

हाल ही में मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये आयोजित किया जाता है। चार दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा उखरुल ज़िले के शिरुई गाँव में किया गया। यह त्योहार अप्रैल और मई के आसपास आयोजित किया जाता है क्योंकि यह शिरुई लिली के खिलने का समय होता है। यह फूल केवल मणिपुर के उखरुल ज़िले में पाया जाता है और इसे विश्व में कहीं भी नहीं उगाया जा सकता है। इस पुष्प की खोज मणिपुर में वर्ष 1946 में अंग्रेज़ वैज्ञानिक फ्रैंक किंग्डन-वार्ड (Frank Kingdon-Ward) द्वारा की गई थी। अपनी विशेषताओं के कारण इस पुष्प ने वर्ष 1948 में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी (Royal Horticultural Society- RHS) लंदन के एक फ्लॉवर शो में श्रेष्ठता पुरस्कार जीता था। शिरुई लिली मणिपुर का राजकीय पुष्प है। यह तीन फीट लंबा और घंटी के आकार का नीला-गुलाबी रंग का पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम मैकलिनिया (Lilium Mackliniae) है। शिरुई लिली, ग्राउंड लिली (Ground Lily) की एक प्रजाति है जो केवल मणिपुर की शिरुई पहाड़ी (Shirui Hills) के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में तांगखुल नागा जनजाति निवास करती है। तांगखुल जनजाति द्वारा इसे स्थानीय भाषा में काशोंग तिम्रावोन (Kashsong Timrawon) कहा जाता है, जो तिम्रावोन के नाम पर रखा गया है।

रास बिहारी बोस

रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई, 1886 को बंगाल प्रांत के सुबलदाहा गाँव में हुआ था। रास बिहारी बोस ने गदर आंदोलन का नेतृत्व करने से लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना तक स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रास बिहारी बोस वर्ष 1789 की फ्राँसीसी क्रांति से खासा प्रभावित थे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन और उसके बाद की घटनाओं ने रास बिहारी बोस को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने प्रख्यात क्रांतिकारी नेता जतिन बनर्जी के मार्गदर्शन में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। गदर आंदोलन में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका तो निभाई किंतु यह अल्पकालिक थी, क्योंकि जल्द ही ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की उनकी योजना का खुलासा हो गया था, जिसने अंततः उन्हें जापान जाने के लिये मजबूर कर दिया, जहाँ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का नया अध्याय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वर्ष 1942 में जापान के टोक्यो में रास बिहारी बोस ने 'आज़ाद हिंद फौज' की स्थापना की। 'आज़ाद हिंद फौज' की स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना था। जापान ने 'आज़ाद हिंद फौज' के गठन में सहयोग दिया था। बाद में 'आज़ाद हिंद फौज' की कमान सुभाषचंद्र बोस के हाथों में सौंप दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जापान की सरकार ने उन्हें 'सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइज़िंग सन' से सम्मानित किया था।

आभा मोबाइल एप

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड रखने के लिये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल एप की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आभा एप राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ रिकॉर्ड्स एप का ही नया रूप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से व्यक्ति कभी भी और कहीं भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आभा मोबाइल एप्लीकेशन में नई व्यावहारिक चीजें हैं, जैसे- एडिट प्रोफाइल, आभा नंबर (14 अंक वाला) को आभा एड्रेस के साथ लिंक और अन-लिंक करना। इसके अलावा फेस ऑथेंटिकेशन/फिंगरप्रिंट/बायोमेट्रिक द्वारा लॉग-इन तथा पंजीकरण संबंधी एबीडीएम आधारित सुविधा एवं काउंटर पर क्यूआर कोड की स्कैनिंग सुविधाओं को भी जल्द शुरू किया जाएगा।

विश्व थायरॉयड दिवस

विश्व थायरॉयड दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य थायरॉयड के संबंध में जागरूकता बढ़ाना और उपचार हेतु लोगों को शिक्षित करना है। विश्व थायरॉयड दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में थायरॉयड के नए उपचारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु विश्व स्तर पर अमेरिकन थायरॉयड एसोसिएशन (ATA) तथा यूरोपीय थायरॉयड एसोसिएशन (ETA) के नेतृत्त्व में चल रहे अभियान के एक हिस्से के रूप में की गई थी। थायरॉयड ग्रंथि, गर्दन में श्वासनली के पास मौजूद होती है। थायरॉयड का कार्य हार्मोन को स्रावित करना है जो शरीर के कामकाज को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन (T4) और ट्राईआयोडोथायरोनिन (T3) थायरॉयड हार्मोन हैं। ये हार्मोन थायरॉयड ग्रंथि द्वारा सीधे रक्त में स्रावित होकर शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित होते हैं तथा शरीर की चयापचय गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक 10वाँ वयस्क हाइपोथायरॉयडिज़्म रोग से ग्रसित है, इस रोग में थायरॉयड ग्रंथि पर्याप्त थायरॉयड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर पाती है। थायरॉयड की वजह से महिलाओं में पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम (Poly Cystic Ovary Syndrome) और बाँझपन का अधिक खतरा रहता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य के भीतर खाद्यान्न के परिवहन, रख-रखाव और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को भुगतान किये जाने वाले मार्जिन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भुगतान की केंद्रीय सहायता के मानदंडों को 23 मई, 2022 को एक अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अंतर्राज्यीय परिवहन और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के मार्जिन पर केंद्रीय सहायता का प्रावधान है ताकि इस लागत का भार उच्च कीमतों के रूप में लाभार्थी पर न पड़े और अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित मूल्यों की एकरूपता को बनाए रखा सके। ये मानदंड पहली बार वर्ष 2015 में तय किये गए थे। केंद्रीय सहायता जारी करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दो श्रेणियों अर्थात् सामान्य श्रेणी के राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और द्वीपीय राज्य विशेष श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आते हैं, जबकि शेष राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सामान्य श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आते हैं।

कैप्टन अभिलाषा बराक

कैप्टन अभिलाषा बराक को कॉम्बैट एविएटर (Combat Aviator) के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है। वे इस मुकाम तक पहुँचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक ने ट्रैनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कैप्टन अभिलाषा को इसके बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स (Army Aviation Corp) में शामिल किया गया है। 15 महिला अधिकारियों ने आर्मी एविएशन में शामिल होने के लिये आवेदन किया था। हालाँकि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट एवं मेडिकल के बाद केवल दो अधिकारियों का ही अंतिम रूप से चयन हो पाया है। आर्मी एविएशन कोर या सेना विमानन कोर भारतीय सेना का एक घटक है, जिसका गठन 1 नवंबर, 1986 को किया गया। वायु सेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनि चतुर्वेदी वर्ष 2018 में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। सेना ने वर्ष 2019 में सैन्य पुलिस में महिलाओं को शामिल करना शुरू किया। सैन्य पुलिस की ज़िम्मेदारियों में पुलिस छावनी और सेना की स्थापना, सैनिकों को नियमों एवं विनियमों को तोड़ने से रोकना तथा शांति व संघर्ष के दौरान सैनिकों और रसद की आवाज़ाही सुनिश्चित करना शामिल है।

भारत ड्रोन महोत्सव 2022

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज (27 मई, 2022) नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव– भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 दो दिवसीय कार्यक्रम है, जो 27 और 28 मई को आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में अन्य कार्यक्रमों के अलावा ड्रोन पायलट प्रमाणपत्र का वर्चुअल वितरण, उत्पादों की लॉन्चिंग, पेनल चर्चा, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की प्रदर्शनी आदि को भी शामिल किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास 'टॉम्ब ऑफ सैंड' को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। 'टॉम्ब ऑफ सैंड' प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला किसी भी भारतीय भाषा से अनुवादित पहला उपन्यास है। हिंदी भाषा के इस उपन्यास का अनुवाद किया गया है। गीतांजलि श्री न केवल हिंदी की पहली पुरस्कार विजेता हैं, बल्कि यह पहली बार है कि किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास का अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। 'टॉम्ब ऑफ सैंड' ने 135 किताबों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के बाद यह पुरस्कार जीता है। गीतांजलि श्री तीन उपन्यासों और कई लघु कहानी संग्रहों की लेखिका हैं। 'टॉम्ब ऑफ सैंड' ब्रिटेन में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक है। डेजी रॉकवेल अमेरिका के वर्मोंट में रहने वाली चित्रकार, लेखिका और अनुवादक हैं। उन्होंने हिंदी तथा उर्दू साहित्य की कई रचनाओं का अनुवाद किया है। ज्ञात हो कि 'अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' अंग्रेज़ी भाषा के प्रतिष्ठित 'बुकर पुरस्कार' के समकक्ष हैं। 'अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' अंग्रेज़ी भाषा से इतर अन्य भाषाओं में कार्य करने वाले लेखकों पर केंद्रित है और इसके तहत प्राप्त 50 हज़ार पाउंड यानी 44 लाख रुपए की धनराशि को अनुवादक एवं लेखक के मध्य विभाजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार (पूर्ववर्ती मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार) मूल बुकर पुरस्कार के हिस्से के रूप में वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।

पंडित जवाहरलाल नेहरू

27 मई, 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 27 मई, 2022 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। भारत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राकृतिक

विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1912 में वे भारत लौटे तथा राजनीति से जुड़ गए। वर्ष 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं वर्ष 1919 में इलाहाबाद के होमरूल लीग के सचिव बने। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के महासचिव बने। वर्ष 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें वर्ष 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कई अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। नेहरू जी सर्वप्रथम वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और गांधी जी से काफी अधिक प्रभावित हुए। नेहरू जी बच्चों से काफी अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण देश भर में प्रत्येक वर्ष नेहरू जी के जन्म दिवस (14 नवंबर) को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू को कॉन्ग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। चीन से युद्ध के बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और 27 मई, 1964 को उनकी मृत्यु हो गई।

विनय सक्सेना

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उप-राज्यपाल नियुक्त किया है। यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सक्सेना वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग' के अध्यक्ष हैं। विनय सक्सेना गुजरात में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक रूप से राहत कार्य करने वाले संगठन 'नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़' के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। सक्सेना को अक्तूबर 2015 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 18 मार्च, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने सक्सेना को तीन वर्ष के लिये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के "विश्वविद्यालय न्यायालय के सदस्य" के रूप में नियुक्त किया। 9 सितंबर, 2020 को उन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी के "रिसर्च काउंसिल" में नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने उन्हें नवंबर 2020 में वर्ष 2021 के लिये पद्म पुरस्कार चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया। 5 मार्च, 2021 को उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मनाने के लिये राष्ट्रीय समिति में नामित किया गया था।

राष्ट्रीय खनिज कॉन्ग्रेस

कोयला मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से आज भुवनेश्वर में राष्ट्रीय खनिज कॉन्ग्रेस का आयोजन किया। वर्चुअल माध्यम से कॉन्ग्रेस को संबोधित करते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव श्री अनिल कुमार जैन ने राष्ट्रीय खनिज कॉन्ग्रेस की सफलता की कामना की और हितधारकों के विचार-विमर्श के माध्यम से मूल्यवान परिणाम प्राप्त करने की आशा व्यक्त की। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज़ तैयार किया है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 'फ्यूल गैस' बनाने के लिये कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। कोयले का 'इन-सीटू' गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है, इसे कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है, जैसे- अमोनिया का निर्माण, हाइड्रोजन इकॉनमी को मज़बूती प्रदान करने में। कोयले को जलाने की तुलना में कोयला गैसीकरण को स्वच्छ विकल्प माना जाता है। गैसीकरण कोयले के रासायनिक गुणों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

'आईएनएस खंडेरी'

रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 मई, 2022 को कर्नाटक में कारवाड़ नौसेना बेस की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के शक्तिशाली प्लेटफॉर्म में से एक 'आईएनएस खंडेरी' पर समुद्र की यात्रा की। ऑपरेशन सॉर्टी के साथ पश्चिमी बेड़े के जहाज़ों की तैनाती, पी-81 एमपीए द्वारा एंटीसबमरीन मिशन सॉर्टी और सी-किंग हेलीकॉप्टर, मिग 29-के युद्धक विमानों द्वार फ्लाइपास्ट तथा खोज और बचाव क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया। रक्षामंत्री द्वारा 28 सितंबर, 2019 को आईएनएस खंडेरी को कमीशन किया गया था। INS खंडेरी गहरे समुद्र में बिना आवाज़ किये 12 हज़ार किमी. तक सफर कर सकती है। इसकी लंबाई लगभग 67.5 मीटर और चौड़ाई 12.3 मीटर है। 40 से 45 दिन तक पानी में रहने की क्षमता वाली यह पनडुब्बी 350 मीटर की गहराई तक उतर सकती है तथा इसमें सभी अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन की इस दूसरी सबमरीन का निर्माण 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में 7 अप्रैल, 2009 को शुरू हुआ था। 12 जनवरी, 2017 को इसे लॉन्च किया गया और इसका नामकरण किया गया। इस पनडुब्बी में कुल 360 बैटरियाँ लगी हैं, जिनमें से प्रत्येक का वज़न 750 किग्रा. है। इसमें 6 टॉरपीडो ट्यूब लगे हैं। इसमें से 2 ट्यूब से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसके भीतर कुल 12 टॉरपीडो रखने की व्यवस्था है। इसे 'खंडेरी' नाम मराठा सेना के द्वीपीय किले के नाम पर दिया गया है। इसके अलावा खंडेरी को 'टाइगर शार्क ' भी कहते हैं। स्कॉर्पीन श्रेणी की बनी पहली पनडुब्बी INS कलवरी है। देश में वर्तमान में 49 जहाज़ों और पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।।

एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस

प्रतिवर्ष 28 मई को 'एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस' का आयोजन किया जाता है। 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' (Amnesty Interna-

tional) लंदन स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 28 मई, 1961 को 'पीटर बेन्सन' नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य मानवाधिकारों की रक्षा और उनकी वकालत करना है। पीटर बेन्सन ने एक जनांदोलन के रूप में इस संगठन की स्थापना मुख्य तौर पर दुनिया भर में उन कैदियों को रिहा कराने के उद्देश्य से की थी, जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिये जेल में कैद किया गया हो, भले ही उन्होंने न कभी हिंसा का इस्तेमाल किया और न ही इसकी वकालत की। विश्व भर में इस संस्था के तीस लाख से अधिक सदस्य और समर्थक हैं। संगठन का उद्देश्य मानवाधिकारों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाना तथा प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाना है। यह संगठन ऐसी दुनिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेज़ों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हो। साथ ही यह संगठन मानवाधिकारों के मुद्दे पर शोधकार्य भी करता है। संगठन को वर्ष 1977 में शांति के लिये नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1978 में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस

प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भर में 'विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जर्मनी स्थिति एक गैर-लाभकारी संगठन 'वॉश यूनाइटेड' द्वारा वर्ष 2013 में की गई थी। 'मासिक धर्म स्वच्छता दिवस' एक वैश्विक अभियान है, जो विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों के लिये बेहतर मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिये गैर-लाभकारी संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र तथा मीडिया आदि को एक साथ- एक मंच पर लाता है। इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना और मासिक धर्म से संबंधित नकारात्मक धारणाओं को समाप्त करना है। साथ ही यह दिवस वैश्विक, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तरों पर नीति निर्माताओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिये भी प्रेरित करता है। मासिक धर्म एक महिला के शरीर की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है, हालाँकि इस महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्राय: महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में मासिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि फंगल या जीवाणु संक्रमण जैसी कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। भारत में यूनिसेफ द्वारा किये गए एक अध्ययन के मुताबिक, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में अपर्याप्त जागरूकता के कारण 23 प्रतिशत लड़कियाँ मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर होती हैं।

आईएनएस गोमती

34 वर्षों तक देश और भारतीय नौसेना की सेवा करने के बाद आईएनएस गोमती को 28 मई, 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कार्यमुक्त कर दिया गया। कप्तान सुदीप मलिक की कमान में जहाज़ को सेवामुक्त किया गया। आईएनएस गोमती का नाम गतिशील नदी गोमती से लिया गया है और 16 अप्रैल, 1988 को तत्कालीन रक्षा मंत्री के. सी. पंत द्वारा बॉम्बे के मझगाँव डॉक लिमिटेड में इसे कमीशन किया गया था। गोदावरी क्लास गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज़ आईएनएस गोमती कार्यमुक्त किये जाने के समय पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना जहाज़ था। अपनी सेवा के दौरान उसने ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष तथा कई द्विपक्षीय एवं बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के लिये उसे दो बार- पहली बार वर्ष 2007-08 में और फिर वर्ष 2019-20 में प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यमुक्त किये जाने के बाद जहाज़ की विरासत को लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थापित किये जा रहे एक ओपन एयर संग्रहालय में रखा जाएगा, जहाँ उसकी कई युद्ध प्रणालियों को सैन्य और युद्ध अवशेषों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

माउंट एवरेस्ट दिवस

नेपाल द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को 'माउंट एवरेस्ट दिवस' के रूप में आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि 29 मई, 1953 को न्यूज़ीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी (Edmund Hillary) और उनके तिब्बती गाइड तेनज़िंग नोर्गे (Tenzing Norgay) द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। इस पर्वत को तिब्बत में 'चोमोलुंग्मा' (Chomolungma) और नेपाल में 'सागरमाथा' (Sagarmatha) के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। नेपाल और तिब्बत (चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र) के बीच स्थित तकरीबन 8,848 मीटर (29,035 फीट) ऊँचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, जिसे पृथ्वी का सबसे ऊँचा बिंदु माना जाता है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊँचाई 8,848 मीटर है, जो कि 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' (PoK) में स्थित विश्व के दूसरे सबसे ऊँचे पर्वत के-2 (K-2) से 200 मीटर अधिक है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित के-2 पर्वत की आधिकारिक ऊँचाई 8,611 मीटर है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक 'जॉर्ज एवरेस्ट' के नाम पर रखा गया था।

नैनो लिक्विड यूरिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्त्व (तरल) है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को

न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है। इसकी 500 मिली. की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम/लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्त्व प्रदान करेगा। परंपरागत यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पहुँचाने में 30-40% प्रभावी है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है। नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिये प्रभावी और कुशल पाया गया है। यह बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन बढ़ाने में भी सक्षम है। यह मिट्टी में यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करके संतुलित पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा देगा और फसलों को पोषक व स्वस्थ बनाकर उन्हें कमज़ोर होकर टूटने (Lodging) आदि प्रभावों से बचाएगा।

'ब्लॉक दिवस'

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रशासन द्वारा प्रत्येक सप्ताह 'ब्लॉक दिवस' का आयोजन किया जाता है जिसे 'यौम-ए-ब्लॉक' के रूप में भी जाना जाता है। यह महत्त्वाकांक्षी 'जन अभियान' कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान ज़िला विकास आयुक्त और अन्य अधिकारी, विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करते हैं तथा जनता के मुद्दों, शिकायतों को सुनने के साथ ही उनकी मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 'ब्लॉक दिवस' लोगों के साथ सीधे बातचीत करने, उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने और मौके पर शिकायत का निवारण करने का अवसर प्रदान करता है। ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर को 17 अक्तूबर, 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत एक 'अस्थायी प्रावधान' के रूप में जोड़ा गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष संवैधानिक छूट दी गई थी लेकिन 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त कर दिया, साथ ही अनुच्छेद 35A को भी निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू-कश्मीर को अपने 'स्थायी निवासी' परिभाषित करने और उनसे जुड़े अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी। इस पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- लद्दाख (बिना विधायिका के) और जम्मू-कश्मीर (विधायिका के साथ) में विभाजित किया गया।

'विश्व तंबाकू निषेध दिवस'

प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस (WNTD) मनाया जाता है। इस वर्ष 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' की थीम है– 'पर्यावरण की रक्षा करें'। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग एवं प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रसार करना तथा तंबाकू के किसी भी रूप में उपयोग को हतोत्साहित करना है। सर्वप्रथम वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल को 'विश्व धूम्रपान निषेध दिवस' के रूप में घोषित किया था। इसके पश्चात् वर्ष 1988 में प्रतिवर्ष 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' मनाने का आह्वान करते एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस वार्षिक उत्सव के आयोजन का उद्देश्य न केवल तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, बल्कि तंबाकू कंपनियों के व्यावसायिक प्रथागत विकास को भी हतोत्साहित करना है। तब से इस दिन दुनिया भर में तंबाकू और इसके सेवन के घातक परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये अभियान चलाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं।

हिंदी पत्रकारिता दिवस

देश भर में प्रत्येक वर्ष 30 मई को 'हिंदी पत्रकारिता दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय पत्रकारों खासतौर पर हिंदी भाषी पत्रकारों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, साथ ही यह दिवस समाज के विकास में पत्रकारों के योगदान और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व निर्धारण में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। 30 मई, 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। 'उदंत मार्तण्ड' का शाब्दिक अर्थ है 'समाचार-सूर्य'। 'उदंत मार्तण्ड' का प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को किया जाता था। पुस्तक के आकार में छपने वाले 'उदंत मार्तण्ड' के केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके और दिसंबर 1827 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इस समाचार पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे इस पत्र के संचालक 'मध्यदेशीय भाषा' कहते थे। कानपुर के रहने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल पेशे से एक वकील थे और औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में वकील के तौर पर कलकत्ता में कार्य कर रहे थे। इतिहासकार पंडित युगल किशोर शुक्ल को भारतीय पत्रकारिता का जनक मानते हैं। वहीं बंगाल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने इतिहास में एक लंबा सफर तय किया है। 1826 ई. में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तब यह कल्पना करना मुश्किल था कि भारत में पत्रकारिता भविष्य में इतना लंबा सफर तय करेगी।

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को 'संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिये शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, बीते वर्ष विभिन्न अभियानों में संयुक्त राष्ट्र के 130 शांति सैनिकों ने अपनी जान गँवाई थी और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों की शुरुआत से अब तक 4000 लोग मारे जा चुके हैं। ज्ञात हो कि पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का गठन 29 मई, 1948 को किया गया था जब 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी टुकड़ी की तैनाती को अधिकृत किया था। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र

वैश्विक शांति के लिये अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य है। स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के साथ-साथ शांति सैनिकों को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से भी जूझना पड़ रहा है।

जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क

हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) का दस दिन का जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन समारोह में छह देशों- घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनेई और नॉर्वे से आए 27 प्रतिनिधियों ने भारत यात्रा के अपने-अपने अनुभव साझा किये। इसके तहत दुनिया के 75 लोकतांत्रिक देशों के उभरते युवा नेताओं को भारत की सांस्कृतिक विविधता, कला, लोकतंत्र एवं अन्य विषयों की जानकारी तथा विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। घाना के सांसद ने भारत की प्रशंसा की और कहा कि भारत की संस्कृति, भाषा एवं लोग अद्भुत हैं। जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर भारत की लोकतांत्रिक शासन संरचना को परिभाषित करना है और दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की सफलता की समझ विकसित करना है। ICCR ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नवंबर 2021 में जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेसी कार्यक्रम के पहले बैच का आयोजन किया था, जिसमें भूटान, जमैका, पोलैंड, मलेशिया, स्वीडन, श्रीलंका, तंजानिया और उज़्बेकिस्तान जैसे आठ देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल 25 नवंबर से दो दिसंबर 2021 तक भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को समझने के लिये भारत के दौरे पर रहा, जबकि दूसरा बैच 29 मई, 2022 को सम्पन्न हुआ। तीसरा बैच इस वर्ष जुलाई में शुरू होने वाला है।